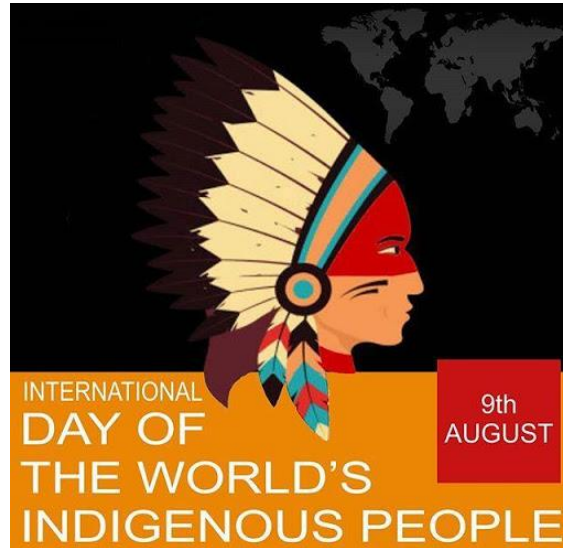


कला और संस्कृति

विश्व आदिवासी दिवस

खबरों में क्यों है?

- विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम "कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन" है।



विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में जानकारी

- इस दिवस का लक्ष्य विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
- यह तारीख वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा के अनुसार, वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जा रहा है।

नोट:

- वर्ष 2019 की निरंतरता को स्वदेशी भाषाओं के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इस वर्ष का विश्व आदिवासी दिवस समारोह, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रलेखन पर केंद्रित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चोरा संग्रहालय

समाचार में क्यों?

- हाल ही में, तुर्की के राष्ट्रपति ने चोरा संग्रहालय को मस्जिद में फिर से बदलने का फैसला लिया।



चोरा संग्रहालय के बारे में

- आरंभिक रूप से इसे 534 ई. में चर्च के रूप में बनाया गया था, प्रारंभिक बाइजेंटाइन काल के दौरान।
- इसे तुर्की में कारिये भी कहते हैं और चोरा में होली सैवियर का मध्यकालीन चर्च।
- 11वीं शताब्दी में, इसकी आंतरिक दीवारों, स्तंभों और गुंबदों को पच्चीकारी और भित्तिचित्रों से आच्छादित कर दिया गया जिसमें बाइबिलकालीन कहानियां से दृश्य दर्शाये गए।
- ओट्टोमनों द्वारा कॉन्सटेन्टाइनोपल की विजय के बाद (रोमन साम्राज्य का राजधानी शहर) (1455), चर्च पर कब्जा कर लिया गया और 1511 में इसे मस्जिद में बदल दिया गया।
- 1945 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया।

संबंधित सूचना

हागिया सोफिया

- हाल में, तुर्की के उच्चतम न्यायालय ने लगभग 1500 वर्ष पुराने हागिया सोफिया को संग्रहालय से मस्जिद में बदलने की अनुमति दे दी।

हागिया सोफिया के इतिहास के अवलोकन

- हागिया सोफिया को चर्च ऑफ द होली विस्डम अथवा चर्च ऑफ द डिवाइन विस्डम भी कहा जाता है, यह चर्च है जिसे कॉन्सटेन्टाइनोपल (अब इस्तांबुल, तुर्की) में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के निर्देशन के अंतर्गत 6वीं शताब्दी ई. में निर्मित किया गया था।
- यह सबसे महत्वपूर्ण बाइजेंटाइन संरचना है और विश्व का सबसे महान स्मारक है।
- 1453 में तुर्की की कॉन्सटेन्टाइनोपल विजय के बाद, मेहमद द्वितीय ने इसे लकड़ी की मीनार (बाहर से, प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए टावर), एक बड़ा झूमर, एक मेहराब (मक्का की दिशा बताने वाला आला) और मिनार (उपदेश मंच) लगाकर मस्जिद में बदल दिया।
- तब 1934 में तुर्की के राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क ने इस इमारत का धर्मनिरपेक्षीकरण किया और 1935 में इसे संग्रहालय बना दिया।
- यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है।

टॉपिक- सामान्य अध्ययन प्रथम- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

बॉंडा जनजाति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में बॉंडा आदिवासी समुदाय के चार लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं।



बाँडा जनजाति के संदर्भ में जानकारी

- ये ऑस्ट्रोआसियाटिक जनजातियों के समूह के सदस्य हैं और माना जाता है कि लगभग 60,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर प्रवास की पहली लहर का हिस्सा थे।
- उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो ओडिशा के मल्कानगिरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।
- बाँडा, अपनी भाषा रेमो में बात करते हैं, जो मुंडारी समूह से संबंधित ऑस्ट्रोआसियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है।
- वे मुख्य रूप से वन निवासी हैं, जो शिकार करते हैं और जंगल में भोजन के लिए घूमते हैं।

मातृसत्तात्मक समाज

- महिलाएं, उन पुरुषों से शादी करना पसंद करती हैं जो उनसे कम से कम 5-10 वर्ष छोटे हैं, जिससे कि पुरुष, उनके वृद्ध होने पर उनके लिए कमा सकें।

संबंधित जानकारी

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के संदर्भ में जानकारी

- ये आदिवासी समूहों में अधिक कमजोर होते हैं।
- इस कारक के कारण, अधिक विकसित और मुखर आदिवासी समूह, आदिवासी विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं क्योंकि पी.वी.टी.जी. को उनके विकास के लिए निर्देशित अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 1973 में, धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था, जो आदिवासी समूहों के बीच कम विकसित हैं।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में नामित किया था।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करने के लिए मानदंड हैं:-

- a. प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
- b. साक्षरता का निम्न स्तर
- c. आर्थिक पिछड़ापन
- d. गिरावट या स्थिर जनसंख्या

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए योजनाएँ

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विशेष रूप से उनके लिए "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के विकास" की योजना को लागू की है।

- योजना के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनी आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर अपनी पी.वी.टी.जी. के लिए संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.)/ वार्षिक योजनाएं तैयार की जानी हैं, जिनका तत्कालीन मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है।

नोट:

- 75 सूचीबद्ध पी.वी.टी.जी. में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत-आकाशवाणी

बहरूपिया

खबरों में क्यों है?

- कोविड-19 महामारी ने 'बहरूपिया' सहित कई लोक कलाकारों की आजीविका को प्रभावित किया है।

बहरूपिया के संदर्भ में जानकारी

- बहरूपिया शब्द, संस्कृत के शब्द बहु (कई) और रूप (प्रकार) का व्युत्पन्न है।
- ये पूरे भारत में गाँवों और बाजारों में प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध अभिनय करने वाले होते हैं।
- बहरूपिया उत्सव स्ट्रीट थिएटर की एक पारंपरिक भारतीय शैली है और यह प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्थानों- दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, कुंभ, मुजफ्फरनगर और अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाता है।



महत्व

- अर्थशास्त्र में मौर्य काल में धार्मिक जुलूसों का उल्लेख है, जहां कलाकारों ने देवताओं के रूप में कपड़े पहने होते थे और राज्य के चारों ओर इनकी झांकी निकाली जाती थी।
- भेष और प्रतिरूपण के साथ उनकी विशेषज्ञता के कारण, मध्ययुगीन भारतीय राजाओं द्वारा बहरूपियों को जासूसों के रूप में भर्ती किया जाता था।
- बहरूपियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सात नए मंडल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए मंडलों की घोषणा की है।

इन नए मंडलों के संदर्भ में जानकारी

- यह पुरातात्विक स्मारकों के परिरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने में मदद करेगा।
- मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए मंडल बनाए गए हैं।
- त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए मंडल के रूप में घोषित किया गया है।
- कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप-मंडल को अब एक नए पूर्ण मंडल के रूप में विकसित किया गया है।
- इससे पहले देश भर में 29 ए.एस.आई. मंडल थे।



संबंधित जानकारी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में जानकारी

- ए.एस.आई., संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

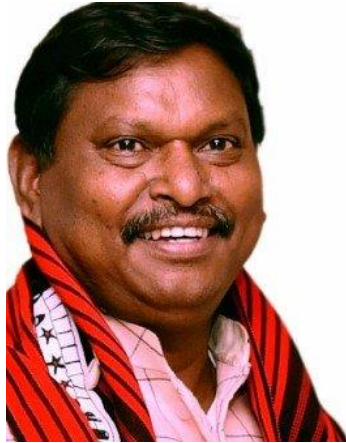
स्काॅच गोल्ड पुरस्कार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को “आई.टी. सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तीकरण” हेतु 66वाँ स्काॅच गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- 66वीं स्काॅच 2020 प्रतियोगिता “डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड के प्रति भारत की प्रतिक्रिया” की हकदार थी।

स्काॅच गोल्ड पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था और उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त मील आगे जाते हैं।
- यह डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश, प्रशासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को पहचानता है।



- यह उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त मील आगे जाते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

टाइम कैप्सूल

खबरों में क्यों?

- अयोध्या में राम मंदिर के लिए आधारशिला रखे जाने के बाद, राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट द्वारा योजना के बारे में उभरकर आए दावों और खंडन को टाइम कैप्सूल, या 'काल पत्र' में रखा गया है।

टाइम कैप्सूल क्या है?

- यह किसी भी आकार या आकृति का एक पात्र है, जो मौजूदा युग के दुर्लभ दस्तावेजों, फोटो और कलाकृतियों को समायोजित करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका पता लगाने हेतु इसे भूमिगत दफन किया जाता है।
- टाइम कैप्सूल के लिए विशेष इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है जिससे कि एक सदी के बाद भी बाहर निकाले जाने पर भी सामग्री का क्षय न हो।



उपयोग की गई सामग्री

- इसका कोषस्थीकरण करने के लिए एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है और दस्तावेजों को प्रायः अम्ल-मुक्त कागज पर पुनर्उत्पादित किया जाता है।

भारत में अन्य स्थान जहां इन कैप्सूलों का उपयोग किया जाता है

- एक बार कैप्सूल को लाल किले के बाहर रखा गया था और 1972 में इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भूमिगत रखा गया था, जिसे बाद की सरकार द्वारा खोदा गया था।
- दूसरी बार कैप्सूल को मुंबई के एक स्कूल में, आई.आई.टी.- कानपुर, जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गांधीनगर में महात्मा मंदिर में रखा गया है।
- हाल ही में, 6 मार्च, 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आई.आई.टी. कानपुर परिसर में टाइम कैप्सूल को दफन किया है।
- संस्थान के इस हवाई नक्शे में 1961, 1984 और 2008 की वार्षिक रिपोर्टें, छात्रावास के भोजनालय का मीनू, आई.आई.टी. कानपुर पर एक फिल्म की डी.वी.डी., ब्लेज़र क्रेस्ट, सुनील शांबाग द्वारा किए गए साक्षात्कारों की कुछ तस्वीरें और मौखिक रिकॉर्ड टाइम कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं।

टाइम कैप्सूल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इसे दिसंबर, 2017 में स्पेन के एक चर्च में मरम्मत कार्य के दौरान जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा के अंदर इतिहासकारों ने पाया था, यह 1777 के पहले के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है, "टाइम कैप्सूल" शब्द को 20वीं शताब्दी में गढ़ा गया था।
- अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय टाइम कैप्सूल सोसाइटी (आई.टी.सी.एस.) की स्थापना 1990 में की गई थी और यह अब संचालन में नहीं है लेकिन दुनिया में टाइम कैप्सूल की संख्या का अनुमान लगाती रहती है।
- इसके डेटाबेस के अनुसार, पूरे विश्व में "10,000-15,000 टाइम कैप्सूल" हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

पोक्कली चावल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में दो किसान सुंदरबन के विशाल क्षेत्रों में धान के खेतों में गंभीर समुद्री जल की बाढ़ से उत्पन्न संकट जैसी स्थिति पर काबू पाने के लिए केरल से चावल की पोक्कली किस्म पर दांव लगा रहे हैं।



पोक्कली चावल के संदर्भ में

- चावल की पोक्कली किस्म खारे पानी के लिए अपने प्रतिरोध हेतु जानी जाती है और तटीय अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और थ्रिशूर जिलों के चावल के खेतों में पनपती है।
- इसे भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग भी मिलेगा।

- वितिला-11, वितिला में केरल कृषि विश्वविद्यालय के फील्ड स्टेशन से निकलने वाली पोक्कली चावल की नवीनतम किस्म है।
- वितिला-11, पिछली किस्मों की तुलना में लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर बेहतर उपज का वादा करती है।
- केरल में लोकप्रिय ज्योति किस्म के चावल के साथ प्रजनन करके इसे विकसित किया गया है।
- फसल की अवधि लगभग 110 दिन है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

राजव्यवस्था और शासन

ग्रामोद्योग विकास योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है।



कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इस कार्यक्रम में प्रारंभ में देश के एक उत्तर पूर्वी हिस्से सहित चार परीक्षण परियोजनाएं शामिल होंगी।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन है, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती निर्माण मशीनों के साथ प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा।

लाभ:

- गांवों और छोटे शहरों में अगरबत्ती निर्माण का पुनरुद्धार होगा
- पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार उत्पन्न होगा और मजदूरी में वृद्धि होगी
- स्वदेशी 'उत्पादन और मांग' के बीच अंतर का शमन होगा
- देश में 'अगरबत्ती' के आयात में कमी आएगी

संबंधित जानकारी

ग्रामोद्योग विकास योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के दो घटकों में से एक है, जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

ग्रामोद्योग विकास योजना के घटक

- अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद नवाचार:** उन संस्थानों को आर एंड डी समर्थन प्रदान किया जाएगा जो उत्पाद विकास, नए नवाचार, डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण प्रक्रियाओं आदि को आगे ले जाने का इरादा रखते हैं।
- ग्राम उद्योगों के मौजूदा समर्पित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियाँ:** इसमें कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग शामिल हैं।

- c) **विपणन और प्रचार:** गांव के संस्थानों को उत्पाद सूची, उद्योग निर्देशिका, बाजार अनुसंधान, नई विपणन तकनीक, खरीदार विक्रेता मुलाकात, प्रदर्शनियों का आयोजन आदि की तैयारी के द्वारा बाजार का समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- d) **क्षमता निर्माण:** मानव संसाधन विकास और कौशल प्रशिक्षण घटकों के अंतर्गत, कर्मचारियों के साथ-साथ कारीगरों का विशेष क्षमता निर्माण किया जाएगा।

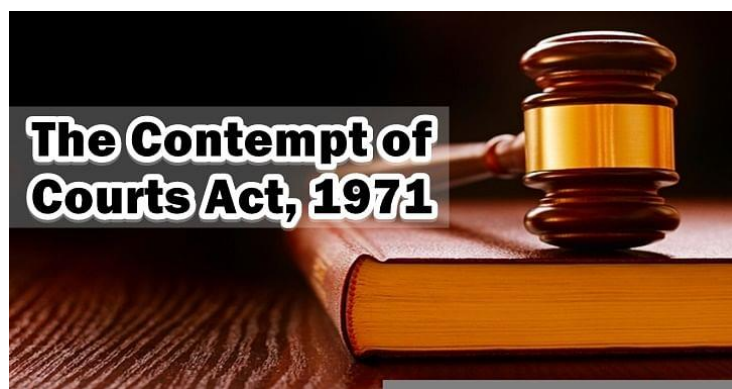
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

अदालत की अवमानना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अधिवक्ता-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है।



इस प्रावधान के लिए क्या तर्क है?

- अदालत की अवमानना, एक अवधारणा के रूप में है, जो न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने की कोशिश करती है और एक कानूनी तंत्र के रूप में उनको दंडित करती है जो इसके प्राधिकरण को नीचा दिखाते हैं, यह वर्तमान में भारत में पुनः खबरों में है।

अवमानना की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई थी?

- अदालत की अवमानना की अवधारणा कई सदियों पुरानी है।
- इंग्लैंड में, यह एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो राजा की न्यायिक शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करता है, जो प्रारंभ में स्वयं इसके द्वारा प्रयोग की जाती थीं और बाद में इसके नाम पर काम करने वाले न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा प्रयोग की जाती थीं।
- न्यायाधीशों के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में माना जाता था।
- समय के साथ, न्यायाधीशों के प्रति किसी भी प्रकार की अवज्ञा या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना या उनके प्रति अनादर दर्शाने वाली टिप्पणियां और कार्य दंडनीय बन गए थे।

अदालत की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है?

- ये भारत में अवमानना के स्वतंत्रता के पहले के कानून थे।
- जब संविधान को अपनाया गया था तो अदालत की अवमानना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध के रूप में लगाया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति प्रदान की है, जब कि अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संगत शक्तियां प्रदान की हैं।

- अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, इस विचार को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

अदालत की अवमानना के प्रकार क्या हैं?

अवमानना संहिता कानून इसे इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

- a) अदालत की नागरिक अवमानना
- b) अदालत की आपराधिक अवमानना

अदालत की नागरिक अवमानना के संदर्भ में जानकारी

- यह तब की जाती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा करता है या जानबूझकर अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करता है।

अदालत की आपराधिक अवमानना के संदर्भ में जानकारी

इसके तीन रूप हैं:

- a) शब्द, संकेत और कार्य जो किसी भी अदालत के प्राधिकरण को "बंदनाम" करते हैं या "नीचा" दिखाते हैं
- b) पक्षपात या किसी भी न्यायिक कार्यवाही के साथ हस्तक्षेप करना
- c) न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या बाधा डालना

अदालत की अवमानना क्या नहीं है?

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग, अदालत की अवमानना नहीं होगी।
- किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद किसी न्यायिक आदेश की विशेषताओं पर कोई भी निष्पक्ष आलोचना नहीं करना

क्या सत्य, अवमानना के आरोप से बचाव है?

- कई सालों से, शायद ही सत्य को कभी अवमानना के आरोप के खिलाफ बचाव माना गया है।
- एक धारणा थी कि संस्थान की छवि के संरक्षण के नाम पर न्यायपालिका अपने व्यक्तिगत सदस्यों के बीच किसी भी कदाचार को छिपाने की प्रवृत्ति रखती है।
- अधिनियम को वर्ष 2006 में सत्य को एक वैध बचाव के रूप में पेश करने के लिए संशोधित किया गया था, यदि यह सार्वजनिक हित में था और इसे एक प्रामाणिक तरीके से लागू किया गया था।

सज़ा

- अदालत की अवमानना की सजा छह महीने तक की साधारण कारावास और/ या 2000 रुपए तक का जुर्माना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- राजनीति

स्रोत- द हिंदू

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त देखभाल, सहायता का निर्देश दिया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इस वैश्विक महामारी के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से अकेले रहने वाले या संगरोध में रहने वाले लोगों को देखभाल, सहायता और प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा है कि "सभी वृद्ध लोग जो पेंशन के लिए पात्र हैं, उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और इन पहचाने गए वृद्ध लोगों को संबंधित राज्यों द्वारा आवश्यक दवाएं, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य आवश्यक उत्पाद प्रदान किए जाने चाहिए।



संबंधित जानकारी

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं-

1. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आर.वी.वाई.)

- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष से वित्तपोषित है।
- इस निधि को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था।
- छोटे बचत खातों, पी.पी.एफ. और ई.पी.एफ. से सभी अस्वामिक धनराशियाँ इस कोष में हस्तांतरित की जाती हैं।
- आर.वी.वाई. योजना के अंतर्गत, बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित कम दृष्टि, श्रवण विकलांगता, दांत गिरना और लोकोमोटर विकलांगता जैसी आयु से संबंधित विकलांगताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सहायक जीवित उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- सहायता और सहायक उपकरण अर्थात् बेंत, कोहनी बैसाखी, वॉकर/ बैसाखी, ट्राईपॉइंड्स/ क्वैडपॉइंड्स, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेन्चर और चश्मा पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना को भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है

2. वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आई.पी.ओ.पी.)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग लोगों के कल्याण हेतु एक नोडल एजेंसी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) संचालित करता है, जो वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों और मृत्यु के मामलों में, जहां कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रतिमाह रुपये की केंद्रीय सहायता और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वी.पी.बी.वाई.)

- यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित है।

- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वी.पी.बी.वाई.) पहली बार वर्ष 2003 में शुरू की गई थी और फिर पुनः वर्ष 2014 में शुरू की गई थी।
- दोनों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जो सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देने का इरादा रखती हैं।

5. प्रधानमंत्री आवास वया वंदना योजना

- वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मई, 2017 में प्रधानमंत्री वया वंदना योजना (पी.एन.वी.वी.वाई.) शुरू की गई थी।
- यह वी.पी.बी.वाई. का सरलीकृत संस्करण है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, 1000 रूपए की न्यूनतम पेंशन के लिए 1,50,000 रूपए की एकमुश्त प्रारंभिक राशि के भुगतान पर और 5000 रूपए की अधिकतम पेंशन के लिए 7,50,000 रूपए के एकमुश्त भुगतान पर सदस्यों को मासिक/ तिमाही/ छमाही/ वार्षिक रूप से भुगतान किए गए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गारंटीकृत रिटर्न की दर के आधार सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
- जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केंद्र कुल बजट का 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत का योगदान देंगी।

6. वायुश्रेष्ठ सम्मान

- यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- यह योजना उन वरिष्ठों नागरिकों पर केंद्रित है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने प्रयासों को पहचाना हैं।
- इसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपग्रेड किया गया था और तब से 13 श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

7. रिवर्स मॉर्टगेज योजना

- यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2007 में शुरू की गई थी।
- वे अपनी आवासीय संपत्ति को घर की कीमत के 60% के ऋण के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए गिरवी रख सकते हैं।

8. बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान

- बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भारत के संविधान में डी.पी.एस.पी. के अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 प्रदान किए गए हैं।
- हालांकि कानून के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन यह कोई भी कानून को बनाते समय राज्य के प्रति सकारात्मक दायित्व का निर्माण करते हैं।

9. कानूनी प्रावधान

- हिंदू विवाह एवं दत्तक अधिनियम, 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता का अनुरक्षण करने के लिए इसे अनिवार्य प्रावधान बनाता है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से रखरखाव का दावा कर सकते हैं।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 बच्चों या वारिसों को अपने माता-पिता या परिवार के वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण करने के लिए इसे वैध बनाना चाहता है।

10. अंतर्राष्ट्रीय पहल

- संयुक्त राष्ट्र में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन प्रस्तावित किया गया है।
- वर्ष 1982 में, एजिंग पर विश्व सभा की रिपोर्ट (जिसे "अंतर्राष्ट्रीय एजिंग योजना" के रूप में भी जाना जाता है) प्रकाशित हुई थी, जिसने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का प्रतिनिधित्व किया था और उनके कार्यान्वयन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी।
- यू.एन.एफ.पी. को दूसरी विश्व सभा की योजना को लागू करने का काम सौंपा गया था, जिसने वर्ष 2002 में एजिंग पर "मैट्रिड अंतर्राष्ट्रीय योजना" को अपनाया है।

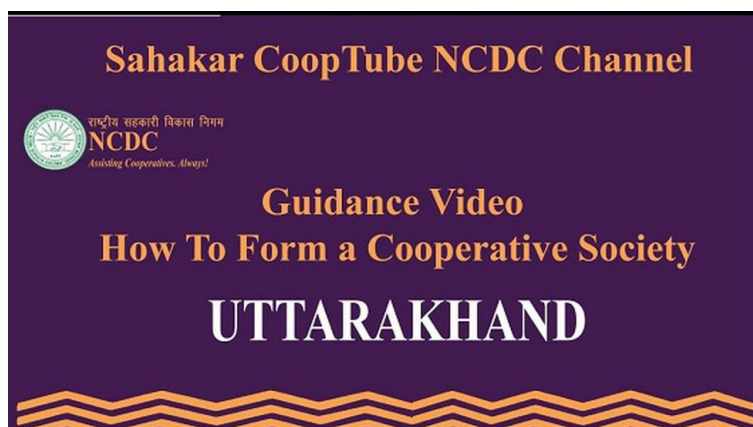
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

सहाकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का यूट्यूब चैनल, 'सहाकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया' शुरू किया है।



- 18 राज्यों को कवर करने वाली विभिन्न भाषाओं में गाइडेंस वीडियो 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देने और बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रमुख पहल को मजबूत और गहन करेंगे।
- समय की शेष अवधि में अधिक राज्यों को यूट्यूब पर सहकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया चैनल पर मार्गदर्शन वीडियो के संग्रह में जोड़ा जाएगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संदर्भ में जानकारी

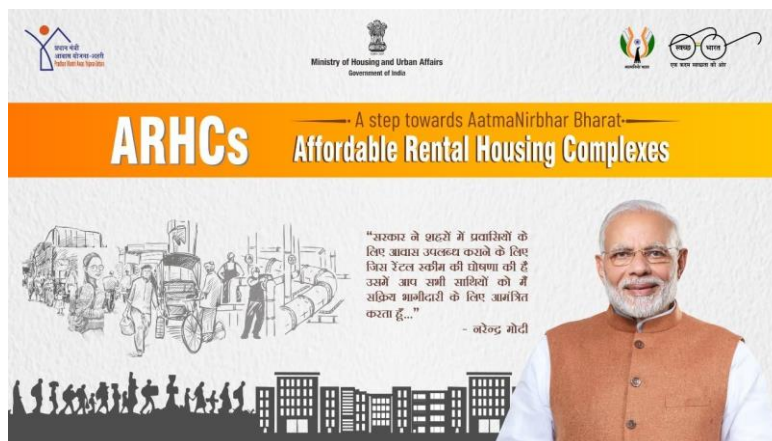
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) 13 मार्च, 1963 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निगम है।
- एन.सी.डी.सी. के उद्देश्य कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और बढ़ावा देना हैं और अन्य अधिसूचित निश्चित उपयोगिता की वस्तुओं और सहकारी सिद्धांतों और अन्य संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देना है।
- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष स्तर की वैधानिक संस्था है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक

- केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए.आर.एच.सी.) नॉलेज पैक जारी किया है।
- इसमें देश में शहरी प्रवासियों को ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन शामिल हैं।



संबंधित जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए.आर.एच.सी.) नॉलेज पैक को मंजूरी प्रदान की थी। ए.आर.एच.सी., प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप योजना है।
- किफायती हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना को देश में दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
 - A. पहले मॉडल के अंतर्गत मौजूदा सरकार, खाली मकानों को वित्त पोषित करके 25 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से ए.आर.एच.सी. में बदल देंगी।
 - B. दूसरे मॉडल के अंतर्गत ए.आर.एच.सी. का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा 25 वर्षों की अवधि के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर किया जाएगा।
- इस योजना से न केवल शहरी प्रवासियों और गरीबों को लाभ होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेंटल हाउसिंग बाजार में उद्यमिता और निवेश में तेजी आएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21

खबरों में क्यों है?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21' का शुभारंभ किया है।



विद्यार्थी विज्ञान मंथन (वी.वी.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान, एन.सी.ई.आर.टी. के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, यह विज्ञान प्रसार के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल है।
- यह कक्षा 6 से 11 के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- इसे छात्र समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तेज दिमाग वाले बच्चों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा को पहचानने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफार्म भी प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नैस

स्रोत- पी.आई.बी.

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टी.ओ.पी.एस.)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार ने देश के होनहार जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टी.ओ.पी.एस.) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य इन युवा प्रतिभाओं को वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक में पदक जीतने के लिए तैयार करना है।



टारगेट ओलंपिक पोटियम योजना के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के 'मिशन ओलंपिक सेल' (एम.ओ.सी.) ने टी.ओ.पी.एस. जूनियर के लिए 12 खेल विषयों में 258 एथलीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें लॉकडाउन से पहले चुने गए 85 शामिल हैं, जो 'विकासशील समूह' का हिस्सा होंगे।
- चयनित एथलीटों को 25,000 रुपये का मासिक 'आउट ऑफ पॉकेट' भत्ता मिलेगा।
- 12 विषयों में से, 70 एथलीटों को निशानेबाजी में, 16 को एथलेटिक्स में, 34 को तीरंदाजी में, 27 को बैडमिंटन में, 4 को साइक्लिंग में, 7 को टेबल टेनिस में, 14 को तैराकी में, 11 को जूडो में, 36 को मुक्केबाजी में, 16 को भारोत्तोलन में, 5 को रोइंग में और 18 को कुश्ती में शॉर्टलिस्ट किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

हिंदू महिलाओं के विरासत के अधिकार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी और पुरुष उत्तराधिकारियों के बराबर शर्तों पर विरासत पैतृक संपत्ति के लिए हिंदू महिलाओं के अधिकारों का विस्तार किया है।



आदेश क्या है?

- न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति के लिए एक संयुक्त उत्तराधिकारी होने के लिए एक हिंदू महिला का अधिकार जन्म से है और यह निर्भर नहीं करता है कि वर्ष 2005 में कानून लागू होने के समय उसके पिता जीवित थे या नहीं जीवित थे।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने हिंदू महिलाओं को एक पुरुष उत्तराधिकारी के समान उत्तराधिकारी या संयुक्त कानूनी वारिस होने का अधिकार प्रदान किया है।
- चूंकि समान उत्तराधिकार जन्म से है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता का हमवारिस 9.9.2005 तक जीवित रहना चाहिए।

2005 का कानून क्या है?

- हिंदू कानून के मितक्षरा स्कूल को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है और उत्तराधिकार और संपत्ति की विरासत को शासित करता है लेकिन केवल कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पुरुषों को मान्यता प्रदान की गई है।
- यह कानून उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी को भी इस कानून के उद्देश्यों के लिए हिंदू माना जाता है।

- एक हिंदू अविभाजित परिवार में, पीढ़ियों के माध्यम से कई कानूनी वारिस संयुक्त रूप से मौजूद हो सकते हैं।
- परंपरागत रूप से, अपनी माता, पत्नी और अविवाहित बेटियों के साथ एक सामान्य पूर्वज के केवल पुरुष वंशज को एक संयुक्त हिंदू परिवार माना जाता है।
- कानूनी वारिस, संयुक्त रूप से परिवार की संपत्ति रखते हैं।
- महिलाओं को 2005 से उत्पन्न होने वाले विभाजन के लिए समान उत्तराधिकारी या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- अधिनियम की धारा 6 में उस वर्ष "पुत्र के समान अपने अधिकार" में एक समान उत्तराधिकारी की पुत्री को जन्म से हमवारिस बनाने के लिए संशोधन किया गया था।
- कानून ने बेटों को "सहभागी संपत्ति में वैसे ही समान अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए हैं जैसे कि उसे बेटे होने पर प्राप्त होते"।
- यह कानून पैतृक संपत्ति पर लागू होता है और व्यक्तिगत संपत्ति में निर्वसीयत उत्तराधिकार- जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है न कि एक वसीयत के माध्यम से होता है, को लागू करता है।

विधि आयोग की सिफारिश

- 174वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी हिंदू उत्तराधिकार कानून में इस सुधार की सिफारिश की थी।
- वर्ष 2005 के संशोधन से पहले ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव किया था और केरल ने 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 (एस.ई.पी. 2.0)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.), नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीस के साथ मिलकर अटल टिकरिंग लैब्स (ए.टी.एल.) के युवा नवोन्मेषकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 (एस.ई.पी. 2.0) लॉन्च किया है।



छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 के संदर्भ में जानकारी

- एस.ई.पी. 2.0, छात्र नवोन्मेषकों को डेल स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा।

उन्हें इसके साथ प्रदान किया जाएगा:

- A. प्रशिक्षक का समर्थन
- B. प्रतिकृति और परीक्षण समर्थन
- C. अंत उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया
- D. बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों का पेटेंट

E. प्रक्रियाएं और उत्पाद

F. विनिर्माण समर्थन के साथ-साथ बाजार में उत्पाद का लॉन्च समर्थन

संबंधित जानकारी

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 1.0

- यह जनवरी, 2019 में शुरू हुआ था।
- 10 महीने लंबे कठोर कार्यक्रम के माध्यम से, ए.टी.एल. मैराथन की शीर्ष 6 टीमों- एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है, जहां छात्र सामुदायिक चुनौतियों की पहचान करते हैं और अपने ए.टी.एल. के भीतर जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान निकालते हैं।
- उन्हें अपने अभिनव प्रोटोटाइप को पूर्णतया उत्पादों में बदलने का अवसर मिला है, जो अब बाजार में उपलब्ध हैं।

संबंधित जानकारी

अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 2016 में ऐसे संस्थानों और कार्यक्रमों का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है जो स्कूलों और कॉलेजों में नवाचारों को और सामान्य रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।

अटल टिंकरिंग लैब्स (ए.टी.एल.)

- इन्हें अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवा दिमागों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, गणनात्मक सोच, अनुकूलतम शिक्षा, शारीरिक गणना जैसे कौशल विकसित करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम, 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने "वास्तुकला शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक, 2020" लॉन्च किए हैं।
- ये विनियमन वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं।



नया विनियमन

- नए विनियमों के अनुसार, वास्तुकला पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 5 शैक्षणिक वर्ष या प्रत्येक 15 से 18 कार्यकारी सप्ताह (90 कार्यदिवस) के 10 सेमेस्टर होनी चाहिए।

मानदंड

- पाठ्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के 10+2 स्तर की परीक्षा के कुल अंकों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए या गणित के साथ अनिवार्य विषय के रूप में 10+3 डिप्लोमा की परीक्षा कुल अंकों के 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को परिषद द्वारा वास्तुकला में आयोजित एक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.) के संदर्भ में जानकारी:

- वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.), भारत सरकार द्वारा वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- अधिनियम में वास्तुकार के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों, मान्यता प्राप्त योग्यता और अभ्यास के मानकों का अनुपालन प्रैक्टिसिंग वास्तुकार द्वारा किया जाना चाहिए।
- वास्तुकला परिषद को वास्तुकार के रजिस्टर को बनाए रखने के अतिरिक्त पूरे भारत में व्यवसाय की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

स्वच्छ भारत मिशन अकादमी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जल मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है।
- यह वर्तमान में चल रहे सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान 'गंदगी मुक्त भारत' का एक हिस्सा है।



स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के संदर्भ में जानकारी

- यह फोन-आधारित अकादमियां हैं, जो उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेंगी।
- यह खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ एक इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉंस (आई.वी.आर.) आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और इसमें 60 मिनट का एक मॉड्यूल शामिल है जिसमें ओ.डी.एफ. के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक प्रसारित हैं।
- अब तक स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की सामग्री हिंदी में है।

महत्व

- इससे स्वच्छग्रहियों के साथ-साथ पी.आर.आई. सदस्यों, समुदाय-आधारित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, एस.एच.जी. और अन्य लोग, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण 2 से जुड़े हुए हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-2 में रेखांकित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।
- यह लाभार्थियों के साथ बातचीत की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञान और पारस्परिक संचार कौशल को भी बेहतर बनाता है।

संबंधित जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना और गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) और स्वच्छ बनाना है।
- यह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण

- यह मिशन 2020 में शुरू किए गए एस.बी.एम.जी. अर्थात् ओ.डी.एफ.-प्लस के अगले चरण 2 की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुले में शौच मुक्त व्यवहार स्थायी बना रहे, कोई भी पीछे न छूटे और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) सुविधाएं सुलभ हों।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नैस

स्रोत- पी.आई.बी.

नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (एन.आई.आई.ओ.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (एन.आई.आई.ओ.) का शुभारंभ किया है।



नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन के संदर्भ में जानकारी

- यह त्रिस्तरीय संगठन है।
- नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एन.-टी.ए.सी.), नवाचार और स्वदेशीकरण के जुड़ाव पहलुओं को एक साथ लाएगा और सर्वोच्च स्तर के निर्देश प्रदान करेगा।
- एन.-टी.ए.सी. के अंतर्गत एक कार्यकारी समूह परियोजनाओं को लागू करेगा।

- त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (टी.डी.ए.सी.) का भी गठन किया गया है।
- एन.आई.आई.ओ. ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण पर जोर देने की दिशा में शिक्षा और उद्योग के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने हेतु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए समर्पित संरचनाओं को स्थापित किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड "आदिवासियों को सशक्त बनाना, भारत को बदलना"

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटी.ए.) द्वारा ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड "आदिवासियों को सशक्त बनाना, भारत को बदलना" विकसित किया है।



ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड के संदर्भ में जानकारी

- इस डैशबोर्ड को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) के अंतर्गत डेटा विश्लेषिकी के उत्कृष्टता केंद्र (सी.ई.डी.ए.) संगठन द्वारा डोमेन नाम (<http://dashboard.tribal.gov.in>) के साथ विकसित किया गया है।
- यह एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की 11 योजनाओं/पहलों के अपडेटेड और वास्तविक समय के विवरणों को प्रदर्शित करता है।
- डैशबोर्ड, मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन को कैप्चर करता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख वंचित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 2500 करोड़ का लाभ मिलता है।
- यह डैशबोर्ड, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) योजना के अंतर्गत कार्यात्मक स्कूलों के विवरण, निर्माणाधीन स्कूलों और विभिन्न ई.एम.आर.एस. स्कूलों में छात्रों के जिलेवार विवरण को प्रदर्शित करता है।
- यह डैशबोर्ड जिलेवार एन.जी.ओ. विवरण, एन.जी.ओ. को प्रदान की गई निधि और लाभार्थियों के विवरण का मानचित्रण करता है।
- सभी योजनाओं और पहलों के लिए, प्रत्येक योजना के सापेक्ष जिला स्तर तक की जानकारी संकलित की गई है।

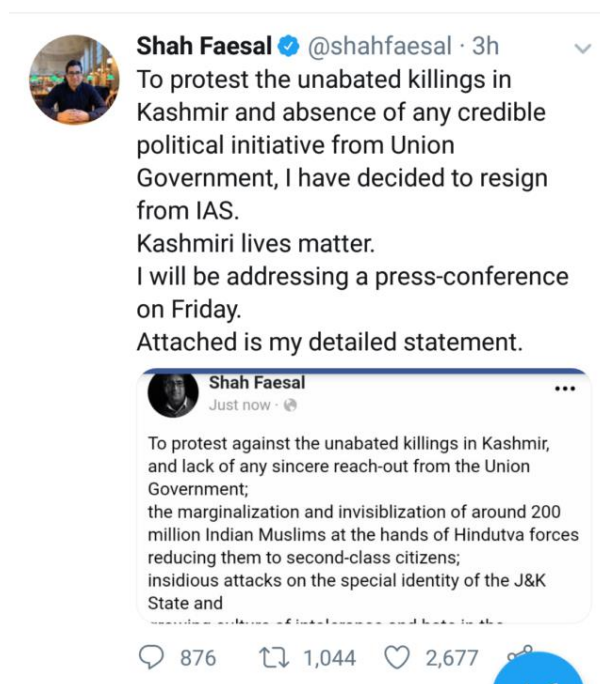
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

एक आई.ए.एस. अधिकारी के इस्तीफे के नियम

खबरों में क्यों है?

- आई.ए.एस. से इस्तीफा देने के डेढ़ साल बाद शाह फैजल ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) पार्टी के अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया है और पूर्ण रूप से राजनीति छोड़ दी है।
- उनका इस्तीफा कभी भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि आई.ए.एस. में पुनः नियुक्त होने के लिए "उनके लिए दरवाजा खुला है"।



संबंधित जानकारी

- तीन अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) में से किसी भी सेवा के अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 5(1) और 5(1)(a) द्वारा शासित हैं।
- अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए भी समान नियम हैं।

इन्हें किस अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए?

राज्य में सेवारत अधिकारी

- कैडर (राज्य) में सेवारत एक अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवारत अधिकारी

- एक अधिकारी, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, उसके लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना आवश्यक है।
- मंत्रालय/ विभाग अपनी टिप्पणी/ सिफारिशों के साथ संबंधित राज्य कैडर को अधिकारी का इस्तीफा भेजता है।

इस्तीफा सौंपने के बाद क्या प्रक्रिया है?

- इस्तीफे से निपटने के दौरान राज्य, अधिकारी के खिलाफ बकाया और अधिकारी की सतर्कता स्थिति की जांच करता है।

- केंद्र सरकार को इस्तीफा देने से पहले संबंधित राज्य को इन दोनों मुद्दों पर अपनी सिफारिश के साथ सूचना भेजनी चाहिए।
- अधिकारी के इस्तीफे पर संबंधित केंद्र की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकरण अर्थात् केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकरण हैं

- A. आई.ए.एस. के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में राज्य मंत्री
- B. आई.पी.एस. के संबंध में गृह मामलों के मंत्री
- C. वन सेवा के संबंध में पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

किन परिस्थितियों में इस्तीफा स्वीकार किया जाता है?

- दिशानिर्देश कहते हैं कि किसी अनिच्छुक अधिकारी को बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, सेवा से किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है:
 - A. जहां एक अधिकारी निलंबन के अधीन होता है और वह अपना इस्तीफा सौंपता है तो सक्षम प्राधिकरण को सेवा के सदस्य के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले की योग्यता के संदर्भ में जांच करनी चाहिए कि क्या यह इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक हित में होगा या नहीं होगा।
 - B. ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस्तीफे खारिज कर दिए गए हैं क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले लंबित थे।
 - C. ऐसे मामलों में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति भी प्राप्त की जाती है।
 - D. यह भी देखा जाता है कि क्या अधिकारी ने दिए गए विशेष प्रशिक्षण, फेलोशिप या पढ़ाई के लिए दी गई छात्रवृत्ति के कारण निर्दिष्ट वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने के लिए किसी भी बांड को निष्पादित किया था।

क्या इस्तीफा वापस लिया जा सकता है?

- इस नियम को 2013 में संशोधित किया गया था जिससे कि इस्तीफे की स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर इस्तीफा वापस लिया जा सके। नियम 5 (1a) (i) कहता है कि केंद्र सरकार, किसी अधिकारी को "जनहित में" अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है।

स्वीकृति से पहले इस्तीफा वापस लेने के संदर्भ में जानकारी?

- दिशानिर्देश कहते हैं कि यदि किसी अधिकारी ने अपना इस्तीफा सौंपा है, तो यदि वह सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति से पहले इसे वापस लेने के लिए लिखित में एक सूचना भेजता है तो इस्तीफे को स्वचालित रूप से वापस ले लिया गया माना जाएगा।

नोट:

- पिछले महीने, पंजाब सरकार के एक प्रमुख सचिव ने अपना इस्तीफा सौंप था, लेकिन इसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खारिज कर दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नीति आयोग ने छात्रों के लिए 'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' लॉन्च किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 'ए.टी.एल. ए.आई. मॉड्यूल', अटल नवाचार मिशन, नैसकॉम के सहयोग से नीति आयोग के माध्यम से स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) लाने की एक अनूठी पहल को सफलतापूर्वक लांच करने के बाद छात्रों के लिए 'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' लॉन्च किया गया है।



'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' के संदर्भ में जानकारी

- इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) शिक्षा और नवाचार को देश भर के स्कूलों में अगले स्तर तक संचालित करना है।
- यह मॉड्यूल ए.आई. को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और यह फरवरी, 2020 में लॉन्च किए गए ए.आई. आधारभूत मॉड्यूल का उत्तराधिकारी है।
- इस नए लॉन्च के साथ परियोजनाओं और गतिविधियों के हस्तांतरण के माध्यम से स्टेप-अप मॉड्यूल, ए.आई. की गहन समझ को प्रोत्साहित करता है, जिसे वास्तविक दुनिया में लागू किया जा सकता है।
- स्टेप-अप मॉड्यूल को पिछले ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है और छात्रों का ध्यान एकाग्रचित रखने के लिए इंटरैक्टिव उपकरण और गतिविधियों का उपयोग करते हुए छात्रों को अवधारणाओं का परिचय देता है।
- यह मॉड्यूल, ए.आई. को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और इस वर्ष फरवरी में लॉन्च किए गए ए.आई. आधारभूत मॉड्यूल का उत्तराधिकारी है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के संदर्भ में जानकारी

- यह 1988 में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का एक व्यापारिक संघ है।
- नैसकॉम की सदस्यता में विदेशी कंपनियों के भारतीय शाखा कार्यालय भी शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.) द्वारका, नई दिल्ली के नए भवन का उद्घाटन किया है।

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण, भिखारी रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।



- यह दवा मांग न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान भी करता है।
- एन.आई.एस.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।
- एन.आई.एस.डी. के तीन मुख्य प्रभाग हैं, जिनके नाम:
 - A. नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय केंद्र (एन.सी.डी.ए.पी.)
 - B. वृद्धावस्था देखभाल प्रभाग
 - C. सामाजिक रक्षा

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की स्थापना मूलतः 1961 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सुधार सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1975 से यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय था।
- यह 2002 की भारत सरकार की स्वायत्तशासी निकाय अधिसूचना बन गई है और यह एन.सी.टी. की सरकार, दिल्ली के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

स्वास्थ्य पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई-पोर्टल लॉन्च किया है।



स्वास्थ्य पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पिरामल स्वास्थ्य, उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से विकसित किया है।
- यह भारत की आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी के लिए इस प्रकार का पहला व्यापक प्लेटफार्म है।
- इसमें एक डैशबोर्ड, ज्ञान भंडार, साझेदार खंड, सिकेल कोशिका बीमारी (एस.सी.डी.) सपोर्ट कॉर्नर है।
- यह सिकेल कोशिका रोग या लक्षण वाले लोगों को खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संबंधित जानकारी

सिकेल कोशिका रोगों के संदर्भ में जानकारी

- यह रक्त की एक जन्मजात बीमारी है, जो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे सामान्य है।
- यह विकारों का एक समूह है, जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में अणु होते हैं, जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं।
- इस बीमारी वाले लोगों में हीमोग्लोबिन S नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकेल या अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं।
- यह रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है।

लक्षण

- यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, जिसे सिकेल कोशिका संकट कहा जाता है। संक्रमण और थकान इसके अन्य लक्षण हैं।

इलाज

- दवा, रक्त संक्रामण और दुर्लभ परिस्थितियों में अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण

संबंधित जानकारी

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत में आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर त्रैमासिक ई-समाचार पत्र 'आलेख' भी जारी किया है।

नोट:

- विश्व सिकेल कोशिका दिवस 2020 को प्रत्येक वर्ष 19 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर, 2008 को सिकेल कोशिका रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव अपनाया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- पी.आई.बी.

फिट इंडिया यूथ क्लब पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब की एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है।



फिट इंडिया यूथ क्लब के संदर्भ में जानकारी

- यह फिट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य फिटनेस के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की शक्ति का दोहन करना है।
- इस पहल के अंतर्गत, नेहरू युवा केंद्र संगठन और अन्य युवा संगठनों के स्वयंसेवक देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण करने के लिए एक साथ आगे आएंगे।
- क्लब का प्रत्येक सदस्य तब समुदाय के लोगों और स्कूलों में फिटनेस गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा।

संबंधित जानकारी

फिट इंडिया आंदोलन के संदर्भ में जानकारी

- इसे युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

नोट:

- प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

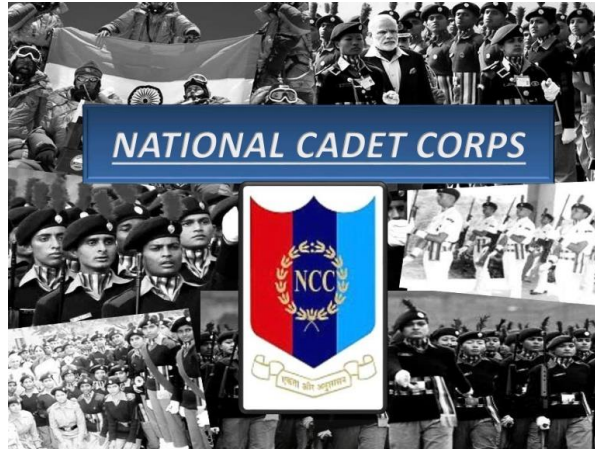
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने सभी सीमा और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विस्तार योजना के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- योजना के प्रस्तावों की घोषणा 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी।



विस्तार योजना:

- विस्तार योजना के हिस्से के रूप में, सीमा और तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 83 एन.सी.सी. इकाइयों (थलसेना 53, नौसेना 20, वायु सेना 10) को अपग्रेड किया जाएगा।
- एन.सी.सी. में 173 सीमा और तटीय जिलों से कुल एक लाख कैडेट शामिल किए जाएंगे। एक तिहाई कैडेट, महिला कैडेट होंगी।
- सीमा और तटीय जिलों में 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एन.सी.सी. की शुरुआत की जाएगी।
- सेना, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी, नौसेना, तटीय क्षेत्रों में स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी और समान प्रकार से, वायु सेना स्टेशनों के निकट स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को वायु सेना सहायता प्रदान करेगी।
- विस्तार योजना को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय कैडेट कोर के संदर्भ में जानकारी

- यह 1948 में गठित किया गया था, जो स्वैच्छिक आधार पर हाईस्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करेगा और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।
- यह तीन सितारा सैन्य रैंक के महानिदेशक के नेतृत्व में संचालित है।
- यह रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के क्षेत्र में आता है और विभिन्न पदानुक्रमिक पदों पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

यू.के. ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है।

खबरों में क्यों है?

- यू.के. सरकार ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में £3 मिलियन का नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है।



नवाचार चुनौती कोष के संदर्भ में जानकारी

- इस कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी सबसे तीव्र वैश्विक चुनौतियों और पर्यावरण के लिए खतरों से निपटने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करना है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य नवाचार और प्रौद्योगिकी को उत्प्रेरित करना है, जो वैश्विक चुनौतियों का संबोधित करेंगी।
- यह कोष यू.के.-इंडिया टेक साझेदारी पर निर्माण करने में मदद करेगा, जो वर्ष 2018 में भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

धनवंतरी रथ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनीयों में आयुर्वेद निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ए.आई.आई.ए.) और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- ये सेवाएं 'धनवंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर नाम की एक मोबाइल इकाई के माध्यम से प्रदान की जानी हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित ए.आई.आई.ए. द्वारा इन्हें संचालित किया जाना है।



धनवंतरी रथ के संदर्भ में जानकारी

- ये आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाई हैं, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी, जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेंगी।
- इन आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से विभिन्न बीमारियों की घटनाओं/ प्रसार के कम होने और अस्पतालों में रेफरल की संख्या को कम होने की उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली के साथ-साथ रोगी के लिए लागत कम की जा सके।

संबंधित जानकारी

आयुषाचार के संदर्भ में जानकारी

- यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस कार्मिकों जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को विनियमित करना है।

नोट:

- धनवंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर, ए.आई.आई.ए. की ओ.पी.डी. सेवाओं से आगे निकल जाएंगे और इसका उद्देश्य आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से दिल्ली पुलिस के परिवारों को लाभान्वित करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- ए.आई.आर.

पी.एम. केयर्स फंड

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट" के रूप में पी.एम. केयर्स फंड का समर्थन किया है, जिसमें दानदाता स्वेच्छा से योगदान करते हैं।

A look at some of the observations made by the top court

■ PM CARES Fund is a public charitable trust. Funds are voluntarily given	■ No need for CAG audit
■ There is no occasion to direct the transfer of PM CARES funds to NDRF	■ No need for a fresh National Disaster Management Plan to combat COVID-19
■ Donors can also contribute to the National Disaster Response Fund	■ No reason to lay down new 'minimum standards' of relief for COVID-19
■ Existing guidelines under Section 12 for minimum standards hold good	



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की मुख्य विशेषताएं

- अदालत ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि पी.एम. केयर्स का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.)- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पहले से ही अस्तित्व में वैधानिक निधि है, जो एक आपदा के खिलाफ लड़ाई को वित्त देने के लिए योगदान प्राप्त करने हेतु है, को "दरकिनार" करने के लिए किया गया था।
- अदालत ने पी.एम. केयर्स फंड से एन.डी.आर.एफ. को निधि हस्तांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है।

- यह कहा गया कि वे दो अलग-अलग संस्थाएँ हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पी.एम. केयर्स फंड का "सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट" के रूप में समर्थन किया है, जिसमें दानदाता स्वेच्छा से योगदान करते हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के लिए बजटीय सहायता या सरकारी धन से स्वतंत्र एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का ऑडिट करने का 'कोई अवसर' नहीं है।
- यह पी.आई.एल. याचिकाकर्ता के लिए "प्रज्ञता" पर सवाल उठाने के लिए "खुला नहीं है", जिसने आवश्यकता के समय पर निधि का निर्माण किया था।
- समय की इस आवश्यकता के लिए सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के गठन के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसका नाम पी.एम. केयर्स फंड है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) के गठन के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।



राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) के संदर्भ में जानकारी

- यह एक बहु-एजेंसी निकाय है, जो ग्रुप B और C (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने/ छंटनी करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी.ई.टी.) आयोजित करेगा।

Single exam	The National Recruitment Agency (NRA) will conduct a Common Eligibility Test (CET) for recruitment to government jobs
▪ The NRA will initially conduct the CET for three sectors – Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission and Institute of Banking Personnel Selection ▪ It will be held separately for three levels – graduate, 12th pass and 10th pass – for the non-technical posts of the three agencies ▪ Examination will be conducted online twice a year in 12 languages and will be based on a common curriculum	▪ Scores will be valid for a three-year period. Students can write the test multiple times and their best score will be taken into account ▪ According to the DoPT

- एन.आर.ए. में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग, एस.एस.सी., आर.आर.बी. और आई.बी.पी.एस. के प्रतिनिधि होंगे।
- यह परिकल्पना की गई है कि एन.आर.ए., एक विशिष्ट निकाय होगा, जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी।
- यह टेस्ट तीन स्तरों के लिए आयोजित किया जाएगा:
 - A. स्नातक
 - B. उच्चतर माध्यमिक (12वीं पास)
 - C. मैट्रिक पास (10वीं पास) उम्मीदवार
- हालांकि, वर्तमान भर्ती एजेंसियां- आई.बी.पी.एस., आर.आर.बी. और एस.सी.सी. यथावत बनी रहेंगी।
- भर्ती, सी.ई.टी. स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग पर आधारित होगी, भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा के पृथक विशिष्ट स्तरों (II, III आदि) के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- सी.ई.टी. के लिए पाठ्यक्रम एकसमान होगा।

सी.ई.टी. स्कोर कब तक मान्य होगा?

- किसी उम्मीदवार का सी.ई.टी. स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- वैध स्कोर के सर्वश्रेष्ठ को उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा।
- जब कि सी.ई.टी. में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यह अधिकतम आयु सीमा के अधीन होगा।
- हालांकि, एस.सी./ एस.टी./ ओ.बी.सी. और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

सी.ई.टी. का माध्यम क्या होगा?

- सी.ई.टी. कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा।
- परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्थायी निवास-आधारित नौकरी कोटा

खबरों में क्यों है?

- मध्य प्रदेश सरकार के "राज्य के बच्चों" के लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के हालिया निर्णय ने समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न उठाया है।



संविधान क्या कहता है?

- संविधान का अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के अंतर्गत समान उपचार की गारंटी प्रदान करता है, जो राज्य को जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि "कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय या रोजगार या इसके सापेक्ष भेदभाव के खिलाफ या अयोग्य नहीं होगा"।
- यह प्रावधान संविधान में अन्य धाराओं द्वारा पूरक है, जो समानता की गारंटी देती हैं।
- हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 16(3) यह कहकर एक अपवाद प्रदान करता है कि संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को "निर्धारित" करने के लिए एक कानून बना सकती है।
- यह शक्ति केवल संसद में निहित है, न कि राज्य विधानसभाओं में निहित है।

संविधान, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध क्यों लगाता है?

- जब संविधान लागू किया गया था तो भारत ने स्वयं को व्यक्तिगत रियासतों की भौगोलिक इकाई से एक राष्ट्र में परिवर्तित कर लिया था और भारतीय नागरिकता की सार्वभौमिकता के विचार ने जड़ें जमा लीं थीं।
- जैसा कि भारत में एकसमान नागरिकता है, जो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार देने के लिए जन्म स्थान या निवास स्थान की अनिवार्यता नहीं हो सकती है।

स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया है।
- वर्ष 1984 में, डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ केस में "मिट्टी के बेटों" के लिए कानून के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

- न्यायालय ने एक राय व्यक्त की थी कि इस प्रकार की नीतियां असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं किया था क्योंकि कि केस समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था।
- अनुच्छेद 16(2) के बावजूद, “कुछ राज्य “मिट्टी के बेटों” की नीतियों को अपना रहे हैं, जो रोजगार या नियुक्ति के लिए अधिवास या निवास की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण या वरीयता निर्धारित करती हैं।
- सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) केस में बाद के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने में प्रदीप जैन के पर्यवेक्षण की पुष्टि की थी, जिसमें तेलुगु भाषा में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था।
- वर्ष 2002 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था, जिसमें राज्य चयन बोर्ड ने “जिले या संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों” को वरीयता प्रदान की थी।
- वर्ष 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यू.पी.-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई एक भर्ती अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश की “मूल निवासी” महिलाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- राजनीति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.एस.) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी छूटने को प्रबंधित करने के लिए बेरोजगारी लाभ के रूप में तीन महीने की औसत मजदूरी के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के मानदंडों में छूट प्रदान की है।
- ई.एस.आई.सी. ने अपनी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड में छूट और बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है।



अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में जानकारी

- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक कल्याणकारी उपाय है।
- यह बीमित व्यक्तियों को नकद मुआवजा प्रदान करता है, जब वे बेरोजगार होते हैं।
- यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी।

योजना के अंतर्गत लाभ

- यह योजना पिछली चार योगदान अवधि (चार योगदान अवधि/ 730 के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रतिदिन की औसत कमाई के 25% की सीमा तक छूट प्रदान करती है, जो बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी का भुगतान करती है।

भत्ते की अवधि

- अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक बीमित व्यक्ति, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जीवनकाल में 90 दिनों में एक बार कम से कम दो वर्ष के बीमा योग्य रोजगार के बाद और अंशदायी शर्तों के अधीन होगा।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत का दावा, उसकी/ उसकी तीन महीने की बेरोजगारी के बाद देय होगा।
- बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत का भुगतान किया जाएगा। किसी भी संभावित दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि लाभार्थी को बेरोजगारी के तीन महीनों के बीच लाभकारी रोजगार मिलता है, जिसके लिए वह ए.बी.वी.के.वाई. के अंतर्गत राहत हेतु पात्र था, तो बेरोजगारी की तारीख और पुनः रोजगार की तारीख के बीच बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत देय होगी।

पात्रता

- कर्मचारी, ई.एस.आई. अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत शामिल हैं।
- बीमित व्यक्ति (आई.पी.) को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए था।
- बीमित व्यक्ति को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए था।
- उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए था।
- बेरोजगारी की आकस्मिकता, दुराचार या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी सजा के परिणामस्वरूप नहीं होनी चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- लाइव मिंट

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है।
- इस वर्ष 28 दिन पहले 4,000 से अधिक शहरों में स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया था।



रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है।
- 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार
- इंदौर (मध्य प्रदेश)
 - सूरत (गुजरात)
 - नवी मुंबई (महाराष्ट्र)
- 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार
- कराड (महाराष्ट्र)
 - सासवाड (महाराष्ट्र)
 - लोनावला (महाराष्ट्र)
- 100 से अधिक शहरों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य- छत्तीसगढ़
- 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य- झारखंड
- सबसे स्वच्छ गंगा शहर- वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
- 40 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे स्वच्छ मेगासिटी- अहमदाबाद (गुजरात)
- सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली सबसे स्वच्छ राजधानी- लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली स्व-स्थायी स्वच्छ राजधानी- भोपाल (मध्य प्रदेश)
- सबसे स्वच्छ गंगा शहर-
- कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
 - चुनार (उत्तर प्रदेश)
- 100 से अधिक शहरों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य- महाराष्ट्र
- 100 से कम शहरों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य- मध्य प्रदेश

संबंधित जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में जानकारी

- स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) या स्वच्छ भारत अभियान (एस.बी.ए.) या स्वच्छ भारत मिशन, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) में सुधार करने के लिए 2014 से 2019 तक एक देशव्यापी अभियान था।

उद्देश्य

- स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य, स्वच्छता और इसके महत्व के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है।
- मिशन के अन्य उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं:
- मैन्युअल रूप से सफाई कार्यों का उन्मूलन
- जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छता प्रथाओं के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन लाना
- स्थानीय स्तर पर क्षमता में वृद्धि

लक्ष्य

- इस मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2019 को "खुले में शौच मुक्त" (ओ.डी.एफ.) भारत को प्राप्त करना है।

एस.डी.जी. लक्ष्य

- यह मिशन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) के लक्ष्य 6.2 की ओर प्रगतिशील है।

मिशन दो भागों में विभाजित किया गया है:

- a. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), जिसकी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और निगरानी की गई थी।
- b. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसकी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (अब जलशक्ति मंत्रालय कहा जाता है) के माध्यम से वित्तपोषित और निगरानी की गई थी।

स्वच्छ भारत 2.0

- एस.बी.एम. का दूसरा चरण 2020-21 और 2024-25 के बीच एक मिशन मोड पर 52,497 करोड़ रुपये के अनुमानित केंद्रीय और राज्य बजट के साथ लागू किया जाएगा।
- यह खुले में शौच मुक्त प्लस पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस कार्यक्रम, विशेष रूप से ग्रे जल प्रबंधन के लिए मनरेगा के साथ जुटेगा और नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन को पूरा करेगा।
- केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझाकरण प्रारूप निम्न प्रकार होगा:
- पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 के अनुपात में
- अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में
- अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए, सभी घटकों के लिए 100:0 के अनुपात में

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

कोरोना फाइटर्स

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर कोरोना फाइटर्स नामक इस प्रकार का पहला इंटरैक्टिव अत्याधुनिक गेम लॉन्च किया है।



कोरोना फाइटर्स गेम के संदर्भ में जानकारी

- यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है।
- इस गेम को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाता रहे।

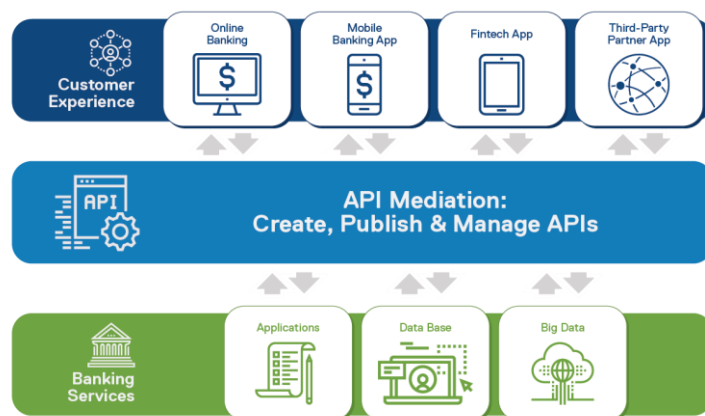
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- ए.आई.आर.

नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, आरोग्य सेतु ऐप ने व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कामकाज शुरू करने में मदद करने हेतु नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा नामक एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है।



- नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा, संगठनों को अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति की जांच करने और इसे अपने विभिन्न वर्क फ्रॉम होम फीचर में एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी।
- यह कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को भी संबोधित करता है और व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने में सहायता करेगा।
- नई सेवा का लाभ उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है, जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत हैं।
- संगठन नई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

आरोग्य सेतु के संदर्भ में जानकारी

- यह इस वर्ष 2 अप्रैल को लॉन्च किए जाने के बाद से कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को शक्ति प्रदान कर रहा है।
- यह मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

आरोग्य सेतु के उद्देश्य

- भारतीय नागरिकों के बीच नॉवेल कोरोनावायरस के प्रकोप के संदर्भ में जागरूकता फैलाना
- भारत सरकार, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की पहल को बढ़ाना, सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना और उन्हें कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के बारे में सूचित करना
- स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं के लिए भारत के नागरिकों और सरकार के बीच एक संबंध स्थापित करना और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय से अपडेट प्राप्त करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य सेवाएं

स्रोत- द हिंदू

स्वच्छ प्लेट अभियान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के नागरिकों से 'स्वच्छ प्लेट अभियान' नामक एक नई पहल के अंतर्गत खाद्य अपशिष्ट में भारी कटौती करने का आह्वान किया है।
- यह कदम कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उठाया गया है, विनाशकारी बाढ़ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बिगड़ते संबंधों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में भोजन की कमी के संदर्भ में आशंकाएं जताई हैं।



अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह अभियान, समर्थन में कानून और अन्य तंत्रों को मजबूत करने का वादा करता है, देश में खाद्य अपशिष्ट की समस्या को "चौंकाने वाला और परेशान करने वाला" बताया गया है।
- हाल के वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि चीन सालाना लगभग 17-18 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट का उत्पादन करता है।
- शी की घोषणा के बाद राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने रेस्तरां के उन ग्राहकों पर "एक्सपोज़" चलाया है, जो अपनी भूख से अधिक खाने का ऑर्डर देते हैं और इसके साथ ही चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नामित और शर्मसार करने वाले शो की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिक मात्रा में और कई किस्मों का भोजन करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले लोग भी शामिल हैं।
- रेस्तरां को "N-1" प्रणाली का पालन करना चाहिए, जिसमें रेस्तरां में ग्राहकों के समूह को परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या, समूह के लोगों की संख्या से कम से कम एक कम होनी चाहिए।



संबंधित जानकारी

- विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, 135 मिलियन लोग मानव निर्मित संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी के कारण तीव्र भुखमरी से पीड़ित हैं।
- कोविड-19 महामारी अब इस संख्या को दोगुना कर सकती है, जिससे वर्ष 2020 के अंत तक अतिरिक्त 130 मिलियन लोगों के तीव्र भुखमरी से पीड़ित होने का खतरा हो सकता है।

एस.डी.जी. लक्ष्य 2

- यह वर्ष 2030 तक इसके सभी रूपों में भुखमरी को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान की तलाश करेगा।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन तक बेहतर पहुंच और स्थायी कृषि के व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मूलगांवकर सिद्धांत

खबरों में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आलोचना में, जिसने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था, उनके वकील ने 'मूलगांवकर सिद्धांतों' को लागू किया है, न्यायालय से संयम दर्शाने का आग्रह किया है।



मूलगांवकर सिद्धांत क्या हैं?

- एस. मूलगांवकर बनाम अज्ञात (1978) एक ऐसा केस है, जिसके कारण अवमानना के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था।
- 2:1 के बहुमत से, न्यायालय ने द इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक मूलगांवकर को अवमानना का दोषी नहीं माना था, हालांकि उसी बेंच ने सुनवाई शुरू की थी।
- न्यायमूर्ति पी. कैलासम और कृष्णा अय्यर ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम. एच. बेग के खिलाफ जाकर बहुमत प्राप्त किया था।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने अवमानना क्षेत्राधिकार का पालन करने में सावधानी बरतने की सलाह को मूलगांवकर सिद्धांत कहा है।

संबंधित जानकारी

1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम के संदर्भ में जानकारी

- 1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम के अनुसार, अदालत की अवमानना दो प्रकार की होती है:
- **नागरिक अवमानना:** यह किसी भी निर्णय, आज्ञा, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या किसी न्यायालय को दिए गए उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन है।
- **आपराधिक अवमानना:** यह किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है, जो किसी न्यायालय के अधिकार का हनन या अपमान करता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के नियत समय के साथ हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को बाधित करता है।

सज़ा

- 1971 का अदालत की अवमानना अधिनियम, दोषी को कारावास के साथ दंडित करता है, जो छह महीने का या 2000 रूपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

विधि आयोग द्वारा समीक्षा

विधि आयोग ने वर्ष 2018 में 1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम की समीक्षा की थी और सूचित किया था कि:

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियाँ अधिनियम, 1971 से स्वतंत्र हैं और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 से ली गई हैं।

अनुच्छेद 129

- सर्वोच्च न्यायालय, रिकॉर्ड की एक अदालत होगी और इसके पास इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियाँ होंगी, जिसमें स्वयं को भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी निहित होगी।

अनुच्छेद 215

- प्रत्येक उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड की एक अदालत होगी और इसके पास इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियाँ होंगी, जिसमें स्वयं को भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी निहित होगी।
- इसलिए, अधिनियम से अपराध को हटाने से किसी को भी उसकी अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालयों की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियाँ प्रभावित नहीं हो पाएंगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II-राजनीति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ट्राइफूड प्रोजेक्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ट्राइफेड के “ट्राइफूड प्रोजेक्ट” के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का ई-लॉन्च किया है।



ट्राइफूड प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफ.पी.आई.) के सहयोग से लागू किया गया है।
- ट्राइफेड का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए एम.एफ.पी. के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, एक शुरुआत के रूप में दो अप्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- महाराष्ट्र के रायगढ़ की इकाई का उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड सेब और जामुन के मूल्य संवर्धन के लिए किया जाएगा और महुआ पेय, आंवला रस, कैंडी, जामुन का रस और कस्टर्ड सेब के गूदा का उत्पादन करेगा।
- छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मल्टी-कमोडिटी प्रसंस्करण केंद्रों का उपयोग महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन और अन्य फलों और सब्जियों जैसे वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।
- इन्हें महुआ पेय, आंवला रस, कैंडी, शुद्ध शहद, अदरक-लहसुन पेस्ट और फलों और सब्जियों के गूदे के रूप में बनाया जाएगा।

संबंधित जानकारी:

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ के संदर्भ में जानकारी

- इसकी स्थापना अगस्त, 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के अंतर्गत की गई थी।
- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।

- ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।

उद्देश्य

- ट्राइफेड का अंतिम उद्देश्य देश में आदिवासी लोगों के धातु-शिल्प, आदिवासी वस्त्र, मिट्टी के बर्तनों, आदिवासी चित्रकारी और मिट्टी के उन बर्तनों जैसे आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से आदिवासी व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है, जिस पर आदिवासी लोगों की आय का प्रमुख भाग निर्भर करता है।
- ट्राइफेड, जनजातियों के उत्पाद बेचने के लिए उनके लिए एक सुविधा और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

लक्ष्य

- इसका लक्ष्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ सशक्त बनाना है, जिससे कि वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें।
- इसमें जनजातीय लोगों के संवेदीकरण, स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के गठन के माध्यम से क्षमता निर्माण करना और किसी विशेष गतिविधि के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

कार्य

- यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है। जो अप्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) विकास और खुदरा विपणन और विकास हैं।

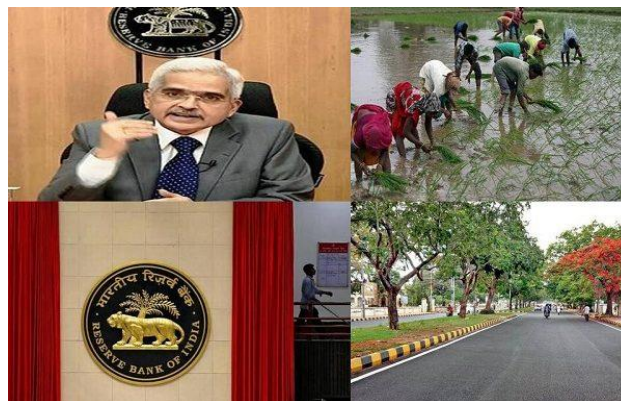
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 (एन.एस.एफ.ई.)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति (एन.एस.एफ.ई.): 2020-2025 दस्तावेज़ जारी किए हैं।
- यह दूसरी एन.एस.एफ.ई. है, पहली एन.एस.एफ.ई. को वर्ष 2013 में जारी किया गया था।



राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 (एन.एस.एफ.ई.) के संदर्भ में जानकारी

- इसे सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एन.एस.एफ.ई.) द्वारा तैयार किया गया है।
- इनमें वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर प्रौद्योगिकी समूह (टी.जी.एफ.आई.एफ.एल.) के तत्वाधान में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) आदि शामिल हैं।

उद्देश्य

- रणनीतिक उद्देश्यों में उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को शामिल करना है।
- सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, यह वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- इसमें उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए योजना के अतिरिक्त प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम प्रबंधन शामिल है।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति की सिफारिश (एन.एस.एफ.ई.): 2020-2025

- दस्तावेज़ वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 C' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करता है।

ये हैं सामग्री: जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री

- **क्षमता:** वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए क्षमता और 'आचार संहिता' विकसित करना
- **समुदाय:** स्थायी रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए समुदाय के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण विकसित करना
- **संचार:** वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, मीडिया और संचार के नवीनतम तरीकों का उपयोग करना
- **सहभागिता:** वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को संरेखित करना

रणनीति, प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचे को अपनाने का भी सुझाव देती है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रवर्तित गैर-लाभकारी कंपनी है।

कंपनी की उद्देश्य

- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के अनुसार पूरे भारत में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना
- सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यक्रम अभियान आदि के माध्यम से पूरे देश में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण का निर्माण करना
- यह वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए वित्तीय डिजिटल मोड भी प्रदान करता है जिससे कि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता में सुधार किया जा सके

दृष्टिकोण

- आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करना

मिशन

- उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए उचित और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचन बनाकर वित्तीय कल्याण को

प्राप्त करने के लिए लोगों की पैसे को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने हेतु बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महत्वपूर्ण संस्थान

स्रोत- द हिंदू

'माई आई.ए.एफ.' मोबाइल एप्लिकेशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन में एक मोबाइल एप्लिकेशन 'माई आई.ए.एफ.' लॉन्च किया है।



'माई आई.ए.एफ.' मोबाइल एप्लिकेशन के संदर्भ में जानकारी

- इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) के सहयोग से विकसित किया गया है, यह ऐप भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करता है।
- यह एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को आई.ए.एफ. में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरणों की जानकारी प्रदान करता है।
- यह भारतीय वायु सेना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम्स से जुड़ा हुआ है और भारतीय वायु सेना के इतिहास और वीरता की कहानियों की झलक भी प्रदान करता है।

संबंधित जानकारी

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के संदर्भ में जानकारी

- यह आई.टी., इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 स्वदेशी रूप से (वर्ष 1991 में) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा बनाया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

श्रम ब्यूरो का प्रतीक चिन्ह (लोगो)

खबरों में क्यों है?

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लांच किया गया है।



प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में जानकारी

- नया लॉन्च किया गया प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है कि श्रम ब्यूरो, एक डेटा-आधारित संगठन है, जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा से संबंधित है।
- प्रतीक चिन्ह, उन तीन लक्ष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें श्रम ब्यूरो गुणवत्तापूर्ण डेटा का उत्पादन अर्थात सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता को हासिल करने का प्रयास करता है।
- नीले रंग का दांतेदार पहिया काम का प्रतिनिधित्व करता है।
- नीले रंग का चुनाव यह दर्शाता है कि संगठन, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नीले कॉलर श्रमिकों से संबंधित है।



- रेखा ग्राफ रोजगार के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दर्शाता है क्योंकि यह जमीनी हकीकत को दर्शाता है।
- तिरंगे वाला ग्राफ, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाता है, इसके साथ ही गेहूं की बालियां, ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाती हैं।

संबंधित जानकारी

श्रम के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी

- श्रम, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र और राज्यों द्वारा कई कानून अधिनियमित किए गए हैं।
- चार प्रमुख केंद्रीय कानून हैं, जो भारत में श्रम कानूनों के मूल का निर्माण करते हैं।

- A. **फैक्ट्री अधिनियम, 1948:** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री परिसरों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- B. **दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961:** इसका उद्देश्य काम के घंटे, भुगतान, ओवरटाइम, वेतन के साथ एक साप्ताहिक छुट्टी, वेतन के साथ अन्य अवकाश, वार्षिक छुट्टी, बच्चों और युवा व्यक्तियों के रोजगार और महिलाओं के रोजगार को विनियमित करना है।
- C. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:** यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है, जिसका कुशल और अकुशल मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए।
- D. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:** यह छंटनी, व्यय में कमी और औद्योगिक उद्यमों को बंद करने और हड़ताल और तालाबंदी जैसी सेवा की शर्तों से संबंधित है।

भारतीय संविधान में श्रम

- अनुच्छेद 246 श्रम, समवर्ती सूची में है, कई राज्यों और यहां तक कि केंद्र ने कानून बनाए हैं। इससे श्रम और अराजकता फैल गई है।
- अनुच्छेद 43A (42वां संशोधन)- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देशित करना।
- अनुच्छेद 23 बलपूर्वक श्रम को निषिद्ध करता है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों (कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में) को निषिद्ध करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अरुणाचल प्रदेश सरकार की छठवीं अनुसूची दर्जे के लिए कोशिश

समाचार में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश सरकार अपनी स्थानीय जनसंख्या के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान की छठवीं अनुसूची के अंतर्गत सीमांत प्रदेश को शामिल करने के लिए केंद्र को मनाने का प्रयास करेगा।



छठवीं अनुसूची के बारे में

- छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
- स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण के द्वारा यह जनजातीय जनसंख्या के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिया गया है।

- भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को अपने में शामिल करता है।

पृष्ठभूमि

- राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो समुदाय आधारित संगठनों के साथ बैठक आयोजित करेगा।
- दो स्वायत्त परिषदों के निर्माण की मांग-पश्चिमी भाग में मॉन स्वायत्त क्षेत्र और पूर्वी भाग में पटकई स्वायत्त परिषद - की वजह से समिति का गठन हुआ है।
- यह समिति राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगी।
- परामर्शदात्री समिति, समुदाय के नेताओं और अधिवक्ताओं से प्राप्त सुझावों से सरकार को यह समझ हुई है कि वे इस गलत प्रभाव में जी रहे थे कि वे इनर लाइन परमिट के द्वारा संरक्षित हैं।

इनर लाइन परमिट के बारे में

- यह एक आधिकारिक यात्रा आलेख है जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो सीमित काल के लिए संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देता है।
- बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन (बीईएफआर) कानून, 1873 बिना वैध आईएलपी के अरुणाचल प्रदेश के अंदर देश के सभी नागरिकों के प्रवेश का निषेध करता है।
- 1873 के विनियमन कानून के अनुच्छेद 2 के अनुसार, आईएलपी केवल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे उत्तर-पूर्व के राज्यों पर ही लागू होता है।
- यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

नोटः

- हाल ही में, 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति ने आईएलपी को मणिपुर में लागू करने का आदेश जारी किया जोकि चौथा राज्य बन गया जहां आईएलपी लागू है।

टॉपिक- सामान्य अध्ययन- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

स्वास्थ्य डेटा पर मसौदा नीति को फीडबैक के लिए खोला गया है।

खबरों में क्यों है?

- हहाल ही में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) ने सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) के स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है।



ड्राफ्ट पॉलिसी के संदर्भ में जानकारी

- मसौदे को एन.डी.एच.एम. की वेबसाइट पर जारी किया गया है और यह 3 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध होगा।
- जनता से सुझाव प्राप्त करने के बाद नीति को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
- ड्राफ्ट व्यक्तियों की डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एन.डी.एच.एम. के 'डिजाइन द्वारा सुरक्षा और गोपनीयता' के मार्गदर्शक सिद्धांत को साकार करने में पहला कदम है।
- इसमें स्वास्थ्य डेटा से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे डेटा गोपनीयता, सहमति प्रबंधन, डेटा साझाकरण और संरक्षण आदि शामिल हैं।

मुख्य उद्देश्य

- मसौदा नीति का एक मुख्य उद्देश्य पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना और उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा हैं।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में जानकारी

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) शुरू करने की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) द्वारा लागू किया जाता है।
- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म चार प्रमुख विशेषताओं- हेल्थ आई.डी., व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- बाद के चरण में, इसमें ई-फार्मसी और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी शामिल होंगी, जिसके लिए विनियामक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

नोट:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.), आयुष्मान भारत के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- द हिंदू

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है, जो दुनिया भर में कुख्यात बीमारी को समाप्त करने के लिए एक दशक लंबे अभियान में एक मील का पत्थर है।

The battle against polio

The infectious viral disease remains endemic only in two countries



संबंधित जानकारी

पोलियो प्रमाणीकरण के संदर्भ में तथ्य

- वर्ष 1988 में, 41वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संकल्प अपनाया था।

यहाँ कुछ पोलियो प्रमाणीकरण तथ्य दिए गए हैं:

- प्रमाणन के लिए, डब्ल्यू.एच.ओ. क्षेत्र के सभी देशों में उच्च गुणवत्ता वाले तीव्र फ्लैसीड पैरालिसिस (ए.एफ.पी.) निगरानी प्रणालियों की उपस्थिति में लगातार 3 वर्षों तक जंगली पोलियो का कोई मामला नहीं होना चाहिए।
- पोलियो उन्मूलन के प्रमाणन की औपचारिक प्रक्रिया को वैश्विक प्रमाणन आयोग (जी.सी.सी.) की पहली बैठक में 1995 में स्थापित किया गया था।
- ये राष्ट्रीय प्रमाणन समितियाँ (एन.सी.सी.) हैं, जो देश स्तर पर पोलियो उन्मूलन के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करती हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 11 सदस्य राज्यों में से प्रत्येक का एक एन.सी.सी. है।
- सभी क्षेत्रों में प्रमाणन आयोग हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग में 11 वैश्विक और क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं।
- इस यह आयोग है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त के रूप में प्रमाणित कर सकता है।

नोट:

- तीन क्षेत्र (अमेरिका, 1994, पश्चिमी प्रशांत, 2000, यूरोप, 2002) पहले ही पोलियो मुक्त के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं।

पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) के संदर्भ में जानकारी

- पोलियो एक विषाणु के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है।
- वायरस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकता है, जिससे लकवा (शरीर के हिस्सों को हिलाया नहीं जा सकता है) मार सकता है।
- वायरस, मुँह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और आंत में गुणज के रूप में बढ़ता है।

लक्षण

- लकवा, पोलियो से संबंधित सबसे गंभीर लक्षण है क्योंकि इससे स्थायी विकलांगता और मृत्यु हो सकती है।

नोट:

- वर्ष 2014 में, भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ आधिकारिक रूप से पोलियो-मुक्त घोषित किया गया था।

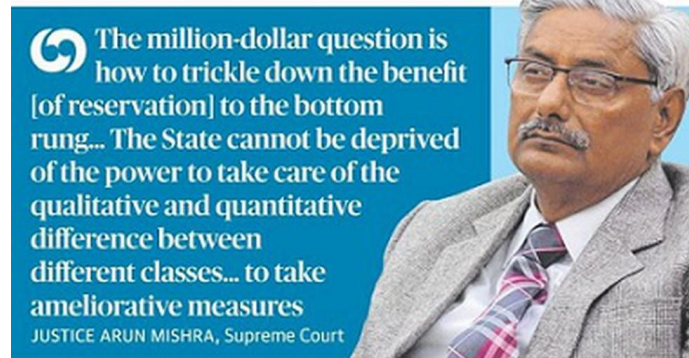
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत-आकाशवाणी

अदालत का कहना है कि राज्यों में एस.सी./ एस.टी. के बीच उप-समूह हो सकते हैं।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में "कमजोर से सबसे कमजोर" को तरजीह देने के लिए राज्य, केंद्रीय सूची में उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
- संविधान पीठ ने कहा है कि आरक्षण ने स्वयं आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा कर दी है।



चिन्नैया फैसले के विपरीत

- इसके साथ, पीठ ने 2004 के ई. वी. चिन्नैया केस में पांच न्यायाधीशों की एक अन्य समन्वित पीठ द्वारा दिए गए 2004 के फैसले के विपरीत विचार किया है।
- चिन्नैया के फैसले में कहा था कि राज्यों को एकपक्षीय रूप से "अनुसूचित जाति के सदस्यों के वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने" की अनुमति राष्ट्रपति सूची के साथ किए गए फेरबदल से संबंधित होगी।

संबंधित जानकारी

अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जानकारी

- संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 341 के प्रावधान के अंतर्गत, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में एस.सी. की पहली सूची, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा जारी की जाती है।
- लेकिन अनुच्छेद 341 के खंड (2) में इस बात की परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जातियों की सूची में बाद में कुछ भी शामिल किए जाने या हटाए जाने को संसद के अधिनियम के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है।
- अब तक, विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में एस.सी. को निर्दिष्ट करने के लिए 1950 से 1978 के बीच छह राष्ट्रपति आदेश जारी किए गए हैं।

- इन आदेशों को 1956 से 2016 के बीच संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अनुसार अधिनियमित संसद के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है।

अनुसूची जनजातियों के संदर्भ में जानकारी

पृष्ठभूमि

- जनगणना-1931 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजातियों" के रूप में जाना जाता है।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को पहली बार बुलाया था।
- संविधान, अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 366(25) में केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 366(25) के अनुसार, "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों से है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"

संबंधित समिति

काका कालेलकर आयोग, 1953

- पहले पिछड़े वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग, 1953 को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने अनुसूचित जनजातियों को "एक अलग विशिष्ट अस्तित्व का नेतृत्व करने और लोगों के मुख्य निकाय में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए" के रूप में परिभाषित किया था।
- "वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं।"

लोकर समिति

- अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के मानदंड की जांच करने के लिए लोकर समिति (1965) की स्थापना की गई थी।
- समिति ने पहचान के लिए पांच मानदंडों की सिफारिश की थी, जिनके नाम प्राथमिक लक्षण, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन हैं।

भुरिया समिति

- भुरिया समिति (1991) की सिफारिशों ने पेसा अधिनियम, 1996 के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया था।

भुरिया आयोग

- भुरिया आयोग (2002-2004) ने पांचवीं अनुसूची से लेकर आदिवासी भूमि और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पंचायतों के कामकाज और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था।

बंदोपाध्याय समिति

- बंदोपाध्याय समिति (2006) ने वामपंथी चरमपंथी क्षेत्रों में विकास और शासन की जांच की थी।

मुंगेर समिति

- मुंगेर समिति (2005) ने प्रशासन और शासन के मुद्दों की जांच की थी।

वर्जिनियस जेक्स समिति

- वर्ष 2013 में आदिवासी समुदायों से संबंधित पाँच महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर वर्जिनियस जेक्स की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) का गठन किया गया था:
1. आजीविका और रोजगार
 2. शिक्षा
 3. कानूनी और संवैधानिक मामला
 4. स्वास्थ्य
 5. अनैच्छिक विस्थापन और प्रवास

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

छावनी COVID: योद्धा संरक्षण योजना

खबरों में क्यों है?

- रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में “छावनी COVID: योद्धा संरक्षण योजना” शुरू की है।



रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

योद्धा संरक्षण योजना के बारे में

- यह एक समूह जीवन बीमा योजना है जो सभी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में 10,000 से अधिक कर्मचारियों को किसी दुर्भाग्यपूर्ण जानलेवा आपदा में प्रत्येक को 5 लाख रुपये का बीमा संरक्षण प्रदान करेगी।
- यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की जाएगी।
- यह योजना स्थायी और संविदात्मक कर्मचारियों जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं, को लाभ पहुँचाएगी।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – शासन

स्रोत – डीडी न्यूज़

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियम जारी किए जिसमें पुलिस, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को संघीय क्षेत्र के ल्युटीनेंट गवर्नर के सीधे नियंत्रण में होंगे।



नए नियम के बारे में अधिक जानकारी

- यह नियम कहता है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित को प्रभावित करने वाले मामलों को कोई आदेश जारी करने से पहले मुख्य सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में रखते हुए अनिवार्य रूप से उप-राज्यपाल के समक्ष लाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री-परिषद गैर-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों, नए कर लागू करने, भू राजस्व, सरकारी संपत्ति की बिक्री अनुदान अथवा पट्टे, विभागों अथवा कार्यालयों के पुनर्गठन और मसौदा विधि निर्माण प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
- हालांकि, उप-राज्यपाल और किसी मंत्री के बीच रायों में मतभेद होने की स्थिति में, जिसमें एक महीने के बाद भी किसी निर्णय तक नहीं पहुँचा जा सका हो, “उप-राज्यपाल के निर्णय को मंत्री-परिषद द्वारा स्वीकार माना जाएगा।”

पृष्ठभूमि

- संविधान का अनुच्छेद 370**, जिसने पहले जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद राज्य का संघीय प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विभाजन कर दिया।
- 31 अक्टूबर 2019 को संघीय क्षेत्र अस्तित्व में आए।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की शर्तों के अनुसार, अगले वर्ष परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – प्रशासन

स्रोत – दि हिंदु

आम मतदाता सूची

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधानसभाओं और लोक सभा चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची होने की संभावना पर चर्चा करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों और कानून मंत्रालय के साथ हाल ही में एक बैठक संपन्न की।



संबंधित जानकारी

- कई राज्यों में, पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची से भिन्न है।
- इस भिन्नता के पैदा होने की वजह हमारे देश में चुनावों के पर्यवेक्षण और आयोजन की जिम्मेदारी दो संवैधानिक प्राधिकरणों को दी गई है:
 1. भारत निर्वाचन आयोग
 2. राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग के बारे में,

- भारत निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों, संसद, राज्य विधानसभाओं और विधायी परिषदों के लिए चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
- निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा अनुच्छेद 324 में प्रदत्त शक्ति के तहत कार्य करता है और तदंतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को पारित किया।

राज्य चुनाव आयोग के बारे में,

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तहत, प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था।

अनुच्छेद 243K (1)

- यह कहता है कि पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण तथा पंचायतों के सभी चुनावों का आयोजन कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग में समाहित होगी जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस अभ्यास का भारत के निर्वाचन आयोग के साथ सम्पन्न किया जाना आवश्यक नहीं है।

- वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाते हैं।

आम निर्वाचन होने के लाभ

- यह विभिन्न चुनावों को संपन्न कराने में शामिल मेहनत और खर्च को काफी मात्रा में कम करने में सहायता करेगा।
- ऐसा तर्क दिया गया है कि दो विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग मतदाताओं की सूची तैयार करने से अनिवार्य रूप से नकल होने की संभावना होती है, जिससे मेहनत और खर्च में भी वृद्धि होती है।

विधि आयोग की राय

- विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255 वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी।
- निर्वाचन आयोग ने भी वर्ष 1999 और 2014 में इसी तरह का रुख अपनाया था।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र ii – प्रशासन

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में दिव्यांग लोगों की न्याय व्यवस्था तक पहुँच को आसान बनाने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुँच पर अपने सर्वप्रथम दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- ये दिशानिर्देश 10 सिद्धांतों के एक समूह और उनके क्रियान्वयन के लिए चरणों को रेखांकित करती हैं।

ये 10 सिद्धांत इस प्रकार हैं:

सिद्धांत 1 – सभी दिव्यांग लोगों के पास कानूनी शक्ति होती है, इसलिए कोई भी दिव्यांगता के आधार पर न्याय प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा।

- ✓ सिद्धांत 2 – दिव्यांग लोगों की भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं एवं सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से अवश्य पहुँच में होना चाहिए।
- ✓ सिद्धांत 3 – दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांग लोगों के पास उचित कार्यवाही आवास प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 4 – दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर एक समयबद्ध और सुविधाजनक विधि में कानूनी अधिसूचना एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 5 – दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून में सभी प्रभावी एवं कार्यवाही बचावों को प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य निर्धारित प्रक्रिया की गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था करेगा।
- ✓ सिद्धांत 6 – दिव्यांग लोगों के पास मुफ्त और किफायती कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 7 – दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर न्याय की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 8 – दिव्यांग लोगों के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने और इससे कानूनी कार्यवाहियों को शुरू करने का अधिकार है तथा अपनी शिकायतों की जाँच कराने और प्रभावी उपचार प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 9 – प्रभावी और मजबूत निगरानी प्रणाली दिव्यांग लोगों के लिए न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- ✓ सिद्धांत 10 – न्याय व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोगों को दिव्यांग लोगों के अधिकारों, विशेषकर न्याय तक पहुँच के संबंध में, को संबोधित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम अवश्य कराए जाने चाहिए।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग लोगों के अधिकार पर सम्मेलन को 2007 में 21 वीं शताब्दी में मानव अधिकारों के प्रथम प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया था।
- इसके अनुसार दिव्यांग लोग वे लोग हैं जो “लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी खराबी का सामना कर रहे हैं, जिससे विभिन्न बाधाओं के साथ सामना करने के कारण उनकी समाज में दूसरों के साथ समानता के आधार पर पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट आती है।”

दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का क्या अर्थ है?

- दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का अर्थ है कि दिव्यांग के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव, अपवर्जन अथवा प्रतिबंध है जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा अन्य किसी क्षेत्र में दूसरों के साथ समानता के आधार पर सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की पहचान और अभ्यास को खराब अथवा समाप्त करना है।
- इसमें सभी प्रकार के भेदभाव, सस्ते आवास के लिए इंकार करने सहित शामिल होते हैं।

नोट –

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लेखित आंकड़ों के आधार पर, भारत में 2.4 प्रतिशत पुरुष विकलांग हैं और सभी आयु वर्ग की दो प्रतिशत महिलाएं विकलांग हैं।
- विकलांगता में मानसिक दोष, बौद्धिक दोष, बोलने, सुनने और देखने के साथ अन्य दोष शामिल हैं

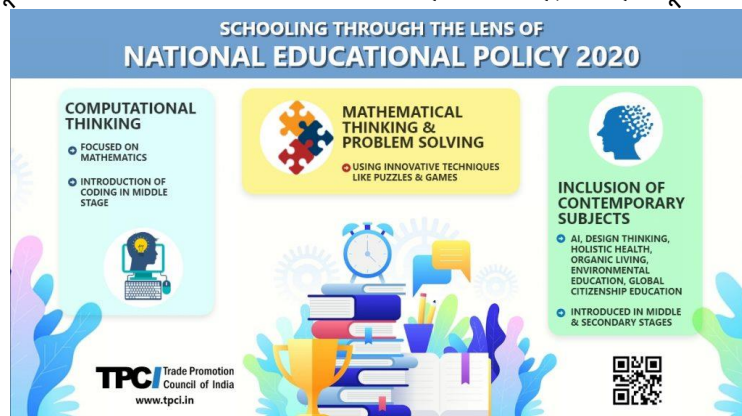
विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – प्रशासन

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 द्वारा मंदारिन भाषा को हटा दिया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 के अंतर्गत, सरकार ने विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की अपनी सूची में से मंदारिन या 'चीनी' भाषा को हटा दिया है, जिन्हें स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है।



मंदारिन के संदर्भ में जानकारी

- मंदारिन, सिनिटिक (चीनी) भाषाओं का एक समूह है, जो अधिकांश उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी चीन में बोली जाती है।

पृष्ठभूमि

- इस भाषा को वर्ष 2019 में जारी नीति के मसौदा संस्करण में शामिल किया गया था लेकिन हालिया एन.ई.पी. 2020 दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया था।
- अधिकारी के अनुसार, भारतीय संस्थानों में मंदारिन भाषा निर्देश को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं, जो कि सवाल के घेरे में हैं।
- वर्ष 2006 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के भाग के रूप में भारतीय स्कूलों में मंदारिन और चीनी स्कूलों में हिंदी भाषा के शिक्षण की योजना बनाई गई थी।
- वर्ष 2014 में, पुनः सी.बी.एस.ई. ने कुछ स्कूलों में मंदारिन की शुरुआत की थी लेकिन चीनी भाषा शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण यह योजना चरमरा गई थी।
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया स्कूल स्तर पर चीनी भाषा की पेशकश कर रहे हैं।

नोट:

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को पेश की जाने वाली विदेशी भाषाओं में माध्यमिक स्तर पर कोरियाई भाषा को शामिल किया है।
- कोरियाई के अतिरिक्त, पेश की जाने वाली अन्य विदेशी भाषाओं में जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाएँ हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- द हिंदू

तीन-भाषा फॉर्मूला

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) में प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदाप्पदी के. पलानीस्वामी ने अस्वीकार कर दिया है।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह राज्य में शिक्षा में 2-भाषा फॉर्मूला लागू करने के पक्ष में हैं।



तीन भाषा फॉर्मूला के संदर्भ में जानकारी

- तीन-भाषा फॉर्मूला पहली बार 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था।
- इस योजना के पीछे का विचार यह सुनिश्चित करना था कि छात्र अधिक भाषाएँ सीखें।
- वर्ष 1968 के बाद, केवल 1992 में ही नीति में संशोधन किया गया था।
- यह फॉर्मूला 1968 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था, जिसने दो भाषाओं वाली नीति को अपनाया गया था।

तीन-भाषा फॉर्मूला है:

- पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ या अंग्रेजी होंगी जब कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, यह हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।
- हालांकि, इसे पूरे देश में एकसमान रूप से लागू नहीं किया गया था।

फॉर्मूले के संदर्भ में विवाद

- वर्ष 1937 से, तमिलनाडु ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का लगातार विरोध किया है।
- द्रविड कड़गम के संस्थापक पेरियार ई. वी. रामास्वामी, मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी के हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ थे।
- पिछले वर्ष जारी किए गए एन.ई.पी. के मसौदे में विवादास्पद प्रावधान में कहा गया है कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को भी तीन भाषा फॉर्मूले के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए।
- एन.ई.पी. के मसौदे के अनुसार, कक्षा 6 में तीन भाषाओं में से एक को बदला जा सकता है।

नोट:

- एन.ई.पी. 2020 में, नीति ने मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाने पर जोर दिया है, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक पढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- संस्कृत को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसे तीन-भाषा फॉर्मूले में शामिल किया गया है।
- भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।
- किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
- छात्रों को कभी-कभी ग्रेड 6-8 में, जैसे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत 'भारत की भाषाओं' में एक मजेदार परियोजना/ गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और सुनने में अक्षम बच्चों के उपयोग हेतु राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

भारत का कहना है कि पाकिस्तान, एक असंगत अभ्यास का मानचित्रण करता है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा मानचित्र लांच करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक असंगतता का अभ्यास है। जिसमें जम्मू-कश्मीर का पूरा भारतीय क्षेत्र और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल थे।



पाकिस्तान का रुख:

- यह दस्तावेज़ सर क्रीक और सियाचिन ग्लेशियर पर अपने दावे करता है।
- नए राजनीतिक मानचित्र ने संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ को भी हटा दिया है और उस क्षेत्र को खैबर पख्तूनवा के उत्तर-पश्चिमी प्रांत के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।
- यह लद्दाख की ओर एक अपरिभाषित खंड छोड़ता है, जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अनुसार, भविष्य में हल कर लिया जाएगा।

संबंधित जानकारी

नेपाल और भारत सीमा विवाद

- हाल ही में, नेपाल ने भारत, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना अद्यतन मानचित्र भेजा है।
- संशोधित नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं, जो भारतीय मानचित्रों में मौजूद हैं।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन करने के बाद भारत और नेपाल के बीच संबंध तनाव में आ गए थे।
- भारत लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा को नियंत्रित करता है और इसका मानचित्र इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दर्शाता है- यह नेपाल द्वारा विवादास्पद है।
- जबकि नेपाल ने यह दावा करते हुए सड़क के उद्घाटन पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि यह अपने क्षेत्र से गुजरता है, भारत ने दावे को खारिज कर दिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

भारत ने शीर्ष चीनी ऐप्स बाइदू, वीबो को ब्लॉक किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन के सबसे प्रभावशाली ऐप, बाइदू सर्च और वीबो को ब्लॉक कर दिया गया है, इन ऐप्स के प्रतिस्थापी के रूप में क्रमशः गूगल सर्च और ट्विटर ऐप को डब किया गया है।



बाइदू के संदर्भ में जानकारी

- बाइदू इंक, एक चीनी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) में विशेषज्ञता रखती है, जिसका मुख्यालय बीजिंग के हैडियन जिले में स्थित है।
- बाइदू विभिन्न सेवाओं की पेशकश करता है, जिसमें एक चीनी सर्च इंजन के साथ ही बाइदू मैप्स नामक एक मैपिंग सेवा भी शामिल है।
- बाइदू सर्च, जो चीन के प्रमुख इंटरनेट उत्पादों में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से हटाने के लिए कहा गया है, जब कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.पी.एस.) को उन्हें ब्लॉक करने के लिए भी कहा गया है।

वीबो के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2009 में सिना कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके वैश्विक स्तर पर इसके 500 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पड़ोसी देश में अपनी यात्रा से पहले वर्ष 2015 में चीनी माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक अकाउंट खोलने के बाद उन्हें इसके स्टार उपयोगकर्ता के रूप में देखा गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

संसद के अध्यक्षों का पाँचवाँ विश्व सम्मेलन

- हाल ही में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के अध्यक्षों के पाँचवें विश्व सम्मेलन (5 डब्ल्यू.सी.एस.पी.) के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है।

- सम्मेलन की थीम- अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद हेतु संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करता है।



संसद के अध्यक्षों के पांचवें विश्व सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के सहयोग से अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.), जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जिससे एक बेहतर विश्व के पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद है।
- यह सम्मेलन सितंबर, 2015 के अंत में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की उच्च-स्तरीय बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिस पर नए सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को लॉन्च किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- ए.आई.आर.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का महिला शांतिदूतों पर संकल्प

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन एक सुरक्षा परिषद संकल्प को सह-प्रस्तावित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शांति अभियानों में महिलाओं की “पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी” की मांग की गयी है।
- यह संकल्प प्रस्ताव इंडोनेशिया द्वारा रखा गया था।



संबंधित जानकारी

भारत और संयुक्त राष्ट्र शांतिदूत

- भारत की महिला शांतिदूतों को तैनात करने में एक लंबी परंपरा रही है और यह संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य टुकड़ियों का योगदान देने वाले देशों में से एक भी है।
- 1960 की शुरुआत से ही, भारत ने कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांतिदूत मिशन में सैन्य बल चिकित्सा सेवा में महिलाओं को भेजा था।
- 2007 में, भारत लाइबेरिया में सर्व-महिला वर्दीधारी पुलिस इकाई भेजने वाला पहला देश था।
- हाल ही में, मेजर सुमन गवानी ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार जीता है।
- उन्हें दक्षिणी सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात किया गया है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- भारत को वर्ष 2020 में वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अस्थायी सीट के लिए चुना गया है।

UNSC में 'अस्थायी सीटें क्या हैं'?

- UNSC 15 सदस्यों से मिलकर बना है जिसमें पाँच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
- पांच स्थायी सदस्य – चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब्रिटेन हैं।
- दस अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र आम महासभा (UNGA) द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक 15 सदस्यों का अपना एक मत होता है।
- अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
- इसलिए, हर साल कुल दस में से पाँच अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत – AIR

आर्थिक मुद्दे

नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, 2020 (ए.आर.आई.आई.ए.-2020)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने ए.आर.आई.आई.ए.-2020 (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग) की घोषणा की है।



नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) की एक पहल है।
- यह छात्रों और संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रणालीगत रूप से रैंक प्रदान करता है।
- ए.आर.आई.आई.ए., नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा डाले गए वास्तविक प्रभावों को मापने का प्रयास करेगा।
- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन सात मापदंडों के आधार पर किया गया है।

इनमें निम्न शामिल हैं:

- बजट और अनुदान समर्थन
- अवसंरचना और सुविधाएं
- विचार उत्पादन एवं नवाचार हेतु जागरूकता, प्रोत्साहन और समर्थन
- उद्यमिता विकास हेतु प्रोत्साहन और समर्थन
- नवाचार अधिगम की विधियां और पाठ्यक्रम
- बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं व्यावसायीकरण
- संस्थानों के शासन में नवाचार
- इस वर्ष, ए.आर.आई.आई.ए. की घोषणा में संस्थानों का दो व्यापक श्रेणियों और छह उपश्रेणियों में वर्गीकरण शामिल था।

प्रमुख विशेषताएं

- ए.आर.आई.आई.ए. 2020 रैंकिंग में, आई.आई.टी. मद्रास ने सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद आई.आई.टी. बॉम्बे और आई.आई.टी. दिल्ली का स्थान है।
- निजी संस्थानों की श्रेणी में, ओडिशा का कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान विजेता के रूप में उभरकर सामने आया है।

- के.आई.आई.टी. के बाद एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और वेल्डोर प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थान है।
- कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र, राज्य-वित्तपोषित स्वायत्त संस्थानों के लिए सूची में शीर्ष पर हैं।
- पहली बार, ए.आर.आई.आई.ए. 2020 रैंकिंग में केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी थी।
- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन सात मापदंडों के आधार पर किया गया है।
- इनमें बजट और वित्तपोषण समर्थन, अवसंरचना और सुविधाएं, जागरूकता, प्रोत्साहन और विचार उत्पादन एवं नवाचार हेतु समर्थन शामिल हैं।
- इस वर्ष, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है।
- अविनाशीलिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन ने इस श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

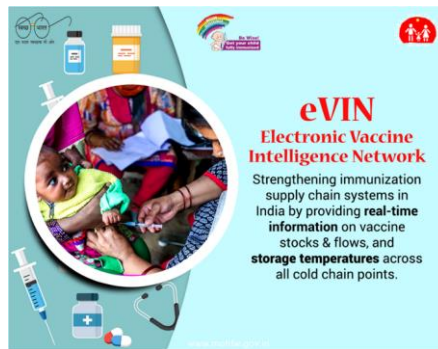
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन खुफिया नेटवर्क (ई-वी.आई.एन.)

खबरों में क्यों है?

- अप्रैल, 2020 से राज्य विशेष कोविड-19 सामग्री की आपूर्ति की निगरानी करने के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन दर के साथ ई-वी.आई.एन. एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है, यह 81 आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी होने पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है और चेतावनी देता है।
- ये आठ राज्य त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र हैं।



इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन खुफिया नेटवर्क (ई-वी.आई.एन.) के संदर्भ में जानकारी

- यह पूरे देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीनतम तकनीकी समाधान है।
- इस प्लेटफॉर्म में कोविड-19 वैक्सीन सहित किसी भी नए टीके का लाभ उठाने संभावना है, जैसे और जब भी उपलब्ध हो।

कार्यान्वयन एजेंसी

- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

लक्ष्य

- इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन भंडारण और प्रवाहव और संग्रहण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना है।
- आवश्यक टीकाकरण सेवाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने और हमारे बच्चों और गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए कोविड महामारी के दौरान अपेक्षित अनुकूलन के साथ इस मजबूत प्रणाली का उपयोग किया गया है।
- ई-वी.आई.एन., देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण तापमान की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एक मजबूत आई.टी. अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को जोड़ती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यू.बी.डब्ल्यू.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दुनिया भर के 120 से अधिक देश सप्ताह भर तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का जश्न मना रहे हैं।
- इस वर्ष की थीम एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना और वैश्विक महामारी को देखते हुए एहतियाती उपाय करना है।



विश्व स्तनपान सप्ताह के संदर्भ में जानकारी

- यह पहली बार 1992 में मनाया गया था और अब 1 से 7 अगस्त तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य

- यह जीवन के प्रारंभिक छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसके स्वास्थ्य संबंधी बड़े लाभ हैं।
- इसे विश्व स्तनपान कार्रवाई संधि (डब्ल्यू.ए.बी.ए.), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक मुद्दा

स्रोत- यूनाइटेड नेशन

महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित 'महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण' पहल के अंतर्गत ग्यारह महिला उद्यमियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

संबंधित जानकारी

महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह महिलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश की इस प्रकार की पहली पहल है।
- यह पहल आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा स्थापित की गई है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है।

लक्ष्य

- इस पहल का उद्देश्य कॉलेज में जाने वाली छात्रा से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी तक की महिलाओं के बीच व्यवहार्य पूर्णता कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने और एक जोश जगाने पर केंद्रित है।

पुरस्कार

- अनुदान के रूप में कुल 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार 11 महिला उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- द ट्रिब्यून

स्टार्ट-अप को शामिल करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के दायरे को व्यापक बनाने का फैसला किया है, जिसमें स्टार्ट-अप्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर शामिल किया गया है।
- केंद्रीय बैंक, पी.एस.एल. के अंतर्गत 'छोटे और सीमांत किसानों' और 'कमजोर वर्गों' को ऋण देने के लक्ष्य को भी बढ़ाएगा।



प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के संदर्भ में जानकारी

- कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक ऋण का एक निर्दिष्ट हिस्सा प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्राथमिकता क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

- कृषि
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)
- निर्यात ऋण
- शिक्षा
- आवास
- सामाजिक अवसंरचना
- अक्षय ऊर्जा
- अन्य
- अन्य श्रेणी में कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत ऋण, तंग व्यक्तियों को ऋण, एस.सी./ एस.टी. के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को ऋण देना शामिल हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंकों हेतु लक्ष्य और उप-लक्ष्य

- बैंकों को समायोजित कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत या ऑफ बैलेंस शीट अनावरण की ऋण राशि के बराबर, जो भी अधिक हो, धनराशि को कृषि और सूक्ष्म उद्यम सहित प्राथमिकता क्षेत्रों को देना अनिवार्य होता है।
- 20 और उससे अधिक शाखाओं वाली घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) और विदेशी बैंकों को पी.एस.एल. में शामिल किया जाता है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 10% या कुल परिणामी बैंक ऋण का 10%, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्ग को दिया जाना चाहिए।
- कुल परिणामी बैंक ऋण का 18%, कृषि अग्रिमों को दिया जाना चाहिए।
- कृषि के लिए 18 लक्ष्यों के अंतर्गत, समायोजित कुल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) के 8 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट अनावरण की क्रेडिट समतुल्य राशि के लक्ष्य को, जो भी अधिक है, लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित किया गया है।
- ए.एन.बी.सी. का 7.5 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट अनावरण की राशि, जो भी अधिक हो, सूक्ष्म उद्यमों को दी जानी चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पी.एस.एल.सी.एस.):

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पी.एस.एल.सी.एस.), एक तंत्र है जो बैंकों को कमी होने की स्थिति में इन उपकरणों की खरीद के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह अधिशेष बैंकों को भी प्रोत्साहित करता है क्यों कि यह उन्हें लक्ष्यों पर अपनी अतिरिक्त उपलब्धि बेचने की अनुमति प्रदान करता है, जिसके द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाया जाता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, भारत सरकार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत संपीड़ित बायोगैस को शामिल करने की प्रक्रिया में है।
- संपीड़ित बायोगैस पर 'सतत' (किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प) योजना वर्ष 2018 को शुरू की गई थी, जो वर्ष 2023 तक 5000 संयंत्रों से 15 एम.एम.टी. सी.बी.जी. के लक्षित उत्पादन की परिकल्पना करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र, स्रोत- द हिंदू

आभूषण ऋण-से-मूल्य अनुपात को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में परिवारों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, आर.बी.आई. ने गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण के लिए अनुमेय ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.) को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।



हालिया विकास

- वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों और गहनों को गिरवी रखकर स्वीकृत ऋण की सीमा, गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों और गहनों की कीमत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे बढ़ाकर अब 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
- यह संवर्धित एल.टी.वी. अनुपात 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा, जिससे कि उधारकर्ताओं को कोविड-19 के कारण अपने अस्थायी तरलता असंतुलन को काबू करने में सक्षम बनाया जा सके।
- तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत किए गए नए सोने के ऋण 75% के एल.टी.वी. अनुपात को आकर्षित करेंगे।

महत्व

- बैंकों द्वारा गोल्ड लोन को अनुमेय ऋण-मूल्य अनुपात में वृद्धि से प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह उम्मीद की जाती है कि कई उधारकर्ताओं के लिए वर्तमान वातावरण में धन जुटाने के लिए गोल्ड लोन, पसंदीदा विकल्पों में से एक होगा क्योंकि कि व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यम, धन की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन लेंगे।
- हालांकि, सभी समय पर सोने की कीमतों के उच्च स्तर के साथ बैंकों को एल.टी.वी. को 90% तक बढ़ाने के लिए सावधान रहना चाहिए।

संबंधित जानकारी

स्वर्ण मुद्राकरण योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना नवंबर, 2015 में सोवरेन गोल्ड बांड और इंडिया गोल्ड क्वॉइन के साथ शुरू की गई थी।
- यह सोने के जमाकर्ताओं को उनके धातु खातों पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। एक बार जब सोना, धातु खाते में जमा कर दिया जाता है तो यह स्वयं पर ब्याज अर्जित करना शुरू कर देता है।
- इस योजना के अंतर्गत, एक जमाकर्ता को एक वर्ष से तीन वर्ष की अल्पकालिक जमा अवधि के लिए सालाना 2.25% ब्याज मिलता है। मध्यम और लंबी अवधि के जमा पर 2.5% ब्याज दर मिलती है।

उद्देश्य

- दीर्घकालिक स्तर पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करके चालू खाते के घाटे को कम करने हेतु देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को गति प्रदान करना और इस सोने को उत्पादक उपयोग में लगाना
- स्वर्ण मुद्राकरण योजना के अंतर्गत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (धात्विक स्वर्ण खरीदने का विकल्प) और इंडियन गोल्ड क्वॉइन का विकास भी नवंबर, 2015 में लांच किया गया था।

नोट:

ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.) क्या है?

- ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.), ऋण जोखिम का एक मूल्यांकन है, जिसे वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाता गिरवी को स्वीकृति प्रदान करने से पहले जांचते हैं।
- सामान्यतः, उच्च एल.टी.वी. अनुपात वाले ऋण मूल्यांकन को उच्च जोखिम ऋण माना जाता है। इसलिए, यदि गिरवी को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऋण की उच्च ब्याज दर होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

प्रोत्साहन हेतु ऑफलाइन खुदरा भुगतान सेट

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड और मोबाइल डिवाइसों का उपयोग करके ऑफलाइन खुदरा भुगतानों की एक योजना का अनावरण किया है।
- यह कंपनियों को कार्ड, वॉलेट और मोबाइल फोन का उपयोग करके बैंकिंग लेन-देन करने के लिए एक ऑफलाइन भुगतान मोड विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।



संबंधित जानकारी

डिजिटल भुगतान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) तंत्र

- हाल ही में, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी या इंटरनेट की धीमी गति, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को अपनाने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
- इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान का विकल्प प्रदान करने से डिजिटल भुगतान को भविष्य में अपनाने की उम्मीद है।
- डिजिटल भुगतानों हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) तंत्र पर भी निर्णय लिया गया था कि डिजिटल लेनदेन की संख्या में हो रही महत्वपूर्ण वृद्धि अधिक विवादों को बढ़ावा दे रही है।
- तदनुसार, रिज़र्व बैंक को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) प्रणाली शुरू करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पी.एस.ओ.) की आवश्यकता होगी।

- चेक से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए आर.बी.आई. ने 50,000 और इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए सकारात्मक भुगतान का एक तंत्र पेश करने का निर्णय लिया है।
- केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस तंत्र के अंतर्गत चेक जारी करने के समय जारीकर्ता द्वारा पारित सूचना के आधार पर भुगतानकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक संसाधित किए जाएंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र (बैंकिंग)

स्रोत- द हिंदू

अरुणाचल के मुख्यमंत्री खांडू ने स्वायत्त परिषद पर चर्चा की मांग की है।

खबरों में क्यों है?

- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और दो स्वायत्त परिषदों, मोन स्वायत्त क्षेत्र (एम.ए.आर.) और पटकाई स्वायत्त परिषद (पी.ए.सी.) पर चर्चा करने की मांग की है, जिसने बहुत ही अप्रिय स्थिति को जन्म दे दिया है।



मुद्दे

- अरुणाचल प्रदेश के दो छोरों में सीमांत राज्य में रूढ़िवादियों के बीच स्वायत्त परिषदों- पश्चिम में मोन स्वायत्त परिषद (एम.ए.आर.) और पूर्व में पटकाई स्वायत्त परिषद (पी.ए.सी.) के निर्माण की नए सिरे से मांग की गई है।
- मोन स्वायत्त क्षेत्र मांग समिति (एम.ए.आर.डी.सी.) के अनुसार, मोन स्वायत्त क्षेत्र के निर्माण की मांग, जो 2003 में शुरू हुई थी, आज भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक वर्ष बाद एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भारत सरकार के समक्ष लंबित है।
- राज्य विधानसभा ने पहले ही वर्ष 2004 में तरांग, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तवांग और पश्चिम कामेंग की एक स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को अपनाया और पारित कर दिया है और समान संदर्भ को केंद्र को भेज दिया है।
- हालांकि, वर्षों से कई कार्रवाइयों की श्रृंखला के बाद भी मांग लंबित है।

समिति

- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत मोन स्वायत्त क्षेत्र के गठन की मांग के बाद, केंद्र ने वर्ष 2014 में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
- समिति ने फरवरी, 2014 में तवांग का दौरा भी किया था और एम.ए.आर.डी.सी. और सिविल सोसायटी के सदस्यों के सदस्यों से मुलाकात भी की थी।

संबंधित जानकारी

संविधान की छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है जिससे कि इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- इसे वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यह स्वायत्त जिला परिषदों (ए.डी.सी.) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
- ए.डी.सी., एक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं, जिन्हें संविधान ने राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता की अलग-अलग कोटि प्रदान की है।
- यह संविधान सभा द्वारा गठित बोरदोल्डो समिति की रिपोर्टों पर आधारित था।
- समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी, जो आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने की अनुमति प्रदान करे।
- इस रिपोर्ट को मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा इन जनजातीय क्षेत्रों का शोषण करने से सुरक्षा प्रदान करने हेतु और उनके विशिष्ट सामाजिक रीति-रिवाजों को संरक्षित करने तैयार किया गया था।
- यह एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों (ए.डी.सी.) के माध्यम से आदिवासियों को विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- ए.डी.सी., राज्य के भीतर वे जिले हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता की अलग-अलग कोटि प्रदान की है।

ए.डी.सी. को नागरिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं

- ए.डी.सी. को नागरिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और वे जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इनमें से प्रत्येक केस के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट करते हैं।
- परिषदों को राज्यपाल से उचित अनुमोदन के साथ भूमि, वन, मत्स्य पालन, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे मामलों पर विधायी कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त है।
- केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका इन स्वायत्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से प्रतिबंधित हैं।
- इसके अतिरिक्त, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के लिए कानूनों में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति

- इन राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार प्राप्त है।
- सरल शब्दों में, वह किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने, सीमाओं को बढ़ाने या घटाने और दो या अधिक स्वायत्त जिलों को मिलाकर एक करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- वह एक पृथक कानून के बिना स्वायत्त क्षेत्रों के नामों को बदल सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू+द प्रिंट

कृषि अवसंरचना कोष

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा शुरू की है।

कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई पैन इंडिया केंद्रीय क्षेत्र की योजना- कृषि अवसंरचना कोष को जुलाई, 2020 में मंजूरी प्रदान की थी।



उद्देश्य

- यह योजना ब्याज आर्थिक सहायता और वित्तीय समर्थन के माध्यम से फसल की कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने हेतु एक मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत निम्न को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे:
 - प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पी.ए.सी.एस.)
 - विपणन सहकारी समितियाँ
 - किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)
 - स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)
 - किसान, संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
 - बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ
 - कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप
 - समूहन अवसंरचना प्रदाता

- I. केंद्रीय/ राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- यह आर्थिक सहायता अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
- इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।
- इस कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी फीड-बैक सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी।

महत्व

- कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा के माध्यम से परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
- यह योजना के अन्य लाभों के साथ समाकलन के अतिरिक्त तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया में भी मदद करेगा।

नोटः

केंद्रीय क्षेत्र की योजना के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत, यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार की जाती हैं।
- केंद्रीय मंत्रालय, कुछ योजनाओं को सीधे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करते हैं, जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहा जाता है लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों को सामान्यतः राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- द हिंदू

आर.बी.आई. की नई ऋण पुनर्संरचना योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, आर.बी.आई. ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में तनावग्रस्त ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्संरचना योजना को हरी झंडी दी है।
- यह कंपनियों और व्यक्तियों को एकमुश्त ऋण पुनर्संरचना प्रदान करने वाली एक विशेष खिड़की है, यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को विशेष रूप से राहत प्रदान करेगी।



योजना का लाभ किसे मिलेगा?

- केवल उन कंपनियों और व्यक्तियों को जिनके ऋण खाते 1 मार्च, 2020 तक अधिकतम 30 दिनों से डिफाल्ट पर हैं, वह भी एक बार के पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं।
- कॉर्पोरेट ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए, बैंक 31 दिसंबर, 2020 तक एक संकल्प योजना शुरू कर सकते हैं और इसे 30 जून, 2021 तक लागू कर सकते हैं।
- ऐसे ऋण खातों को आह्वान की तारीख तक निरंतर रूप से मानक होना चाहिए।
- वन टाइम पुनर्गठन खिड़की सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है।

लाभ

- इससे उन कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो समय पर ऋण दायित्वों को पूरा कर रही थीं लेकिन मार्च के बाद ऐसा जारी रख पाना मुश्किल हो गया था क्योंकि महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया था।

यह योजना बैंकों को कैसे प्रभावित करेगी?

- बैंक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि को काफी हद तक जांचने में सक्षम होंगे।
- हालांकि, यह एन.पी.ए. को मौजूदा स्तरों से नीचे नहीं लाएगा।

इसे किस प्रकार लागू किया जाएगा?

- आर.बी.आई. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पूर्व अध्यक्ष के. वी. कामथ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें करेगी।

संबंधित जानकारी

पहले की अन्य ऋण पुनर्संरचना योजना

रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना

- रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एस.डी.आर.) योजना के अंतर्गत, बैंकों को ऋण राशि को 51% इक्विटी में बदलने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसे फर्म के व्यवहार्य होने के बाद अधिकतम बोलीदाता को बेचा जाना था।
- यह बैंकों की खराब ऋण समस्या को हल करने में उनकी मदद करने में असमर्थ थी क्योंकि व्यवहार्यता के मुद्दों के कारण इस उपाय के माध्यम से केवल दो बिक्री हुई है।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थायी संरचना (एस4ए)

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थायी संरचना (एस4ए) में, बैंक अवलेखन का अनुमोदन देने के अनिच्छुक थे क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं थी और बड़े देनदारों के अवलेखन से बैंकों की पूंजी तक खत्म हो सकती थी।

5/25 योजना

- 5/25 योजना को रोक दिया गया था क्योंकि पुनर्वित्त ब्याज की उच्च दर पर किया गया था जिससे कि बैंक, ऋण राशि के कुल वर्तमान मूल्य को संरक्षित कर सकें।
- ऐसी धारणा थी कि यह बैंकों द्वारा एन.पी.ए. को कवर करने के लिए तैनात किए गए साधनों में से एक था।

परिसंपत्ति पुनर्संरचना योजना

- परिसंपत्ति पुनर्संरचना योजना में, प्रमुख समस्या यह थी कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ए.आर.सी.) को बैंकों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को हल करना मुश्किल लग रहा था।
- इसलिए, वे कम कीमतों पर ही ऋण खरीदना चाहते थे।
- परिणामस्वरूप, बैंक उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण बेचने के लिए अनिच्छुक थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना के अंतर्गत राज्यों को 553 करोड़ रूपए जारी किए हैं।



कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन के संदर्भ में जानकारी

- कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.) को अप्रैल, 2014 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण की समावेशी प्रगति करना था।
- वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए 1033 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था, जिसमें से 553 करोड़ रूपए राज्य सरकारों को जारी किए गए थे।

लाभ

- कृषि यांत्रिकीकरण, समयबद्ध कृषि संचालन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है और इनपुटों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करके परिचालन में कटौती करता है।
- व्यक्तिगत किसानों को मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि, स्रोत- द हिंदू

कृषि मेघ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने आई.सी.ए.आर. का डेटा बहाली केंद्र कृषि मेघ लॉन्च किया है।



कृषि मेघ के संदर्भ में जानकारी

- कृषि मेघ को राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्तपोषित है।
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के डेटा की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया एक डेटा बहाली केंद्र है।
- इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एन.ए.ए.आर.एम.), हैदराबाद में की गई है।

उद्देश्य

- कृषि मेघ का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो नई शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप हैं।

महत्व

- इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) के अंतर्गत की गई थी।
- यह नए भारत की डिजिटल कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

कृषि मेघ की मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (एन.ए.आर.ई.एस.) की डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु
- वर्ष 2012 के दौरान निर्मित मौजूदा डेटा केंद्र (आई.सी.ए.आर.-डी.सी.) को क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के साथ सशक्त किया जाएगा।
- एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद में आई.सी.ए.आर.- कृषि मेघ को नई दिल्ली के आई.सी.ए.आर.- आई.एस.आर.आई. में आई.सी.ए.आर. डेटा केंद्र के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, इसका निर्माण जोखिम को कम करने, गुणवत्ता को बढ़ाने, ई-गवर्नेंस, अनुसंधान, भारत में कृषि के क्षेत्र में विस्तार और शिक्षा उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया था।
- एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद को चुना गया है क्योंकि यह नई दिल्ली के आई.सी.ए.आर.- आई.एस.आर.आई. में आई.सी.ए.आर. डेटा केंद्र के सापेक्ष विभिन्न भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है।
- हैदराबाद भी उपयुक्त है क्योंकि अन्य उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों के साथ कुशल आई.टी. कार्यबल उपलब्ध है जैसे कि निम्न आर्द्रता स्तर जो डेटा केंद्र वातावरण में नियंत्रण करने योग्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एन.आई.पी.) हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है।



ऑनलाइन डैशबोर्ड के संदर्भ में जानकारी

- ऑनलाइन डैशबोर्ड, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों हेतु वन-स्टॉप समाधान होगा।
- डैशबोर्ड को भारत निवेश ग्रिड (आई.आई.जी.) पर होस्ट किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

भारत निवेश ग्रिड के संदर्भ में जानकारी

- यह एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो देश में अपडेटेड और वास्तविक समय के निवेश के अवसरों को प्रदर्शित कर देता है।
- यह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.), वाणिज्य मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी की एक पहल है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संदर्भ में जानकारी

- यह केंद्र सरकार द्वारा 2020-25 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु अनावरण योजना है।
- केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत को \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद करना है।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे निवेश का अनुमान लगाया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र, स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

पारदर्शी कराधान प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' शुरू किया है।



पारदर्शी कराधान प्लेटफार्म के संदर्भ में जानकारी

- प्लेटफार्म की तीन मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:
 - A. फेसलेस मूल्यांकन
 - B. फेसलेस अपील
 - C. करदाताओं का घोषणापत्र
- फेसलेस मूल्यांकन और करदाता घोषणापत्र को लॉन्च के तुरंत बाद से लागू कर दिया जाएगा, जब कि फेसलेस अपील 25 सितंबर, 2020 से लागू होने जा रही है।

फेसलेस मूल्यांकन

- इसका उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच इंटरफेस को समाप्त करना है।
- करदाता को आयकर कार्यालय या अधिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विश्लेषिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली प्रणाली के माध्यम से करदाता का चयन संभव है।

फेसलेस अपील

- इस प्रणाली के अंतर्गत, अपील देश में किसी भी अधिकारी को यादृच्छिक रूप से आवंटित की जाएगी। अपील निर्धारित करने वाले अधिकारी की पहचान अज्ञात रहेगी।

करदाता घोषणापत्र

- यह कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- पी.आई.बी.

मार्च, 2021 तक एम.एस.एम.ई. ऋण पुनर्संरचना की अनुमति प्रदान की गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कोविड के प्रकोप से उत्पन्न संकट को देखते हुए तनावपूर्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए मौजूदा ऋण पुनर्संरचना योजना को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है।



ऋण पुनर्संरचना योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य 7 लाख योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करना है।
- आर.बी.आई. द्वारा घोषित योजना, एक वन टाइम योजना है, जिसमें ऋण की अवधि और ब्याज दर को एन.पी.ए. के रूप में परिसंपत्ति को वर्गीकृत किए बिना संशोधित किया जा सकता है।
- यह सुविधा केवल 25 करोड़ रुपये तक के मानक अग्रिमों हेतु उपलब्ध है।
- बैंकों को इन पुनर्संरचित ऋणों की ओर 5% का प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।
- मौजूदा योजना के अनुसार, 1 जनवरी, 2020 तक ऋणप्राप्तकर्ता का खाता मानक होना था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

आर.बी.आई. ने सरकार को 57,000 करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सरकार को 57,000 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान की मंजूरी प्रदान की है।
- आर.बी.आई. बोर्ड ने केंद्र सरकार को लेखांकन वर्ष 2019-20 के लिए अधिशेष के रूप में 57,128 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है, केंद्रीय बैंक ने 5.5% की दर पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखने का निर्णय लिया है।



संबंधित जानकारी

- 1934 के आर.बी.आई. अधिनियम के अनुसार, "अधिशेष निधियों का आवंटन" अनुभाग, रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिचालन से किए गए किसी भी मुनाफे को केंद्र को भेजे जाने के लिए अनिवार्य है।

आर.बी.आई. के आय के स्रोत क्या हैं?

- i. वित्तीय बाजारों में आर.बी.आई. के संचालन से एक महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है, जब वह विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के आग्रह के लिए हस्तक्षेप करता है।
- ii. खुला बाजार परिचालन तब होता है, जब वह रुपये को गिरने से रोकने का प्रयास करता है।
- iii. सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त धन को आय के रूप में रखता है।
- iv. अपनी उन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से रिटर्न के रूप में जो विदेशी केंद्रीय बैंकों या शीर्ष रेटेड प्रतिभूतियों के बॉन्ड में निवेश की गई हैं।
- v. अन्य केंद्रीय बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक या बी.आई.एस. के पास जमा राशि से
- vi. बैंको को बहुत कम समयावधि के लिए ऋण देना और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऋणों को रख-रखाव के लिए प्रबंधन आयोग
- vii. केंद्रीय बैंक की कुल लागत, जिसमें मुद्रण और कमीशन प्रारूपों पर व्यय शामिल है, यह अपनी कुल सकल ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है।

नोट:

- पिछले वर्ष आर.बी.आई. बोर्ड ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में आर्थिक पूंजी ढांचे (ई.सी.एफ.) की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें केंद्रीय बोर्ड को 1.23 लाख करोड़ रुपये और वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के 52,637 करोड़ रुपये के अधिशेष को हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया था।
- ऐसा पहली बार है जब आर.बी.आई. एक बार के हस्तांतरण में इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर रहा है।

आर्थिक पूंजी ढांचे के संदर्भ में जानकारी

- आर्थिक पूंजी ढांचा, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर का निर्धारण करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

'पॉजिटिव पे' तंत्र

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 'पॉजिटिव पे' तंत्र पेश किया है, जो चेक भुगतान को सुरक्षित बनाएगा और धोखाधड़ी के मामलों को कम करेगा।
- जारीकर्ता अपने बैंक को संपूर्ण विवरण भेजने में सक्षम होंगे, जिससे 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक की तेज निकासी सुनिश्चित होगी।

पॉजिटिव पे तंत्र क्या है?

- 'पॉजिटिव पे', ग्राहकों को जाली, बदली हुई या नकली चेकों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाया गया एक धोखाधड़ी का पता लगाने वाला उपकरण है।
- यह लाभार्थी द्वारा नकदी प्राप्त करने से पहले जारी किए गए चेक के संपूर्ण विवरणों को सत्यापित करता है।
- मेल न खाने के मामले में, जांच के लिए चेक वापस जारीकर्ता को भेजा जाता है।

महत्व

- इस प्रकार की प्रणाली का अनुसरण करने से, बैंक को लाभार्थी द्वारा ग्राहक के खाते में चेक जमा करने से पहले ही ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक के संदर्भ पता चल जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र (बैंकिंग प्रणाली)

स्रोत- ई.टी.

नाबार्ड ने एनबीएफसी-एमएफआई उद्योग के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया

समाचार में क्यों?

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक समर्पित ऋण और ब्याज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है जिससे कोविड-19 महामारी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट के ऋण प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।



संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम के बारे में

- यह छोटे और मध्यम आकार के सूक्ष्मवित्त संस्थानों (एमएफआई) को दिए गए एकत्रित लोन पर आंशिक गारंटी प्रदान करने पर जोर देता है।
- यह आरंभिक अवस्था में रु. 2,500 करोड़ के वित्तयन में प्रोत्साहन को मदद देगी। बाद में इसके और भी बढ़ने की संभावना है।
- इस कार्यक्रम के 28 राज्यों और 650 जिलों में 10 लाख से ज्यादा परिवारों को शामिल करने की संभावना है।
- यह पूंजी की लागत को घटाने में मदद करता है क्योंकि ऋणों की रेटिंग बढ़ जाती है और ऋणदाता को प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम लेन-देन के लिए नाबार्ड और विवरिती ने उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है।

संबंधित सूचना

नाबार्ड के बारे में

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को लोकप्रिय तौर पर नाबार्ड कहते हैं।
- नाबार्ड को देश में सर्वोच्च बैंक के रूप में अविहित किया गया है।
- इस राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1982 में संसद के विशेष कानून के द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य कृषि, कुटीर, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों और ग्राम्य उद्योगों में ऋण प्रवाह को प्रदान करके ग्रामीण भारत का उन्नयन करना था।
- यह गैर-कृषि क्षेत्र को भी समर्थन प्रदान करता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है।
- नाबार्ड भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धता हासिल करने के लिए सतत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

नाबार्ड के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

- नाबार्ड कृषि को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करके ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। यह लघु उद्योगों को सभी जरूरी वित्त और सहायता प्रदान करती है।
- नाबार्ड राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि को बढ़ावा देता है।
- कृषीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करके यह लघु और सूक्ष्म सिंचाई में सुधार करता है।
- यह कृषि, ग्रामीण उद्योगों में शोध और विकास का कार्य करता है।

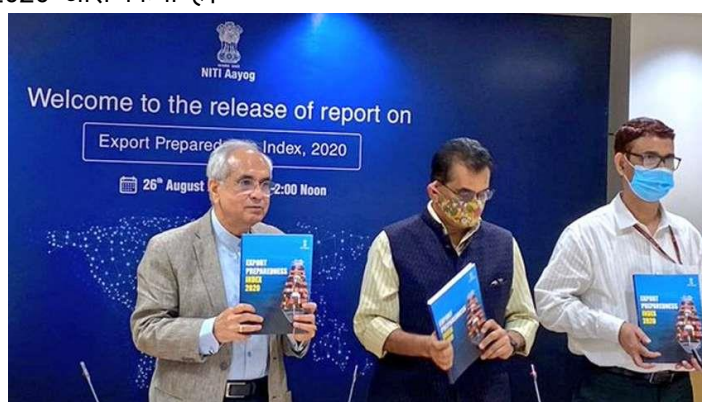
टॉपिक- सामान्य अध्ययन तृतीय- अर्थव्यवस्था

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

निर्यात तत्परता सूचकांक 2020

खबरों में क्यों है?

- प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने पहला निर्यात तत्परता सूचकांक (ई.पी.आई.) 2020 जारी किया है।



निर्यात तत्परता सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- निर्यात तत्परता सूचकांक, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और एक सुविधाजनक विनियामक ढांचे को प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है।

यह सूचकांक राज्यों को चार प्रमुख मापदंडों पर स्थान प्रदान करता है:

- a. नीति
- b. व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
- c. निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र
- d. निर्यात प्रदर्शन

सूचकांक में 11 उप-स्तंभों पर भी विचार किया गया है:

- a. निर्यात संवर्धन नीति
- b. संस्थागत ढांचा
- c. व्यापारिक वातावरण
- d. अवसंरचना
- e. परिवहन कनेक्टिविटी
- f. वित्त तक पहुँच
- g. निर्यात अवसंरचना
- h. व्यापार समर्थन
- i. आर एंड डी अवसंरचना
- j. निर्यात विविधीकरण

k. प्रगति अभिविन्यास

सूचकांक के निष्कर्ष

- गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमता और सुविधाजनक कारकों की उपस्थिति का संकेत देता है।
- स्थलसीमा राज्यों में, राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
- हिमालयी राज्यों में, उत्तराखंड चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में, दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दो स्थलसीमा राज्य हैं, जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि समान प्रकार की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा उठाए गए उपायों पर नजर डाल सकते हैं और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्हें लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।
- नीतिगत मापदंडों पर, महाराष्ट्र सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान है।
- व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र मापदंडों पर, गुजरात को प्रथम स्थान प्रदान किया है, उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु के स्थान हैं।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र मापदंड में, महाराष्ट्र सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद ओडिशा और राजस्थान का स्थान है।
- निर्यात प्रदर्शन मापदंड पर, मिजोरम ने सूचकांक का नेतृत्व किया है, जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में भारत के 70 प्रतिशत निर्यात पर पांच राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

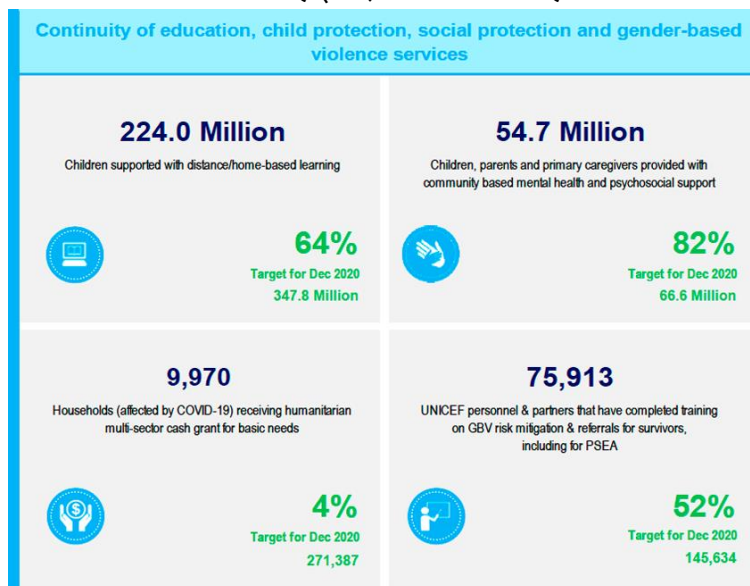
स्रोत- द हिंदू

महत्वपूर्ण रिपोर्ट, समितियां एवं योजनाएं

महामारी के कारण 24 लाख बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं: यू.एन.

खबरों में क्यों है?

- शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की संक्षिप्त नीति के अनुसार, कोविड-19 के कारण आर्थिक विफलता के कारण अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल नहीं लौटने का जोखिम है।
- शैक्षिक वित्तपोषण का अंतर भी एक तिहाई बढ़ने की संभावना है।



रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्रणाली के विघटन से प्रभावित हुए हैं, लेकिन महामारी ने मौजूदा असमानताओं को कम करने के लिए कार्य किया है, कम आय वाले देशों में कमजोर आबादी पर इसके कठिन और दीर्घकालिक प्रभाव हैं।
- उदाहरण के लिए, 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान, उच्च विकसित देशों में सिर्फ 20% की तुलना में प्राथमिक स्तर पर 86% बच्चे गरीब देश में प्रभावी रूप से स्कूल से बाहर हो गए हैं।
- यूनेस्को का अनुमान है कि 23.8 मिलियन अतिरिक्त बच्चे और युवा [पूर्व-प्राथमिक से तृतीयक तक] केवल महामारी आर्थिक प्रभाव के कारण अगले वर्ष स्कूल छोड़ सकते हैं या उन्हें स्कूल तक पहुँच नहीं प्राप्त हो सकती है।
- स्कूल बंद होने के बाद अपनी शिक्षा पर वापस नहीं लौटने वाले बच्चों की संख्या और भी अधिक होने की संभावना है।
- लड़कियों और युवा महिलाओं के असंतुष्ट रूप से प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि स्कूल बंद होने से वे बाल विवाह, प्रारंभिक गर्भावस्था और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- यहां तक कि उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा है, विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी वर्षों में उनके अधिगम की हानि काफी गंभीर हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (पीसा) कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकासशील देशों के सतत अनुकरण से पता चलता है कि बिना उपचार के ग्रेड 3 के दौरान एक-तिहाई [तीन महीने के स्कूल बंद होने के

बराबर] अधिगम का नुकसान होने के परिणामस्वरूप 72% छात्र इतना पीछे जा सकते हैं कि ग्रेड 10 तक वे स्कूल छोड़ सकते हैं या स्कूल में कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होंगे।

भारत में स्कूली बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर

- अपनी उच्च जनजातीय आबादी के साथ, झारखंड में भारत में स्कूली बच्चों के लिए अधिकतम ड्रॉपआउट दर (100 में से केवल 30 बच्चे स्कूल पूरा करते हैं) है।
- भारत में औसतन रूप से 100 बच्चों के प्रारंभिक नामांकन पर केवल 70 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।
- जब कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों की संख्या (94) अधिक है, माध्यमिक स्तर के दौरान कई बच्चे ड्रॉप आउट (75 छोड़ देते हैं) होते हैं।
- आदिवासियों में ड्रॉपआउट दर सभी समुदायों में सबसे अधिक होती है।
- सभी समुदायों के बीच, 100 एस.टी. छात्रों में से केवल 61 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करते हैं।
- झारखंड के विपरीत, जिन राज्यों में ड्रॉपआउट दरें सबसे कम हैं, वे राज्य तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
- एक वर्ष में 100 से पदोन्नति और पुनरावृत्ति दर के योग को घटाकर उच्च ड्रॉपआउट दर की गणना की जाती है।
- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत- द हिंदू

के. वी. कामथ समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए मानदंडों पर सिफारिशें करने हेतु अनुभवी बैंकर के. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।



के. वी. कामथ समिति के संदर्भ में जानकारी

- यह समिति, आर.बी.आई. को वित्तीय मापदंडों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जो बदले में 30 दिनों में संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, सिफारिशों को अधिसूचित करेगी।
- समिति के अन्य सदस्यों में दिवाकर गुप्ता, टी. एन. मनोहरन, अश्विन पारेख और सुनील मेहता, भारतीय बैंक संघ के सी.ई.ओ. सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और समिति किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने या उसे आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त होगी जिसे वह उपयुक्त मानती है।

संबंधित जानकारी

भारतीय बैंक संघ के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन 26 सितंबर, 1946 को भारत में संचालित बैंकिंग के प्रबंधन के प्रतिनिधि निकाय के रूप में किया गया था, जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संघ है और यह मुंबई में स्थित है।
- 1946 में भारत में 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रारंभिक सदस्यता के साथ, आई.बी.ए. वर्तमान में भारत में कार्यरत 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आई.बी.ए. का गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया था और कई प्रकार से सदस्य बैंकों की सहायता करने हेतु इसका गठन किया गया था, जिसमें नई प्रणालियों का कार्यान्वयन और सदस्यों के बीच मानकों को अपनाना शामिल है।

संरचना

- भारतीय बैंक संघ का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक माननीय सचिव और 26 सदस्य हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

पी.एम. स्वनिधि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 02 जुलाई, 2020 को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के 41 दिनों के भीतर पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के अंतर्गत मंजूरी दिए गए ऋणों की संख्या और प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 1 लाख और 5 लाख के स्तर को पार कर गई है।



पी.एम.-स्वनिधि के संदर्भ में जानकारी

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत पी.एम. स्वनिधि योजना शुरू की गई है।
- इसका लक्ष्य 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पुनः अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यह शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करता है, जिनमें आसपास के अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

योजना की विशेषताएं

- प्रोत्साहन राशि, ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।

- निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक प्रदान किया जाएगा।
- ऋण की अगली किश्त बढ़ाने की पात्रता भी प्रदान की गई है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), इस योजना की कार्यान्वयन भागीदार है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) लॉन्च किया है।



राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण, एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो सभी नागरिकों को समावेशी, किफायती और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल के लिए समयबद्ध और कुशल पहुँच प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी. प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी., एक व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का भंडार होगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के अनुसार, प्रत्येक मरीज जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन्हें हेल्थ आई.डी. बनाकर शुरूआत करनी होगी।
- प्रत्येक स्वास्थ्य आई.डी., एक स्वास्थ्य डेटा सहमति प्रबंधक से संबंधित होगी- जैसे कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एम.एच.) है - जिसका उपयोग रोगी की सहमति लेने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल से स्वास्थ्य जानकारी के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने के लिए किया जाएगा।
- इस स्वास्थ्य आई.डी. को एक व्यक्ति के मूल विवरण और मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके बनाया गया है।
- यह उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय होगी, जिसके पास अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्डों को इस आई.डी. से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य आई.डी. के लिए मूल प्रस्ताव क्या था?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना की थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करना है, जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा के साथ दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है।

- इसके संदर्भ में जून, 2018 में केंद्र सरकार के प्रबुद्ध मंडल, नीति आयोग ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक डिजिटल मेरूदंड- राष्ट्रीय स्वास्थ्य भंडारण का परामर्श जारी किया था।

लाभ

- यह रोकने योग्य चिकित्सा त्रुटियों के जोखिम को कम करने और देखभाल की गुणवत्ता में काफी वृद्धि करने में बहुत मदद करेगा।
- यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को "अपने स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का अनुदैर्ध्य दृश्य प्राप्त करने में" सक्षम बनाएगी।
- यह "सभी के लिए डिजिटल हेल्थकेयर को सक्षम बनाकर भारत को एक डिजिटल स्वास्थ्य राष्ट्र बनाने" के लिए पिछले महीने एक रणनीति अवलोकन दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी. किन प्रणालियों के साथ सहभागिता करती है?

- परिकल्पना के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं- जैसे अस्पताल, प्रयोगशालाएं, बीमा कंपनियां, ऑनलाइन फार्मसी, टेलीमेडिसिन फर्मों के स्वास्थ्य आई.डी. प्रणाली में भाग लेने की उम्मीद की जाएगी।

संबंधित जानकारी

वैश्विक केंद्रीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली

- वर्ष 2005 में, यू.के. की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.एस.) ने वर्ष 2010 तक सभी रोगियों को केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ संलग्न करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली की तैनाती शुरू की थी।
- जब कि कई अस्पतालों ने इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रोगी रिकॉर्ड प्रणाली का अधिग्रहण किया था, वहाँ कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सूचना विनिमय नहीं था।
- यू.के. करदाता की लागत 12 बिलियन पाउंड से अधिक होने के बाद कार्यक्रम को अंततः समाप्त कर दिया गया था और इसे सबसे महंगी स्वास्थ्य देखभाल आई.टी. विफलताओं में से एक माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

'महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु' पर समिति

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।



प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किस समिति का उल्लेख किया है?

- समिति की अध्यक्षता जया जेटली (पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष) करेंगी, समिति में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, डॉ. विनोद पॉल और भारत सरकार के कई सचिव शामिल हैं।
- समिति या टास्क फोर्स मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर अनुपात को कम करने की अनिवार्यता और महिलाओं के बीच पोषण स्तर में सुधार करने से संबंधित मामलों की जांच करती है।
- टास्क फोर्स गर्भावस्था, जन्म और उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा और मां और नवजात शिशु, नवजात या बच्चे के पोषण स्तर के साथ विवाह और मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच करेगी।
- वे शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.), जन्म के समय लिंग अनुपात (एस.आर.बी.) और बाल लिंग अनुपात (सी.एस.आर.) जैसे प्रमुख मापदंडों की जांच करेंगे।
- यह समिति महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर वर्तमान 18 वर्ष से 21 वर्ष तक करने की संभावना की भी जांच करेंगे।

शादी के लिए न्यूनतम आयु क्यों है?

- यह कानून अनिवार्य रूप से बाल विवाह को गैरकानूनी बनाने और नाबालिगों के शोषण को रोकने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है।
- विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानक हैं, जो प्रायः परंपराओं को दर्शाते हैं।

हिंदू में

- हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) में दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, बाल विवाह गैरकानूनी नहीं हैं- यद्यपि उन्हें शादी में नाबालिग के अनुरोध पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है।

इस्लाम में

- इस्लाम में, एक नाबालिग, जो यौवन प्राप्त कर चुका है, का विवाह वैध माना जाता है।

सामान्य कानून में

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह हेतु सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है।
- इसके अतिरिक्त, नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है और नाबालिग की 'सहमति' को अमान्य माना जाता है क्योंकि उसे इस आयु में सहमति देने में असमर्थ माना जाता है।

यह कानून कैसे विकसित हुआ है?

- भारतीय दंड संहिता ने 1860 में 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने को आपराधिक माना था।
- 1927 में सम्मति-आयु विधेयक, 1927 के माध्यम से बलात्कार के प्रावधान में संशोधन किया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ विवाह करना अमान्य होगा।
- इस कानून को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने ब्रिटिश हस्तक्षेप को हिंदू रीति-रिवाजों पर हमले के रूप में देखा था।
- भारत में शादी के लिए सहमति की उम्र के लिए एक कानूनी ढांचा केवल 1880 के दशक में शुरू हुआ था।
- वर्ष 1929 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 और 18 वर्ष निर्धारित की थी।

- इस कानून को लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक आर्य समाज के सदस्य और एक न्यायाधीश, हरबिलास सारदा के नाम से जाना जाता है, इसे अंततः वर्ष 1978 में एक महिला और एक पुरुष के लिए शादी की उम्र को 18 और 21 वर्ष निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया था।

कानून की अनदेखी क्यों की जा रही है?

- महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने के लिए लिंग-तटस्थता लाने से लेकर महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क हैं।
- प्रारंभिक गर्भावस्था बढ़ी हुई बाल मृत्यु दर से संबंधित है और मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

कोर्ट का दृष्टिकोण

- पिछले वर्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एक याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह के लिए एक समान आयु की मांग की गई थी।

समानता से संबंधित निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण फैसले याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन करने के लिए मिसाल के तौर पर काम कर सकते हैं।

- वर्ष 2014 में, 'भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ' केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए कहा था कि न्याय "इस धारणा के साथ किया जाता है कि मनुष्यों का समान मूल्य होना चाहिए और इसलिए उन्हें समान कानूनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है"।
- वर्ष 2019 में, 'जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ' में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को आपराधिक बना दिया था और कहा था कि "जो कानून महिलाओं के साथ लिंग रूढ़ियों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करता है, वह महिलाओं की गरिमा के विपरीत है"।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक का दूसरा संस्करण सर्फशार्क द्वारा जारी किया गया था।

जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

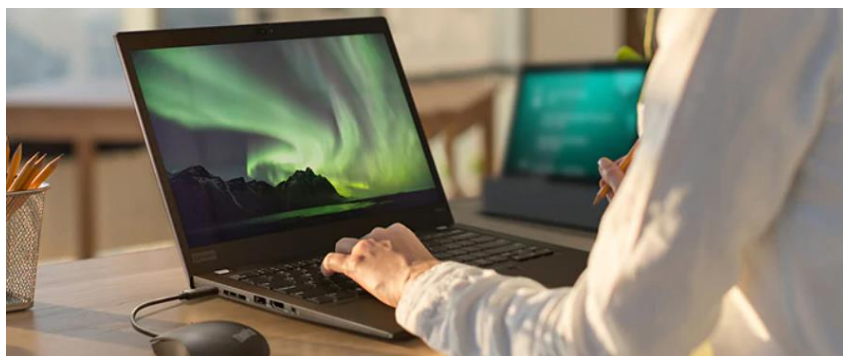
- यह 85 देशों (डिजिटल जनसंख्या का 81%) में डिजिटल भलाई की गुणवत्ता पर एक वैश्विक शोध है।



मापदंड

अध्ययन उन पाँच मूलभूत स्तंभों के आधार पर देशों को सूचकांक में स्थान प्रदान करता है, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं:

- 1) इंटरनेट की सामर्थ्य
- 2) इंटरनेट की गुणवत्ता
- 3) इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना
- 4) इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा
- 5) इलेक्ट्रॉनिक सरकार



सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- दक्षिणी एशिया में 35% (वैश्विक रूप से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र) की तुलना में स्कैंडिनेविया में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक अर्थात् 95% है।
- उच्च सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) अनुकूलन दर और इंटरनेट के उपयोग वाले देशों में इंटरनेट की गति (मोबाइल और ब्रॉडबैंड) अधिक है।

वैश्विक रैंकिंग

- जीवन की अधिकतम डिजिटल गुणवत्ता वाले 10 में से 7 देश, यूरोप में हैं।
- कनाडा, अमेरिका में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाले देश के रूप में उभरकर सामने आया है, जब कि जापान ने एशिया में अग्रणी स्थान ग्रहण किया है।

भारतीय रैंकिंग: भारत, 85 देशों में 57वें समग्र स्थान पर है।

- इंटरनेट सामर्थ्य: 9वें स्थान पर है और यू.के., अमेरिका और चीन जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- इंटरनेट गुणवत्ता: 78वें स्थान पर है और स्तंभ के लगभग निचले भाग में है।
- ई-अवसंरचना: ग्वाटेमाला और श्रीलंका जैसे देशों के नीचे और 79वें स्थान पर है।
- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा: इसमें भारत का 57वाँ स्थान है, इसमें भारत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से ऊपर है।
- इलेक्ट्रॉनिक सरकार: 15वां स्थान और भारत, ब्रिक्स और सार्क देशों में पहले स्थान पर है।

संबंधित जानकारी

इंटरनेट से संबंधित सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, जो नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने में मदद करता है।
- भारत नेट कार्यक्रम, जो सभी ग्राम पंचायतों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रदान करता है।

- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने हेतु एक छात्रीय कार्यक्रम है।
- डिजिलॉकर, जो भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।
- भीम ऐप, जो डिजिटल भुगतान को सक्षम करने में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है।



ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में जानकारी

- इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत किया गया है।
- परिषद में स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामलों, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य भी शामिल होंगे।
- मंत्रालयों के अतिरिक्त, परिषद में मानवाधिकार आयोगों, नीति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे।
- समुदाय से पांच मनोनीत सदस्य भी परिषद का हिस्सा हैं।



परिषद के कार्य

1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना
2. सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना
3. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना
4. ट्रांसजेंडरों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना
5. केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों को करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

चुनाव आयुक्त

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।



संबंधित जानकारी

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

- मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास है।
- अनुच्छेद में कहा गया है कि "राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की संख्या को इस प्रकार से निर्धारित करेगा कि वह उसे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन उपयुक्त प्रतीत हो।"
- इस प्रकार, अनुच्छेद 324(2) ने संसद को मुद्दे पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रखा है।

प्रक्रिया

- चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कार्यकाल

- वे छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पद भार ग्रहण करते हैं, जो भी पहले हो।
- वे किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल की समाप्ति से पहले उन्हें हटाया भी जा सकता है।

नोट:

- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है।

- संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी भविष्य की नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

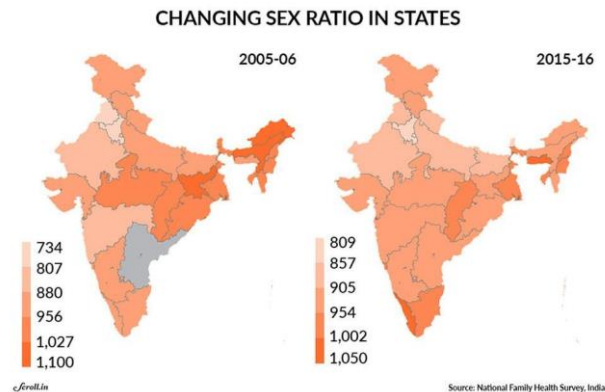
टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है।



भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे जनसंख्या एवं विकास हेतु भारतीय सांसद संघ (आई.ए.पी.पी.डी.) द्वारा लाया गया था।

प्रमुख विशेषताएं

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2001-2017 तक भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, सामान्य या प्राकृतिक मानदंड की तुलना में बहुत कम है।

संबंधित जानकारी

जनसंख्या एवं विकास पर भारतीय सांसद संघ (आई.ए.पी.पी.डी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 1978 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- इस संगठन का गठन निर्बाध विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करने की अनिवार्यता के साथ किया गया था।
- यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार सुनिश्चित करने और जनसंख्या और विकास के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, विशेष रूप से एशिया में, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विशेष एजेंसियों के साथ इसके संबंध और पहुँच है।

आई.ए.पी.पी.डी. निम्नलिखित मंचों और संघों का एक संबद्ध निकाय है:

- जनसंख्या एवं विकास पर वैश्विक सांसद मंच, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
- जनसंख्या एवं विकास पर एशियाई सांसद मंच, ए.एफ.पी.पी.डी. बैंकॉक, थाईलैंड
- एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ, ए.पी.डी.ए. टोक्यो, जापान
- अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सांसद संगठन (आई.एम.पी.ओ.)

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- द हिंदू

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)- राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन ने सफल कार्यान्वयन के छह वर्ष पूरे किए हैं।



प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी।
- इसे 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) एक किफायती ढंग से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग/ बचत/ जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है।

उद्देश्य

- किफायती लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना
- कम लागत और व्यापक पहुंच तक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

प्रारंभिक विशेषताएं

यह योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों के आधार पर शुरू की गई थी:

- बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच- शाखा और बी.सी.
- प्रत्येक परिवार को 10000 रूपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- बचत, ए.टी.एम. के उपयोग, ऋण के लिए तैयार रहने, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा देना
- क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण- बैंकों को डिफॉल्ट के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना
- बीमा- 15 अगस्त, 2014 से 31 जनवरी, 2015 के बीच खोले गए खातों के लिए 1 लाख रूपए का दुर्घटना कवर और 30000 रूपए का लाइफ कवर
- असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

नई सुविधाओं के साथ पी.एम.जे.डी.वाई. का विस्तार

- सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक पी.एम.जे.डी.वाई. कार्यक्रम को 28.08.2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- a) इसका ध्यान "प्रत्येक परिवार" से "प्रत्येक अनबैंकड वयस्क" पर केंद्रित है।
- b) रूपे कार्ड बीमा- 28.08.2018 के बाद खोले गए पी.एम.जे.डी.वाई. खातों के लिए रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रूपए से बढ़कर 2 लाख रूपए हो गया है। रु से बढ़ गया है।
- c) ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि -

- d) ओवर ड्राफ्ट की सीमा 5,000/- रुपये से दोगुनी होकर 10,000/- रुपये, ओ.डी. 2,000/- तक (बिना शर्तों के) तक हो गई है।
- e) ओ.डी. के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 60 से 65 वर्ष कर दिया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

विश्व बैंक डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोकेंगा

खबरों में क्यों है?

- विश्व बैंक ने हाल ही में डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट का प्रकाशन पर रोक लगा दी है जिसमें ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रैंकिंग दी होती है।



रोकने के पीछे का कारण

- रैंकिंग के प्रकाशन के प्रभावी निलंबन की इस घोषणा के पीछे कारण अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 2018 और 2020 रिपोर्ट में आंकड़ों में परिवर्तन के संबंध में अनियमितताओं की शिकायत थी।
- विश्व बैंक के अनुसार, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश अज़रबैजान, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- भारत आंकड़ों की अनियमितता से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में शामिल नहीं है।

संबंधित जानकारी

ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट के बारे में

- इस रिपोर्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी।
- डुईंग बिज़नेस आकलन व्यवसाय नियमों की उद्देश्यात्मक विधियाँ और 190 अर्थव्यवस्थाओं में किसी व्यवसाय को इसके जीवन चक्र में प्रभावित करने वाले 10 मापदंडों पर उनका क्रियान्वयन प्रदान करता है।
- डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट देशों को सीमा से दूरी (DTE) के आधार पर रैंक देता है, यह एक स्कोर है जो किसी अर्थव्यवस्था की वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों से अंतर को दर्शाता है।
- यह रिपोर्ट 10 भिन्न मापदंडों पर देशों के प्रदर्शन का आकलन करना है, ये मापदंड निम्न हैं –
- व्यवसाय शुरू करना
- निर्माण अनुमतियाँ प्राप्त करना
- बिजली की उपलब्धता
- संपत्ति का पंजीकरण

- ऋण की उपलब्धता
- अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना
- करों का भुगतान करना
- सीमापार व्यापार करना
- अनुबंध का क्रियान्वयन
- दिवालियापन का समाधान करना

रैंकिंग की प्रक्रिया

- यह देशों को सीमा से दूरी (DTF) स्कोर के आधार पर रैंकिंग देता है जो किसी अर्थव्यवस्था की वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के सापेक्ष दूरी को रेखांकित करता है।
- उदाहरण के लिए, 75 स्कोर का अर्थ है कि कोई अर्थव्यवस्था सभी अर्थव्यवस्थाओं और सभी समयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों से निर्मित सीमा से 25 प्रतिशत अंक दूर थी।

ईज ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020

- ईज ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट में 190 देशों में से भारत को 63वें पायदान पर रखा गया है जो वर्ष 2018 में अपने 77वें स्थान से 14 अंकों का सुधार है।
- भारत का सीमा से दूरी स्कोर पिछले वर्ष के 67.23 से बढ़कर 71.0 हो गया है।
- भारत लगातार तीसरे वर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल था जहाँ व्यवसाय परिदृश्य में सबसे अधिक सुधार हुआ है।

इस वर्ष भारत के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं –

- व्यवसाय शुरू करना – भारत ने कई आवेदन फॉर्म को एक साधारण निगमन फॉर्म में पूरी तरह एकीकृत कर व्यवसाय शुरू करना आसान बनाया है।
- दिवालियापन का समाधान करना – दिवालियापन का समाधान करने के तहत वसूली की दर 26.5% से बहुत सुधरकर 71.6% हुई है। साथ ही, दिवालियापन को दूर करने में लगने वाले समय भी 4.3 वर्ष से काफी घटकर 1.6 वर्ष हो गया है।
- निर्माण अनुमतियों से निपटना – उदाहरण के लिए, किसी गोदाम का निर्माण करने की लागत पिछले वर्ष के 5.7% की तुलना में गोदाम कीमत का 4% है।
- सीमापार व्यापार करना – एकल इलेक्ट्रॉनिक मंच- दस्तावेजों को जमा करने की बेहतर इलेक्ट्रॉनिक जमा विधि और बंदरगाह अवसंरचना में उन्नयन और आयात तथा निर्यात आसान हो गया है।

विषय – सामान्य अध्ययन III – अर्थव्यवस्था (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

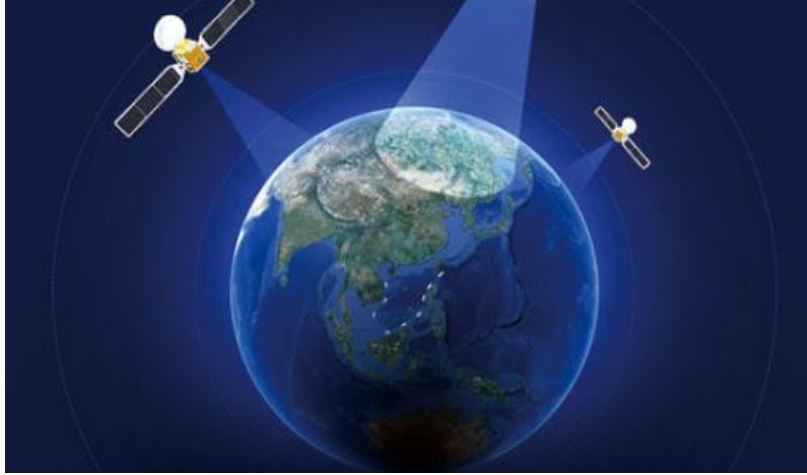
स्रोत – दि हिंदु

विज्ञान एवं तकनीक

बीडोउ (BeiDou) नेविगेशन उपग्रह प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने अपना बीडोउ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नक्षत्र पूरा किया है।



बीडोउ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- बीडोउ नाम बिग डिपर या हल नक्षत्र के चीनी शब्द से लिया गया है।
- चीन की बीडोउ नेविगेशन परियोजना वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई थी, इसके बाद यह वर्ष 2000 में चीन में और वर्ष 2012 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चालू की गई थी।
- यह विश्व का चौथा वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
- इसका उद्देश्य मत्स्य पालन, कृषि, विशेष देखभाल, जन-बाजार अनुप्रयोगों, वानिकी और सार्वजनिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को एकीकृत करना है।
- यह दस मीटर से कम की स्थानीय यथार्थता प्रदान कर सकता (जी.पी.एस. 2.2 मीटर से कम की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है)।
- नेविगेशन प्रणाली को तीन चरणों में पूरा किया गया था अर्थात
 - बी.डी.एस.-1, जो चीन को सेवाएं प्रदान करता है।
 - बी.डी.एस.-2, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है।
 - बी.डी.एस.-3, जो पूरे विश्व में सेवाएं प्रदान करता है।

महत्व

- बी.डी.एस.-3, डेसीमीटर-स्तरीय गतिशील यथार्थता और सेंटीमीटर-स्तरीय स्थिर यथार्थता के साथ यथार्थ प्वाइंट पोजिशनिंग सेवाएं (पी.पी.पी.) प्रदान करने में सक्षम है।
- यह नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ काम करेगा, जिससे वैश्विक उपयोगकर्ताओं को उच्च यथार्थता वाले नेविगेशन, पोजिशनिंग और समय के साथ-साथ संचार सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- विशेष रूप से अमेरिका-चीन तनाव बढ़ने के बीच एक स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली होने से चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।
- बीडोउ में उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और चीन के क्षेत्र एवं सड़क पहल के अंतर्गत चीन के विदेशी व्यापार को बढ़ाने की भी क्षमता है।

- इससे चीन को भारत पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है, जिसकी आई.आर.एन.एस.एस.-एन.एवी.आई.सी. अभी भी एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है।

विश्व की अन्य उपग्रह नेविगेशन प्रणाली

- अमेरिकी सरकार की जी.पी.एस. नेविगेशन प्रणाली और यह अमेरिकी वायु सेना द्वारा संचालित है।
- रूस की अपनी नेविगेशन प्रणाली है, जिसे ग्लोनास कहा जाता है।
- यूरोपीय संघ (ई.यू.) में गैलीलियो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
- भारत के पास नेविगेशन विड इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) है।

A. जी.पी.एस. नेविगेशन प्रणाली

- इसे 1978 में शुरू किया गया था और इसने 1995 में वैश्विक कवरेज हासिल किया है।
- यह संयुक्त राज्य सरकार के स्वामित्व में है और संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा संचालित है।
- इसमें छह विभिन्न कक्षीय विमानों में 24 से 32 मध्यम पृथ्वी कक्षा के उपग्रह हैं।
- जी.पी.एस. सामान्यतः 2.2 मीटर से कम की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है, जिसे संवर्धन प्रणालियों का उपयोग करके कुछ सेंटीमीटर तक भी कम किया जा सकता है।

B. ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली

- रूस की ग्लोबल नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (ग्लोनास) को रूसी संघ के लिए अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार एक राज्य निगम, रॉसकॉसमॉस द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसे 1982 में शुरू किया गया था और इसने 1996 में वैश्विक कवरेज हासिल की थी और पुनः 2011 में (प्रणाली के पुरानी होने पर गिर जाने के बाद) वैश्विक कवरेज हासिल की थी।
- ग्लोनास 2.8 मीटर की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है।

C. गैलीलियो नेविगेशन प्रणाली

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गैलीलियो प्रणाली वर्ष 2005 में शुरू हुई थी और इसके वर्ष 2020 तक 30 उपग्रहों के साथ वैश्विक कवरेज प्रदान करने का अनुमान है।
- गैलीलियो के आधुनिक जी.पी.एस. प्रणाली के साथ संगत होने की उम्मीद है।
- प्राप्तकर्ता, गैलीलियो और जी.पी.एस. उपग्रहों दोनों से सिग्नलों को संयोजित करने में सक्षम होंगे जिससे कि यथार्थता में वृद्धि हो सके।

D. एन.एवीआई.सी. नेविगेशन प्रणाली

- भारतीय नक्षत्र के साथ एन.एवीआई.सी. या नेविगेशन, इसरो द्वारा विकसित एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
- इसमें 7 नेविगेशन उपग्रहों का एक नक्षत्र समूह होता है, जिसमें से 3 उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा (जी.ई.ओ.) में और शेष 4 को भू-समकालिक कक्षा (जी.एस.ओ.) में रखा जाएगा।
- इसका उद्देश्य लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र के भीतर पूरे भारत में 7.6 मीटर से अधिक की सभी मौसम पूर्ण स्थानीय यथार्थता प्रदान करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

स्पेसएक्स का डेमो-2 कू ड्रैगन अंतरिक्षयान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा के दो अंतरिक्ष यात्री नाटकीय, पुरानी शैली में उतरकर पृथ्वी पर लौटे हैं, एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा एक अभूतपूर्व परीक्षण उड़ान समाप्त करने के लिए मैक्सिको की खाड़ी में उनके कैप्सूल पैराशूट खुल गए थे।



संबंधित जानकारी

- यह 45 वर्षों में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया गया पहला स्पलैशडाउन था, जो पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्ष यान द्वारा लोगों को कक्षा में और कक्षा से दूर ले जाने के लिए था।
- पिछली बार, नासा के अंतरिक्ष यात्री 24 जुलाई, 1975 को प्रशांत क्षेत्र में अपोलो-सोयुज के रूप में जाना जाने वाला एक संयुक्त अमेरिकी-सोवियत मिशन को समाप्त करने के लिए प्रशांत क्षेत्र में लौटे थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

बेरुत विस्फोट

खबरों में क्यों है?

- लेबनान की सरकार के अनुसार, बेरुत बंदरगाह पर हुए बड़े विस्फोट में अब तक कम से कम 135 लोग मारे गए हैं, यह विस्फोट 2,700 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है।



बेरुत के संदर्भ में जानकारी

- बेरुत, लेबनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर (पश्चिमी एशिया का एक देश) है।
- यह लेवांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर है और अरब विश्व में पंद्रहवां सबसे बड़ा शहर है।
- लेबनान के भूमध्यसागरीय तट के मध्य में एक प्रायद्वीप पर, बेरुत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बंदरगाह है।
- यह विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो 5,000 से अधिक वर्षों से बसा हुआ है।

- बेरुत का पहला ऐतिहासिक उल्लेख, मिस्र के नए साम्राज्य के अमरना पत्रों में मिलता है, जो 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
- बेरुत को वैश्वीकरण और विश्व शहर अनुसंधान नेटवर्क द्वारा बीटा वर्ल्ड सिटी के रूप में स्थान दिया गया है।



लेबनान के संदर्भ में जानकारी

- लेबनान को आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य के रूप में जाना जाता है, यह पश्चिमी एशिया का एक देश है।
- यह उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजरायल से घिरा हुआ है, जब कि साइप्रस, भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है।

संबंधित जानकारी

1. अमोनियम नाइट्रेट

- अपने शुद्ध रूप में, अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) एक सफेद, क्रिस्टलीय रसायन है, जो पानी में घुलनशील है। यह खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोटकों के निर्माण में मुख्य घटक होता है।
- भारत में, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 हैं।
- यह अधिनियम अमोनियम नाइट्रेट को " NH_4NO_3 सूत्र के साथ एक यौगिक के रूप में परिभाषित करता है, इसमें कोई भी ऐसा मिश्रण या यौगिक शामिल है जिसमें भार द्वारा 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसमें पायस, निलंबन, पिघले या जेल अवस्थाएं शामिल हैं लेकिन पायस या घोल विस्फोटक और गैर-विस्फोटक पायस मैट्रिक्स और उर्वरकों को छोड़ दिया गया है, जिनसे अमोनियम नाइट्रेट को अलग नहीं किया जा सकता है।

2. विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट

- शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट स्वयं में विस्फोटक नहीं होता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के खतरनाक उत्पाद वर्गीकरण के अंतर्गत ऑक्सीकारक (ग्रेड 5.1) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यदि इसे ईंधन या कुछ अन्य संदूषक जैसे अवयवों के साथ मिलाने पर या कुछ अन्य बाहरी कारकों के कारण, यह बहुत विस्फोटक हो सकता है।

- हालांकि, संयोजनों के विस्फोट के लिए डेटोनेटर जैसे ट्रिगर की आवश्यकता होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III - विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पाइरोलिसिस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, बायोफ्यूल पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, प्रयोग की जा चुकी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पी.पी.ई.) से प्लास्टिक को अक्षय तरल ईंधन में बदला जा सकता है।
- शोधकर्ता पी.पी.ई. अपशिष्ट को रासायन का उपयोग करके ईंधन में बदल देंगे, इस प्रक्रिया को पाइरोलिसिस के नाम से जाना जाता है।



लाभ

- जैव ईंधन, जो एक प्रकार का कृत्रिम ईंधन है, में परिवर्तित करने से न केवल मानव जाति और पर्यावरण के लिए भविष्य के गंभीर प्रभावों को रोकेगा बल्कि ऊर्जा का एक स्रोत भी पैदा करेगा।

पाइरोलिसिस के संदर्भ में जानकारी

- पाइरोलिसिस, एक ऊष्मारासायनिक उपचार है, जिसे किसी भी कार्बनिक (कार्बन-आधारित) उत्पाद पर लागू किया जा सकता है।
- यह शुद्ध उत्पादों के साथ-साथ मिश्रणों पर भी लागू किया जा सकता है।
- इस उपचार में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 300-400 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान पर सामग्री को रखा जाता है और रासायनिक और भौतिक पृथक्करण के माध्यम से विभिन्न अणुओं में विभाजित किया जाता है।
- इसमें एक साथ भौतिक चरण और रासायनिक संघटन का परिवर्तन शामिल होता है और यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- ए.आई.आर.

पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.)

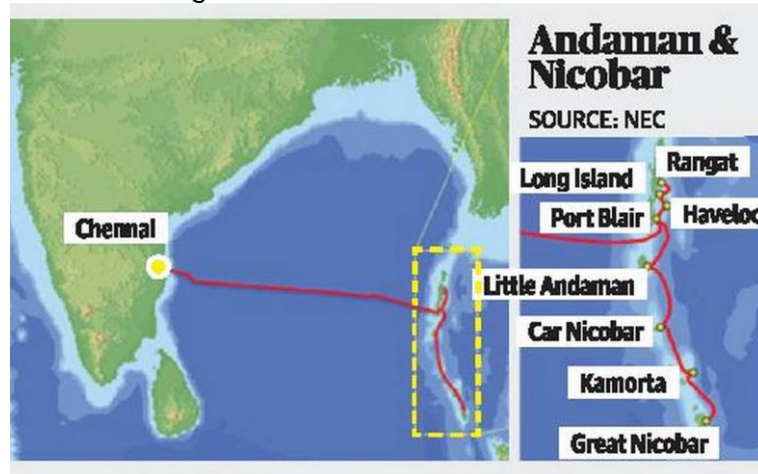
खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) को लॉन्च किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है।
- इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।



पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के संदर्भ में जानकारी

- यह उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तेज मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
- पनडुब्बी ओ.एफ.सी. लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड (जी.बी.पी.एस.) और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 जीबीपीएस की बैंडविड्थ वितरित करेगा।
- 4जी मोबाइल सेवाएं, जो उपग्रह के माध्यम से प्रदान की गई सीमित बैकहॉल बैंडविड्थ के कारण बाधित थीं, इनमें भी काफी सुधार दिखाई देगा।



लाभ

- यह अंडमान और निकोबार को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख तरीके से स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह प्रत्येक नागरिक की आसानी से रहने में मदद करेगा।
- यह डिजिटल इंडिया विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार के माध्यम से अवसरों में वृद्धि करेगा।
- यह एक्ट-ईस्ट नीति में भी मदद करता है, पूर्वी एशियाई देशों और समुद्र से जुड़े अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों में अंडमान और निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और यह आगे और अधिक बढ़ने जा रही है।
- उच्च प्रभाव परियोजनाएं और बेहतर भूमि, वायु और जलमार्ग

- यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

100 GIGABIT PER SEC SPEED

Representative Image

➤ The CANI cable system will have speed of 100 gigabit per second

➤ The eight islands to be connected with Chennai include Port Blair, Little Andaman (Hut bay), Car Nicobar, Kamorta, Great Nicobar (Campbell bay), Havelock, Long and Rangat Islands

➤ It will provide secure, reliable, robust, affordable



telecom facility to these islands

➤ The total route length of the project is estimated to be 2,200 km

➤ NEC Corporation, a Japanese company, will handle the project

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

स्पुतनिक V

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रूस दो महीने से कम समय के मानव परीक्षण के बाद कोविड-19 वैक्सीन 'स्पुतनिक V' को विनियामक मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।



'स्पुतनिक V' वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी

- रूस ने अंतरिक्ष की दौड़ के दौरान 1957 में लॉन्च किए गए विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के संदर्भ में नई अनुमोदित वैक्सीन "स्पुतनिक V" को नाम दिया है।
- मॉस्को के गामालेया संस्थान द्वारा रूसी टीका 'स्पुतनिक V' विकसित किया गया था।
- यह एडेनोवायरस के दो उपभेदों का उपयोग करता है, जो सामान्यतः मनुष्यों में हल्के जुकाम का कारण बनते हैं।
- इस वैक्सीन के दो अलग-अलग इंजेक्टेड घटक हैं।
- दो-चरणीय इंजेक्शन योजना एक स्थायी प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में मदद करती है।
- वेक्टर वैक्सीन और दो-चरणीय योजना के साथ अनुभव दर्शाता है कि प्रतिरक्षा दो वर्ष तक रहती है।

तीसरे चरण का परीक्षण अभी पूरा होना शेष है:

- चरण III या जिसे हम अंतिम चरण का अध्ययन कहते हैं, जिसमें सामान्यतः दसियों हजारों लोग शामिल होते हैं, जो यह साबित करने का एकमात्र तरीका है कि क्या एक प्रयोगात्मक टीका सुरक्षित है और क्या यह वास्तव में काम करता है।
- हालांकि, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन की मंजूरी हजारों प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बड़े परीक्षण III की शुरुआत से पहले आ गई है।
- ऐसे परीक्षण को वैक्सीन के प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए वायरस से ग्रस्त प्रतिभागियों की एक निश्चित दर की आवश्यकता होती है, जिसे सामान्यतः वैक्सीन के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक अग्रदूत माना जाता है।
- मास्को आधारित नैदानिक परीक्षण संगठन संघ (ए.सी.टी.ओ.), रूस में दुनिया के शीर्ष दवा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक व्यापारिक संस्था है, जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमोदन को तब तक स्थगित करने का आग्रह किया था जब तक कि अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- टी.ओ.आई.

मेगा लैब, कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा दे रही हैं।

खबरों में क्यों है?

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) कोविड-19 की टेस्टिंग दर को बढ़ाने के साथ ही यथार्थता दर को सुधारने के लिए "मेगा लैब" विकसित करने पर काम कर रहा है।
- प्रयोगशाला बड़ी मशीनों को फिर से तैयार करेगी, जिसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन (एन.जी.एस.) कहा जाता है।

नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन (एन.जी.एस.) के संदर्भ में जानकारी

- सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में 1,500 से 3,000 वायरल जीनोम का अनुक्रमण करने हेतु एन.जी.एस. का प्रयोग सामान्यतः मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए किया जाता है।
- सी.एस.आई.आर. ने अमेरिका आधारित एक कंपनी, एलुमिना के साथ भागीदारी की है, जो एन.जी.एस. मशीनों के निर्माण में विशेषज्ञ है।



Genome study | A look at how Next Generation Sequencing works

- Next Generation Sequencing (NGS) involves scanning the entire virus genome
- This can help identify more places where the SARS-CoV-2 virus differs from related viruses and can also help develop new diagnostic tests
- Two lineages of the virus, never seen before in Indian genomes, were also found
- The sensitivity (ability to confirm those who have virus as 'positive') of NGS was 97.53%

इन मशीनों के माध्यम से क्या पता लगाया जा सकता है?

- ये मशीनें कई उदाहरणों में भी वायरस की उपस्थिति का पता लगा सकती हैं, जहां पारंपरिक आर.टी.-पी.सी.आर. (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) टेस्ट विफल हो जाते हैं। यह निम्नलिखित की पहचान करने में मदद करता है:
- केवल विशिष्ट भागों का अन्वेषण करके सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस
- वायरस के विकासवादी इतिहास का पता लगाना
- अधिक विश्वसनीयता के साथ में उत्परिवर्तन की निगरानी करता है

आर.टी.-पी.सी.आर. पर एन.जी.एस. कितनी लाभकारी है?

- आर.टी.-पी.सी.आर. के विपरीत, जिन्हें प्राइमरों और जांच की आवश्यकता होती है, जो महामारी की शुरुआत में बड़े पैमाने पर ऐसे टेस्टों के परिचालन में एक महत्वपूर्ण बाधा है, एन.जी.एस. को केवल पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है।

नोट:

- भारत में अब ऐसे पांच अनुक्रमक हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 4 करोड़ रूपए है, ये वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।

संबंधित जानकारी

जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में जानकारी

- जीनोम अनुक्रमण डी.एन.ए. न्यूक्लियोटाइड्स या आधार के क्रम का पता लगाता है, एक जीनोम में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन का क्रम होता है जो एक जीव का डी.एन.ए. बनाते हैं।
- जीनोम विधि वायरस जीनोम के एक बड़े हिस्से का अध्ययन कर सकती है और इस प्रकार, अधिक निश्चितता प्रदान करती है कि विचाराधीन वायरस वास्तव में कोरोनावायरस प्रकृति का है।

भारत में जीनोम अनुक्रमण

- सी.एस.आई.आर. (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) ने रोग के प्रति संवेदनाशीलता (और लचीलापन), अद्वितीय आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने के लिए लगभग 1000 भारतीय ग्रामीण युवाओं के नमूनों का जीनोम अनुक्रमण करने की योजना बनाई है।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीयों के नमूनों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाएगा।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान और कुछ आई.आई.टी. सहित 20 संस्थानों की एक सहभागिता है, जो चिकित्सा, कृषि और जीवन विज्ञान में नई क्षमताओं को सक्षम करेगी।
- इसका उद्देश्य विविध भारतीय आबादी में रोगों के प्रकार और प्रकृति और लक्षणों को पूरी तरह से समझने के लिए अंततः भारतीय "संदर्भ जीनोम" की एक ग्रिड का निर्माण करना है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का महत्व

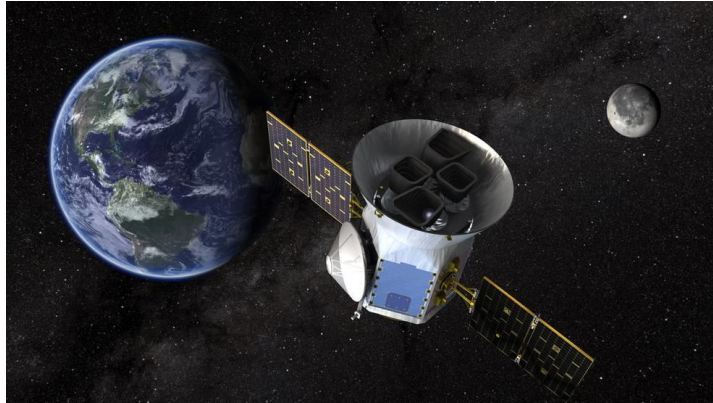
- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट (एच.जी.पी. 1990-2003) से प्रेरित है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसने पूरे मानव जीनोम को डिकोड किया है।
- एच.जी.पी. की एक प्रमुख विविधता समस्या है क्योंकि एच.जी.पी. के अंतर्गत मानचित्रित किए गए अधिकांश जीनोम (95% से अधिक) शहरी मध्यम वर्ग के गोरे लोगों से प्राप्त किए गए हैं।
- इस संदर्भ में, जी.आई.पी. का लक्ष्य मानव प्रजातियों पर उपलब्ध जानकारी को व्यापक रूप से जोड़ना है। यह भारतीय आबादी और यहां की विविधता के पैमाने पर प्रामाणिक डेटा रखने में मदद करेगा। इस विविधता को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विविधता द्वारा दर्शाया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
स्रोत- द हिंदू

ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.एस.) ने दो वर्ष के सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में तारामय आकाश की लगभग 75 प्रतिशत इमेजिंग करके अपने प्राथमिक मिशन को पूरा कर लिया है।
- मिशन में 66 नए एक्सोप्लैनेट्स पाए गए हैं और इसके साथ ही लगभग 2,100 उम्मीदवार खगोलविद पुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं।



ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह के संदर्भ में जानकारी

- यह एक नासा मिशन है, जो कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एम.आई.टी. द्वारा नेतृत्व और संचालित किया जाता है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन का उद्देश्य आसपास के उज्ज्वल तारों के आसपास हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज करना है।

संबंधित जानकारी

एक्सोप्लैनेट के संदर्भ में जानकारी

- यह सौर मंडल के बाहर का एक ग्रह है।
- एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की पहली पुष्टि 1992 में हुई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- लाइव मिनट

नया टिक-जनित वायरस चीन में फैल रहा है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार नामक एक बीमारी फैल रही है, जो टिक-जनित वायरस के कारण हुई है, जिससे सात लोग मारे गए हैं और कम से कम 60 संक्रमित हुए हैं।



थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस के साथ गंभीर बुखार के संदर्भ में जानकारी

- यह बुन्यावायरस परिवार से संबंधित है और टिक के काटने के माध्यम से मनुष्यों में प्रेषित किया जाता है।
- इस वायरस की पहचान पहली बार चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक दशक पहले की थी।

हस्तांतरण

- एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिसालिस लॉन्गिकोर्निस के नाम से जाना जाता है, यह वायरस का प्राथमिक वेक्टर या वाहक है।
- यह बीमारी मार्च से नवंबर के बीच फैलने के लिए जानी जाती है।
- वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह वायरस प्रायः बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- चीनी विषाणु विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि वायरस के मानव-से-मानव संचरण को खारिज नहीं किया जा सकता है।
- वर्तमान मामलों में मृत्यु दर लगभग 16 से 30 प्रतिशत के बीच है।
- जिस दर से यह फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण एस.एफ.टी.एस. को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिक रोग ब्लूप्रिंट में सूचीबद्ध किया गया है।

एस.एफ.टी.एस. का इलाज कैसे किया जाता है?

- इस बीमारी के इलाज के लिए अभी तक सफलतापूर्वक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है, एंटीवायरल दवा रिबाविरिन को बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है।

नोट:

- पहले कुछ मामले वर्ष 2009 में चीन के हुबेई और हेनान प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंटें

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान, आई.आई.एस.सी. बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है।



अंतरिक्ष ईंट के संदर्भ में जानकारी

- इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास करने के लिए संरचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया चंद्रमा की मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन करने वाली ईंटें बनाने में सक्षम बनाती है।
- अब विकसित की गई प्रक्रिया मानव मूत्र से प्राप्त यूरिया का उपयोग करती है, जिसे चंद्रमा पर संरचनाओं का निर्माण करने के लिए चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
- अब विकसित की गई प्रक्रिया मानव मूत्र से प्राप्त यूरिया का उपयोग करती है, जिसे चंद्रमा पर संरचनाओं का निर्माण करने के लिए चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
- इससे समग्र व्यय में काफी कमी आती है।

कार्बन पदचिह्नों को कम करने में मदद मिलती है

- चूंकि सीमेंट के स्थान पर ग्वार गोंद का उपयोग किया जाता है, इसलिए कम कार्बन पदचिह्न होंगे।
- किसी भी आकार में ईंट को ढालने के लिए बैक्टीरिया को मिलाया जाता है।

व्यवहार्यता

- पृथ्वी से ईंटों को भेजना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि एक पाउंड निर्माण सामग्री के परिवहन में 7.5 लाख रूपए का खर्च आता है।

संबंधित जानकारी

कार्बन पदचिह्न के संदर्भ में जानकारी

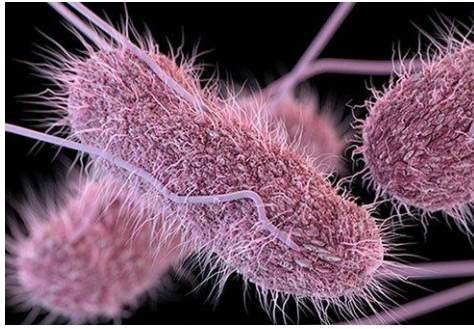
- कार्बन पदचिह्न, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा, किसी व्यक्ति या अन्य संस्था (जैसे: भवन, निगम, देश आदि) की सभी गतिविधियों से संबंधित होती है।
- विनिर्माण, ताप और परिवहन में जीवाश्म-ईंधन दहन के परिणामस्वरूप के साथ ही उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित बिजली का उत्पादन करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन जैसा प्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होता है।
- इसके अतिरिक्त, कार्बन पदचिह्न अवधारणा में प्रायः मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी शामिल होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्रोत- टी.ओ.आई.

साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्वास्थ्य एजेंसियों ने सतर्कता बरतते हुए अपने नागरिकों को कैलिफोर्निया स्थित थॉमसन इंटरनेशनल इंक द्वारा आपूर्ति किए गए प्याज का उपयोग न करने के लिए कहा है, जिसमें साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया के संक्रमण को बल्ब के साथ जोड़ा गया है।



साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया के संदर्भ में जानकारी

- साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया जानवरों में रहता है।
- जब यह मानव शरीर में प्रवेश करता है तो यह साल्मोनेल्लोसिस का कारण बनता है, यह एक संक्रमण है जो आंत पर हमला करता है और दस्त, पेट दर्द, बुखार, उल्टी, मल और मतली में रक्तस्राव का कारण बन सकता है।
- संक्रमण के लक्षण 2 और 7 दिनों के बीच कभी भी रह सकते हैं।
- हालांकि, आंत के कार्यों को पहले जैसी सामान्य स्थिति में लौटने से कभी-कभी महीनों लग सकते हैं।
- कुछ मामलों में, यह संक्रमण को आंत से रक्त प्रवाह में फैलाता है।
- यह संक्रमण पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

हस्तांतरण

- साल्मोनेल्ला दूषित पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंच सकता है।
- इस मामले में, बैक्टीरिया दूषित प्याज के माध्यम से प्रेषित हो रहे थे, जो थॉमसन इंटरनेशनल द्वारा उगाए गए थे।

थॉमसन इंटरनेशनल क्या है?

- कंपनी उत्तरी अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और खाद्य सेवा ऑपरेटरों को प्याज, गोभी, तरबूज और बेल मिर्च की आपूर्ति करती है।
- यह अन्य देशों को भी निर्यात करता है। इसके अधिकांश खेत बेकरफील्ड, कैलिफोर्निया और मैक्सिको में स्थित हैं।
- थॉमसन अपनी उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीजों और संकर पौधों का उपयोग करता है।
- कंपनी द्वारा उत्पाद विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत बेचे जाते हैं, जिनके नाम थॉमसन प्रीमियम, टी.एल.सी. थॉमसन इंटरनेशनल, टेंडर लविंग केयर, ई.एल. कंपटीटर, हार्टले बेस्ट, ओनियन 52, मैजेस्टिक, इंपीरियल फ्रेश, क्रॉगर, यूटाह ओनियन और फूड लायन हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

सैलाइवाडायरेक्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफ.डी.ए.) ने कोविड-19 के लिए सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है।



सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ (एन.बी.ए.) के साथ साझेदारी में येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट विकसित किया गया है।

WHY IS IT DIFFERENT? SalivaDirect uses saliva samples, as opposed to the more invasive nasopharyngeal swabs	WHO DEVELOPED IT? It was developed by researchers from Yale School of Public Health in partnership with the National Basketball Association (NBA)
IS IT AFFORDABLE? Compared to other tests approved by the Food and Drug Administration, SalivaDirect is affordable — each test could cost as little as \$10, or less — and has the highest sensitivity (88-94%)	HOW ARE SAMPLES COLLECTED? The test could allow for 'at-home, self-administered sample collection', according to a researcher involved in developing the test

टेस्ट किस प्रकार भिन्न है?

- सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट अधिक आक्रामक नासोफेरींगल स्वाब के विपरीत लार के नमूनों का उपयोग करता है।

टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या है?

- लार के नमूनों के संग्रहण और टेस्टिंग में तीन चरण शामिल हैं, जिसमें परिरक्षक बफर्स के बिना लार एकत्र करना, प्रोटीनेज K उपचार और ऊष्मा निष्क्रियता और डुअलप्लेक्स आर.टी.-क्यू.पी.सी.आर. वायरस का पता लगाना शामिल है।

महत्व

- यह टेस्ट तब भी वायरस का पता लगा सकता है जब लार के नमूने में वायरस प्रतियों की संख्या, 6-12 प्रतियां प्रति माइक्रोलीटर जितनी कम हों।
- नया टेस्ट, नमूना संग्रह को गैर-आक्रामक बनाता है और एकत्रीकरण के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए नमूने एकत्र करने हेतु प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता को कम करता है।

- नैसर्गिक स्वैचालित का उपयोग करने वाले अन्य टेस्टों की तुलना में यह टेस्ट अधिक यथार्थ है, जो कभी-कभी नमूना एकत्र करने के दौरान त्रुटियों के कारण गलत निगेटिव परिणाम देते हैं।

नोट:

- हाल ही में, मलेशिया ने D614G नामक नए कोरोनावायरस वायरस का पता लगाया है जो पिछले कोरोनावायरस की तुलना में दस गुना अधिक संक्रामक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

रेलवे निगरानी के लिए 'निंजा यू.ए.वी.' की तैनाती करेगा।

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क में अपने सुरक्षा तंत्र को तेज करने के लिए एक ड्रोन-आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना करने हेतु "निंजा यू.ए.वी." (मानव रहित हवाई वाहन) की तैनाती शुरू कर दी है।



निंजा यू.ए.वी. के संदर्भ में जानकारी

- ये हल्के और किफायती सूक्ष्म कॉन्ट्रैप्शन हैं, जो मानचित्रण और निगरानी के लिए बनाए गए हैं।

लाभ

- डेटा संग्रह विश्लेषण के लिए ड्रोन की तैनाती की जा सकती है और कमजोर वर्गों में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
- बचाव, वसूली और बहाली कार्यों में मदद करने और विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय के लिए आपदा स्थलों पर ड्रोन का सेवा कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
- रेलवे संपत्तियों पर अतिक्रमण का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने के दौरान ड्रोन उपयोगी हो सकते हैं।
- बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन प्रयासों के दौरान ड्रोन भीड़ की संख्या, आगमन का संभावित समय और वितरण जैसे महत्वपूर्ण इनपुट दे सकते हैं, जिसके आधार पर इस प्रकार के अभ्यास का नियोजन और निष्पादन किया जा सकता है।
- ड्रोन का उपयोग लॉकडाउन प्रतिबंधों को लागू करने और कोरोनावायरस बीमारी (कोविड-19) के प्रकोप के बाद प्रवासियों की अपने मूल स्थानों की ओर वापसी के आवागमन की निगरानी करने के लिए किया गया था।

संबंधित जानकारी

ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन वर्ष 2018 में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में किया गया था।

उद्देश्य

- यह प्रगतिशील सरकारों का एक समुदाय है, जो उद्योग और अन्य प्रमुख हितधारकों द्वारा समर्थित है, जो प्रगतिशील विनियामक दृष्टिकोण के साथ ड्रोन को अपनाने में तेजी ला रहा है।

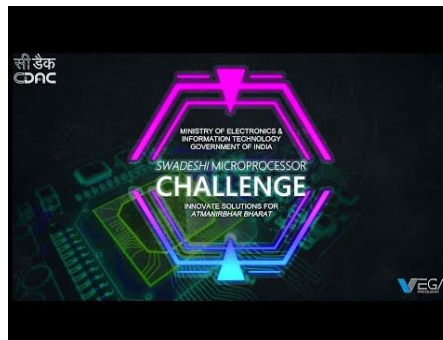
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तेज गति प्रदान करने के लिए “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत हेतु नवाचार समाधान” लॉन्च किया है।
- यह भविष्य में देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तेज गति प्रदान करेगा।



स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के संदर्भ में जानकारी:

- आई.आई.टी. मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक) ने शक्ति (32 बिट) और वेगा (64 बिट) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं।
- उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है।
- यह विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए नवोन्मेषकों, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना चाहता है।
- इस चैलेंज की समयावधि 10 महीने है, इसे 18 अगस्त, 2020 को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू किया गया है और यह जून, 2021 में समाप्त होगा।

महत्व:

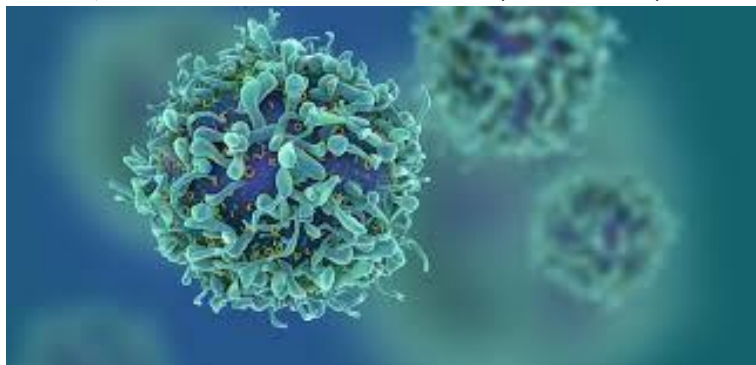
- इसका उद्देश्य भारत के रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इसमें सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयात पर निर्भरता के मुद्दों को कम करने की क्षमता है।
- यह देश में सर्वश्रेष्ठ वी.एल.एस.आई. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञों के साथ इंटरनशिप के अवसर और नियमित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके प्रतियोगियों को लाभ प्रदान करता है।
- यह व्यवसाय सदस्यता और वित्तपोषण समर्थन सहायता भी प्रदान करता है, जो इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा सुविधा प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्रोत- पी.आई.बी.

मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा (एम.एच.सी.टी.)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक ऑपरेशन न करने योग्य ट्यूमर के लिए वांछित चिकित्सा के रूप में मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा (एम.एच.सी.टी.) बनाने का प्रयास कर रहे हैं।



मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा के संदर्भ में जानकारी

- यह एक गैर-आक्रामक कैंसर उपचार है।
- इसमें लक्षित ट्यूमर स्थान के भीतर चुंबकीय सामग्री का वितरण और स्थानीयकरण शामिल है, इसके बाद वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र (ए.एम.एफ.) के परिणामी अनुप्रयोग द्वारा ट्यूमर के स्थान पर गर्मी पैदा की जाती है।
- यह ग्लियोब्लास्टोमा जैसे गहरे दुर्गम ठोस ट्यूमर के खिलाफ दक्षता से कार्य कर सकता है और स्वस्थ समकक्षों के खिलाफ न्यूनतम विषाक्तता के साथ सामान्य कोशिकाओं के प्रति अत्यधिक ऊष्मीय-संवेदनशील है।

अनुप्रयोग

- यह कुशल रूप से ग्लियोब्लास्टोमा जैसे गहरे दुर्गम ठोस ट्यूमर के खिलाफ दक्षता से कार्य कर सकता है और स्वस्थ समकक्षों के खिलाफ न्यूनतम विषाक्तता के साथ सामान्य कोशिकाओं के प्रति अत्यधिक ऊष्मीय-संवेदनशील है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट ने विरल खोज की

समाचार में क्यों?

- हाल में एस्ट्रोसैट ने एक चरण पराबैंगनी प्रकाश की एक आकाशगंगा जिसे एयूडीएफएस01 कहते हैं, से खोज की है जो पृथ्वी से 9.3 प्रकाशवर्ष की दूरी पर है।



एस्ट्रोसेट के बारे में

- एस्ट्रोसेट भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष बेधशाला है।
- यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड की और भी गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेगा।
- एस्ट्रोसेट मिशन की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह एक ही उपग्रह से विभिन्न खगोलीय वस्तुओं के बहु तरंगदैर्घ्य अवलोकनों की एक साथ इजाजत देता है।
- एस्ट्रोसेट ब्रह्मांड का वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रकाशीय, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्रों का अवलोकन करता है जबकि दूसरे अधिकांश वैज्ञानिक उपग्रह केवल तरंगदैर्घ्य पट्टी की छोटी सीमा के अवलोकन में ही सक्षम हैं।
- 1513 किग्रा. के लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान वाले एस्ट्रोसेट को पीएसएलवी-सी30 के द्वारा विषुवत रेखा के 6 डिग्री कोण में 650 किमी. ऊंची कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।

एस्ट्रोसेट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य:

- a. द्वियुग्मी तारा प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए जिनमें न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल शामिल हैं।
- b. न्यूट्रॉन तारों के चुम्बकीय क्षेत्रों का आकलन
- c. तारा प्रणालियों में तारा जन्म क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन जो हमारे आकाशगंगा से बाहर हैं।
- d. आकाश में नए संक्षिप्त चमकीले एक्स-रे स्रोत की पहचान करना
- e. पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित गहन क्षेत्र सर्वेक्षण को करना

टॉपिक-सामान्य अध्ययन तृतीय- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत-द हिंदू

सुरक्षा सम्बंधित मुद्दे

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डी.पी.ई.पी.पी. 2020)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डी.पी.ई.पी.पी. 2020) का मसौदा जारी किया है।



रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 के संदर्भ में जानकारी

- डी.पी.ई.पी.पी. 2020 को आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण रूप से जोर देने के लिए एम.ओ.डी. के व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में परिकल्पित किया गया है।

इस नीति ने निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया है:

- वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादों और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये (25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कारोबार प्राप्त करना
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना
- आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाना
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना
- एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, जो अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है, नवाचार को पुरस्कृत करता है, भारतीय आई.पी. स्वामित्व का निर्माण करता है और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है।

यह नीति निम्नलिखित फ़ोकस क्षेत्रों के अंतर्गत कई रणनीतियों को सामने लाती है:

- खरीद संशोधन
- स्वदेशीकरण और एम.एस.एम.ई./ स्टार्टअप का समर्थन करना
- संसाधन आवंटन का अनुकूलन

- निवेश संवर्धन, एफ.डी.आई. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डी.पी.एस.यू.) और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी.)
- गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना
- निर्यात संवर्धन

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

कावकाज 2020 युद्धाभ्यास

खबरों में क्यों है?

- भारत अगले महीने रूसी कावकाज 2020 रणनीतिक कमांड-पोस्ट युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
- दक्षिणी रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं की एक छोटी टुकड़ी भाग लेगी।



कावकाज 2020 युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- कावकाज 2020 को काकेशस-2020 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- यह रूस के दक्षिण-पश्चिम में सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक युद्धाभ्यास है।
- इसके आमंत्रितों में शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य-राज्यों के अतिरिक्त चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, जून, 2020 में भारत और चीनी सैन्य टुकड़ियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड में मार्च किया था।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उनके चीनी समकक्ष भी शामिल थे, हालांकि उनके बीच कोई द्विपक्षीय भागीदारी नहीं थी।

टॉपिक: जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत: द हिंदू

भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' का शुभारंभ किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय तटरक्षक के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत (ओ.पी.वी.) को भारतीय तटरक्षक जहाज 'सार्थक' के रूप में लॉन्च किया गया है और इसका नामकरण किया गया है।

- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) ने अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' को डिजाइन और विकसित किया है, जो पांच ओ.पी.वी. की श्रृंखला में चौथा है।



'सार्थक' के संदर्भ में जानकारी

- इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है और इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह निर्बाध आवागमन और खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, चार उच्च गति वाली नावों के साथ एक इन्फ्लैटेबल नाव ले जाएगा।
- इसे ई.ई.जेड. निगरानी, तटीय सुरक्षा और अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
- इस जहाज को अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है।

संबंधित जानकारी

- आई.सी.जी.एस. सचेत, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन की गई पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओ.पी.वी.) की श्रृंखला में पहला है।
- यह परियोजना पूर्ववर्ती छह जहाज सी.जी.ओ.पी.वी. परियोजना की अनुवर्ती परियोजना थी, जो 2017 में पूरी हो गई थी।

सी.जी. ओ.पी.वी. परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- वर्ष 2017 में पूर्ण हुई सी.जी. ओ.पी.वी. के अंतर्गत भारतीय तट रक्षक में छह समर्थ श्रेणी के जहाजों का साधिकार किया गया था।

अपतटीय गश्ती जहाजों के संदर्भ में जानकारी

- अपतटीय गश्ती पोत, एक अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभावान जहाज है, जिसे तटीय क्षेत्रों और प्रभावी आपदा सहायता के लिए समुद्री सुरक्षा के प्रावधानों सहित आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र प्रबंधन भूमिकाओं को निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

चीन ने पाकिस्तान नौसेना के लिए समुद्री जहाज लांच किया

समाचार में क्यों?

- चीन ने चार उन्नतशील नौसैनिक समुद्री जहाज में पहले को लांच किया है जिसे टाइप-054 क्लास फ्रिगेट कहा गया है, यह पाकिस्तान के लिए निर्मित किया गया है। यह दो घनिष्ठ मित्रों के बीच में बढ़ते हुए आर्थिक और रक्षा संबंधों के बीच में हुआ है।



टाइप-054 क्लास फ्रिगेट के बारे में

- यह नवीनतम सरफेस, सबसरफेस, एंटी एयर हथियारों, कॉम्बेट प्रबंधन प्रणाली और संसूचकों से लैस है, और पाकिस्तान नौसेना बेड़े का तकनीकी रूप से आधुनिकतम सरफेस प्लेटफार्म में से एक होगा।
- पाकिस्तान ने चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसटीसी) के साथ एक अनुबंध पर दो टाइप -054 A/P फ्रिगेट के लिए 2017 में हस्ताक्षर किये थे।

टॉपिक-सामान्य अध्ययन तृतीय-रक्षा

स्रोत- द हिंदू

डी.जी.एन.सी.सी. मोबाइल प्रशिक्षण ऐप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डी.जी.एन.सी.सी.) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है।



डी.जी.एन.सी.सी. मोबाइल प्रशिक्षण ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह ऐप एन.सी.सी. कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा।
- इसका उद्देश्य एन.सी.सी. कैडेटों को एक प्लेटफार्म पर संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री (पाठ्यक्रम, सारांश, प्रशिक्षण वीडियो और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न) प्रदान करना है।
- इस ऐप को एक क्वेरी विकल्प को शामिल करके इंटरैक्टिव बनाया गया है।

- यह ऐप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप, एन.सी.सी. प्रशिक्षण के स्वचालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरणीय मुद्दे

राज्य को समर्पित 'एस.ई.सी.आई. परियोजना'

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सेम्बकॉर्प की अत्याधुनिक भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एस.ई.सी.आई.) 1, 2 और 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है।



सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड (एस.ई.आई.एल.) के संदर्भ में जानकारी

- यह सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- इसने अपनी नवीनतम 800 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है, जिससे भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1,730 मेगावाट हो गई है।
- अपनी 300 मेगावाट एस.ई.सी.आई. 3 पवन परियोजना के पूर्ण साधिकार के साथ सेम्बकॉर्प, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एस.ई.सी.आई.) द्वारा आयोजित पहली तीन पवन नीलामी में प्रदान की गई अपनी परियोजनाओं का पूरी तरह से साधिकार करने वाला पहला स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक बन गया है।

संबंधित जानकारी

भारतीय सौर ऊर्जा निगम के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है।
- इसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सेक्शन-3 कंपनी है।

नोट:

- सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, जैव-शक्ति से 10 गीगावाट और छोटे पनबिजली से 5 गीगावाट ऊर्जा शामिल हैं।
- सरकार वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य लेकर चल रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

ढोले (एशियाई जंगली कुत्ते)

खबरों में क्यों है?

- एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत में लुप्तप्राय ढोले के संरक्षण में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीन-राज्य उच्च रैंक पर हैं।

ढोले के संदर्भ में जानकारी

- इसे एशियाई जंगली कुत्ते, एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ते, विस्टलिंग कुत्ते, लाल कुत्ते और पहाड़ी भेड़ियों के रूप में भी जाना जाता है।
- ढोले, वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



संरक्षण स्तर

- बाघ के अतिरिक्त ढोले, भारत में एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंतर्गत 'लुप्तप्राय' श्रेणी के अधीन है।
- यह भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के अंतर्गत भी संरक्षित है।

भारत में वितरण

- पश्चिमी घाट, दुनिया की सबसे बड़ी ढोले आबादी का समर्थन कर सकता है।
- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के पूर्वी घाटों में भी ढोले आबादी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

स्मॉग टावर्स

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में स्मॉग टॉवर बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) बॉम्बे के लिए मजबूत अपवाद लिया है।

स्मॉग टावर्स के संदर्भ में जानकारी

- यह एक संरचना है, जिसे बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फिल्टर की कई परतों से सुसज्जित है, जो हवा में निलंबित धूल के कणों को ट्रैप करता है क्योंकि यह उनसे होकर गुजरता है।

- हवा, टॉवर के शीर्ष पर स्थापित पंखों के माध्यम से खींची जाती है, ये फिल्टर से होकर गुजरती है और फिर जमीन के निकट निकल जाती है।
- दिल्ली में टावरों में बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले फिल्टर एक प्रमुख घटक के रूप में कार्बन नैनोफाइबर्स का उपयोग करेंगे।

स्मॉग टॉवर के लाभ

- ये टावर शहर में "स्वच्छ वायु क्षेत्र" का निर्माण करेंगे, जो 50% कणिका तत्व भार को कम करेगा। स्मॉग टॉवर पूरे शहर के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ वायु क्षेत्र बनाने में उपयोगी हो सकते हैं।
- शांत मौसम में एक खुले क्षेत्र में, यह 10 माइक्रोमीटर (पी.एम.10) के कण को 45% तक कम कर सकता है और टॉवर के चारों ओर 20 मीटर के क्षेत्र में पी.एम.2.5 का स्तर 25% तक कम कर सकता है।

नोट:

- नीदरलैंड के रॉटरडैम में डच कलाकार डान रूजगार्डे द्वारा निर्मित पहला ऐसा टॉवर वर्ष 2015 में बनाया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

जलीय-मौसम संबंधी खतरा जोखिम न्यूनता

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने "जलीय-मौसम संबंधी खतरा जोखिम न्यूनता" पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है।



वेबिनार श्रृंखला में चार वेबिनार शामिल हैं, जो निम्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं

- A. गरज और बिजली
 - B. बादलों का फटना और बाढ़
 - C. चक्रवात और तूफान वृद्धि और
 - D. जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ
- जलीय-मौसम संबंधी जोखिमों की बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के 10-बिंदु एजेंडा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करके, वेबिनार श्रृंखला, मानव क्षमता को बढ़ाने पर आधारित है।
 - इससे जोखिम को कम करने और प्रभावित समुदायों और परिवेश के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।
- एन.डी.एम.ए. को औपचारिक रूप से 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार गठित किया गया था।

संरचना

- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और इसमें नौ अन्य सदस्य भी शामिल हैं और इस तरह के एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

अनिवार्य कार्य

- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा समाधान और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण करना है।
- यह आपदाओं के लिए समयबद्ध और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु सर्वोच्च निकाय है।

दृष्टिकोण

- यह एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा लचीले भारत का निर्माण करने में मदद करता है जिसमें सभी हितधारक शामिल हैं और रोकथाम, तैयारियों और शमन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।
- आई.एम.डी. का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह भारत और अंटार्कटिका के सैकड़ों अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है।
- इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में हैं।
- आई.एम.डी., विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- इसके पास उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पूर्वानुमान, नामकरण और चेतावनी के वितरण की जिम्मेदारी है, जिसमें मलक्का जलडमरूमध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- आपदा प्रबंधन

स्रोत- पी.आई.बी.

मॉरीशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

- हिंद महासागर में टिके हुए एक प्रवाल के चारों-ओर जहाज के चलने पर ईंधन का रिसाव होने के बाद द्विपीय देश मॉरीशस ने एक पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है।

पर्यावरणीय आपातकाल के संदर्भ में जानकारी

- इसे प्राकृतिक, तकनीकी या मानव-प्रेरित कारकों के कारण होने वाली एक आकस्मिक-प्रारंभिक आपदा या दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है या इनके संयोजनों से होने वाले कारण या जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव जीवन और संपत्ति की हानि के साथ गंभीर पर्यावरणीय हानि का कारण बनते हैं।



संबंधित जानकारी

मॉरीशस के संदर्भ में जानकारी

- इसे आधिकारिक रूप से मॉरीशस गणराज्य के रूप में जाना जाता है, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है।
- इसमें मॉरीशस और रोट्रिग्स, अगालेगा और सेंट ब्रैंडन के मुख्य नामस्रोत द्वीप शामिल हैं।
- मॉरीशस और रोट्रिग्स के द्वीप, निकटतम रियूनियन, एक फ्रांसीसी विदेशी विभाग के साथ मैस्करीन द्वीप समूह का हिस्सा हैं।
- इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुईस, मॉरीशस में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

एन्वीस्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा एन्वीस्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जो पर्यावरण के जैवभौतिक पहलुओं और सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के उन पहलुओं को शामिल करती है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं और संवाद करते हैं।



रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

हीट वेव

- साल दर साल हीट वेव दिनों की औसत संख्या में 82.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019 में 157 हो गई थी, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, इसके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है।

हीट वेव के कारण होने वाली मौतें

- वर्ष 2019 में हीट वेव से होने वाली मौतों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2018 में 26 की तुलना में वर्ष 2019 में बढ़कर 373 हो गई थीं।
- हालांकि, यह वर्ष 2017 में 375 से थोड़ी कम हैं।

तीव्र श्वसन संक्रमण

- वर्ष 2018 में तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतें 3,740 थीं। यह छह वर्षों में अधिकतम थी।
- पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।

पेयजल

- ग्रामीण भारत में ट्यूबवेल और हैंडपंप 53.8% की हिस्सेदारी के साथ पेयजल का प्राथमिक स्रोत थे।
- दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में पाइपड पानी, सार्वजनिक नल, स्टैंडपाइप 65% की हिस्सेदारी के साथ प्राथमिक स्रोत थे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, वर्ष 2018 में पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में बोतलबंद पानी वाले राज्यों में दिल्ली 33.4 प्रतिशत परिवारों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (30.5 प्रतिशत), दमन और दीव (27.6 प्रतिशत), तेलंगाना (26.3 प्रतिशत) है।
- बिहार में लगभग 97.2% परिवार पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में नलकूपों/ हैंड पम्पों पर निर्भर हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (93.9 प्रतिशत) का स्थान है।
- शहरी क्षेत्रों में, दमन और दीव में परिवारों का अधिकतम भाग (40.4 प्रतिशत) पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में बोतलबंद पानी को चुनता है, इसके बाद तेलंगाना (31.4 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (28.6 प्रतिशत) का स्थान है।

बस्ती की आबादी

- आंध्र प्रदेश में शहरी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत बस्ती आबादी (36.10 प्रतिशत) है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (31.98 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (28.35 प्रतिशत) है।

कणिका तत्व (पी.एम.)

- वर्ष 2018 में, 10 μm से कम या इसके बराबर आकार के कणिका तत्व दिल्ली में सबसे अधिक थे, इसके बाद अहमदाबाद और मुंबई का स्थान था।

मोटर वाहन

- दिल्ली में देश के सबसे अधिक पंजीकृत मोटर वाहन हैं, जिसके बाद बेंगलुरु का स्थान है।
- वर्ष 2017 में सबसे अधिक पंजीकृत गैर-परिवहन वाहन मणिपुर (2.7 करोड़) में थे, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2.5 करोड़), त्रिपुरा (2.4 करोड़) और हरियाणा (2.0 करोड़) थे।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) एक महानिदेशक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन हेतु जिम्मेदार है।

- यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- प्राथमिक रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) आदि पर देशव्यापी पारिवारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है।
- इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, एन.एस.ओ. ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों के क्षेत्र गणना और फसल आकलन सर्वेक्षणों की निगरानी के माध्यम से फसल के आंकड़ों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह शहरी क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण में उपयोग के लिए शहरी क्षेत्र इकाइयों का एक ढांचा भी बनाए रखता है।

एन.एस.ओ. के चार प्रभाग हैं:

- A. सर्वेक्षण डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग (एस.डी.आर.डी.)
- B. क्षेत्र संचालन प्रभाग (एफ.ओ.डी.)
- C. डाटा प्रसंस्करण प्रभाग (डी.पी.डी.)
- D. सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एस.सी.डी.)

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग, CO₂ के मुख्य स्रोत हैं।

खबरों में क्यों है?

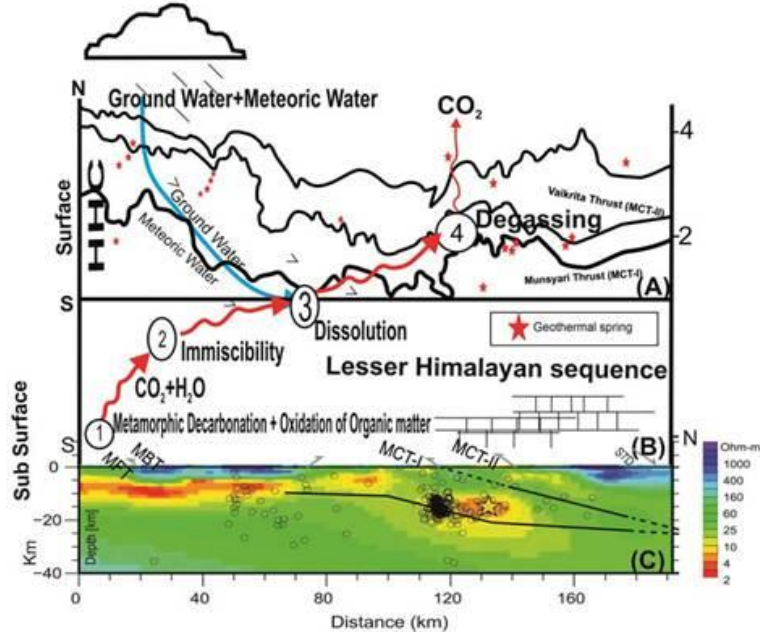
- हाल ही में, वैज्ञानिक पत्रिका एनवायरनमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि हिमालयन भू-तापीय स्प्रिंग्स, वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।



हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग्स के संदर्भ में जानकारी

- हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) समृद्ध पानी का काफी अधिक मात्रा में निर्वहन दर्शाते हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोटों, फॉल्ट ज़ोन और भू-तापीय प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहिर्मुख तक कार्बन का बहिर्वाह, वैश्विक कार्बन चक्र में योगदान देता है, जो पृथ्वी की लघु और दीर्घकालिक जलवायु को प्रभावित करता है।
- हिमालय में विभिन्न तापमान और रासायनिक परिस्थितियों वाले लगभग 600 भू-तापीय स्प्रिंग्स हैं।

- कार्बन चक्र में उत्सर्जन का अनुमान लगाने और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग में योगदान का अनुमान लगाते समय क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में उनकी भूमिका के साथ ही टेक्टोनिक संचालित गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
- पर्यावरण में अनुमानित कार्बन डाइऑक्साइड डिग्रेसिंग (तरल पदार्थों विशेष रूप से पानी या जलीय घोल से गैसों को हटाना) फ्लक्स लगभग 7.2×10^6 मोल/ वर्ष है।



संबंधित जानकारी

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत ने 1993 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) की और 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.)

- कार्य योजना प्रभावी रूप से पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कृषि और अन्य पर सरकार की मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं को एक साथ आकर्षित करती है, जिसमें आठ मिशनों के सेट में एक अतिरिक्त योजना भी शामिल है।
- जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद, योजना के समग्र कार्यान्वयन की प्रभारी हैं।
- योजना दस्तावेज, जलवायु परिवर्तन के तनाव को कम करने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन करता है और इसे तेज करने के लिए गरीबी-वृद्धि लिंकेज का उपयोग करता है।

पेरिस समझौता

- वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत, भारत ने 2020 और 2030 के बीच की अवधि के लिए तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं- अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 में वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% करना है।
- यह अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO₂ के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने में मदद करेगा।
- भारत, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जहां जीवाश्म ईंधन में निवेश अधिकतम है।

- वर्ष 2018 में अपनी राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन.ई.पी.) को अपनाने के बाद से भारत अपने “2°C अनुकूल” रेटेड पेरिस समझौता जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्ग पर है।
- वर्ष 2010 के बाद से, भारत सरकार ने 2016-2017 के बजट में उत्पादित और आयात किए गए कोयले पर लगने वाले कोयले के कर को दो बार तीन गुना करके 400 रुपये प्रति टन (लगभग 3.2 डालर प्रति टन) तक पहुंचा दिया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006

- यह नीति अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव या लागत प्रभावी नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, 2006

- यह विनियामक कोड 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्षेत्रफल के 500 के.वी.ए. से कनेक्टेड लोड या वातानुकूलित फर्श क्षेत्रफल के साथ सभी भवनों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

वैज्ञानिकों को मैथेरन में तितली की 77 नई प्रजातियाँ मिली हैं।

खबरों में क्यों है?

- 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने मैथेरन मुंबई में, 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियाँ खोजी हैं।
- पिछली बार तितलियों को वर्ष 1894 में इस पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र में संहिताबद्ध किया गया था, जब एक शोधकर्ता ने 78 प्रजातियों की पहचान की थी।



संबंधित जानकारी

- हाल ही में, लेपिडोप्टेरिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में तितली की दो नई प्रजातियों अर्थात स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्रीक और एलूसिव प्रिंस की खोज की थी।
- वर्तमान में, वर्ष 2015 में 1,318 प्रजातियों की तुलना में भारत में तितली की 1,327 प्रजातियाँ हैं।

नोट:

- एक लेपिडोप्टेरिस्ट, वह व्यक्ति है जो तितलियों और पतंगों का अध्ययन करने में विशेषज्ञ होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

विश्व हाथी दिवस: 12 अगस्त

- विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है, जो विश्व के हाथियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए समर्पित है।
- विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और जंगली और बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए ज्ञान और सकारात्मक समाधान साझा करना है।



हाथी के संदर्भ में जानकारी

- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियां- भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंका हैं।
- भारतीय में व्यापक श्रृंखलाएं हैं और महाद्वीप में अधिकांश शेष हाथियों के लिए जिम्मेदार हैं।

संरक्षण स्तर

- लुप्तप्राय प्रजातियों की आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट के अनुसार, अफ्रीकी हाथियों को "कमजोर" और एशियाई हाथियों को "लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सी.आई.टी.ई.एस.) दर्जे में परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध है।
- परिशिष्ट I उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो सी.आई.टी.ई.एस.- सूचीबद्ध जानवरों और पौधों के बीच सबसे अधिक लुप्तप्राय हैं।
- भारतीय हाथी को हाल ही में फरवरी, 2020 में गांधी नगर, गुजरात में आयोजित सी.एम.एस. 13 के पार्टियों के सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।

संरक्षण के प्रयास

"प्रोजेक्ट एलीफेंट" हेतु सुरक्षा पोर्टल

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मानव हाथी संघर्ष पर "सुरक्षा" नामक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा।
- यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइज़ेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को स्थापित करने में मदद करेगा।

अन्य पहलें

- प्रोजेक्ट एलीफेंट को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- 'गज यात्रा', हाथियों की सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसे वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस पर शुरू किया गया था, जो हाथी गलियारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।

- अभियान में 12 हाथी श्रृंखला राज्यों को शामिल करने की योजना है।
- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यू.टी.आई.), वर्ष 2017 में देश के 101 हाथी गलियारों में यात्रा के अधिकार पर एक प्रकाशन के साथ आया था, हाथी गलियारों की अधिक निगरानी और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है।
- वर्ष 2003 में शुरू किया गया मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स (माइक), एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो क्षेत्र संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता पर नजर रखने के लिए अफ्रीका और एशिया में हाथियों की अवैध तरीके से हत्या करने से संबंधित जानकारी के रूझानों की निगरानी करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1999 (एम.सी.99)

खबरों में क्यों है?

- फरवरी, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित यात्री अधिकारों के घोषणापत्र के अनुसार, "7 अगस्त को कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दोनों पायलटों सहित 18 लोग मारे गए हैं, इसलिए एयरलाइन को मौत या शारीरिक चोट के मामले में प्रति यात्री 1.19 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा।"



इस राशि की गणना कैसे की जाती है?

- हवाई यात्रियों के लिए यात्री अधिकारों के घोषणापत्र के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए क्षतिपूर्ति की गणना 1,13,100 विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) या लगभग 1.19 करोड़ रुपये के नुकसान के भुगतान के आधार पर की जाती है।
- वर्ष 2009 में भारत के मॉन्ट्रियल सम्मेलन को अपनाने के आधार पर एयरलाइंस के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान देयता की सीमा को 'द कैरिएज बाय एयर (संशोधन) अधिनियम 2016' के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1999 के संदर्भ में जानकारी

- 1999 मॉन्ट्रियल सम्मेलन, औपचारिक रूप से हवाई मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कुछ नियमों के एकीकरण हेतु सम्मेलन है, यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) सदस्य राज्यों की एक राजनयिक बैठक द्वारा अपनाया गया था।
- 1999 मॉन्ट्रियल सम्मेलन (एम.सी.99) यात्रियों की मृत्यु या चोट के साथ ही देरी, सामान और कार्गो की क्षति या हानि के मामलों में भी एयरलाइन दायित्व की स्थापना करता है।
- यह एयरलाइन दायित्व को शामिल करने वाली सभी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधि शासनों को एकीकृत करता है जो 1929 के बाद से संयोगवश से विकसित हुई थी।

- एम.सी.99 दुनिया भर में एयरलाइन देयता को नियंत्रित करने के लिए एक एकल, सार्वभौमिक संधि होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसने हवाई आपदाओं के पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित वारसा सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया था।
- यह सम्मेलन यात्रियों, सामान और कार्गो की अंतर्राष्ट्रीय टुलाई से संबंधित नियमों की एकरूपता और पूर्वानुमान को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है।
- कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समुदाय की सेवा करने वाले प्रमुख प्रावधानों को बनाए रखते हुए नई संधि कई प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को प्राप्त करती है।

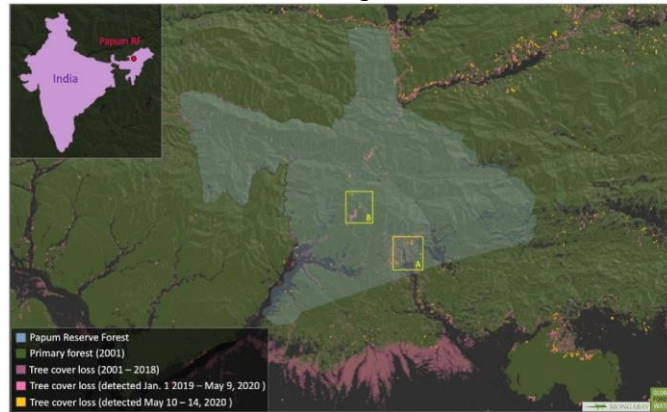
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पापुम रिजर्व वन

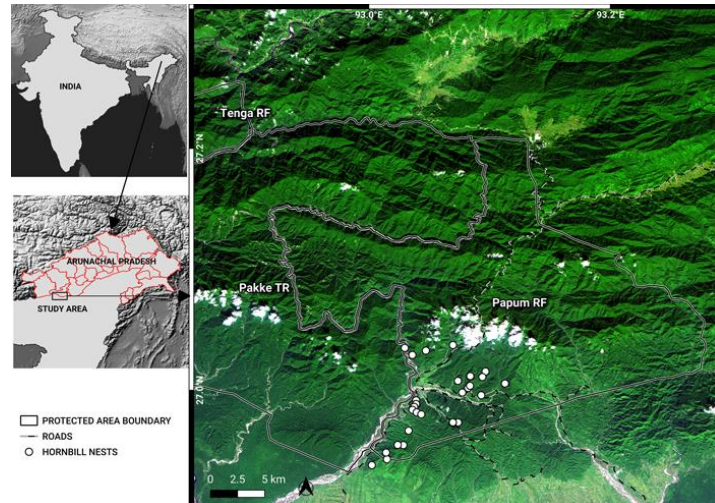
खबरों में क्यों है?

- उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन ने पापुम रिजर्व वन में वनोन्मूलन की उच्च दर को चिह्नित किया है, जो अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल का प्रमुख निवास स्थान है।



पापुम रिजर्व वन के संदर्भ में जानकारी

- यह अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (आई.बी.ए.) है।
- यह पूर्व में ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम में पक्के वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है।
- पापुम रिजर्व वन, पूर्वी हिमालय स्थानिक पक्षी क्षेत्र का हिस्सा है।
- स्थल का एक बड़ा हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार और अर्द्ध-सदाबहार वनों द्वारा कवर किया गया है, जब कि उच्च क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती पहाड़ी वन क्षेत्र के अंतर्गत हैं।



संबंधित जानकारी

ग्रेट हॉर्नबिल (ब्यूसरोस बाइकोर्निस) के संदर्भ में जानकारी

- ग्रेट हॉर्नबिल को कॉनकेव-कैसक्वेड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है।
- यह हॉर्नबिल परिवार के बड़े सदस्यों में से एक है।

संरक्षण की स्थिति और जोखिम

- इसका मूल्यांकन लुप्तप्राय प्रजातियों की आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट पर कमजोर (वी.यू.) के रूप में किया गया है।
- इसे सी.आई.टी.ई.एस. के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह पक्षी केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है।

वितरण

- ये पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।

हॉर्नबिल महासंस्व के संदर्भ में जानकारी

- यह नागालैंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े स्वदेशी महोत्सवों में से एक है।
- यह महोत्सव नागौर विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को सुरक्षित, संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- नागालैंड में इस महोत्सव को "त्योहारों का त्योहार" माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड परियोजना

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG) पहल के प्रस्तावों को अगली सूचना तक रोक दिया है।



एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड परियोजना (OSOWOG) के संदर्भ में जानकारी

- वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ढांचा स्थापित करने का भारत द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, जिसका उद्देश्य परस्पर जुड़े हुए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिसे आसानी से साझा किया जा सकता है।
- विश्व बैंक, परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था।
- इसका एक आदर्श वाक्य 'सूर्य कभी डूबता नहीं' है, यह इंगित करता कि सौर ऊर्जा आपूर्ति किसी भी भौगोलिक स्थान और किसी भी समय नियत होगी।

मूल निकाय

- केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

उद्देश्य

- पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के बीच सौर संसाधनों को साझा करने के संदर्भ में वैश्विक सहमति बनाना
- इस ग्रिड को बाद के चरणों में भी अफ्रीकी पावर पूल के साथ जोड़ा जाएगा।

लाभ

- भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली उत्पन्न करेगा और 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' का मंत्र देने वाली सीमाओं पर सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना
- भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता सितंबर, 2019 तक अपनी कुल स्थापित बिजली मिश्रण का 38 प्रतिशत थी, जिसमें नवीकरणीय, बड़े हाइड्रो और परमाणु शामिल हैं, इसका वर्ष 2030 का लक्ष्य इसे सिर्फ 2 प्रतिशत करना था।
- इसमें से केवल स्थापित नवीनीकरण (ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, छोटे हाइड्रो, बायोमास और अपशिष्ट-से-ऊर्जा) का हिस्सा 23% है।

भारत की प्रतिबद्धता

- भारत वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2005-2014 की अवधि में भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी आई है।
- वर्ष 2030 तक, भारत की उत्सर्जन तीव्रता 35 से 50 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।
- भारत की तीसरी एन.डी.सी. प्रतिबद्धता वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- फाइनैशियल एक्सप्रेस

शेर और डॉल्फिन परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में समग्र रूप से संरक्षित करने के लिए शेर और डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है।



प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संदर्भ में जानकारी

- इस परियोजना का उद्देश्य गंगीय डॉल्फिन- भारत में तटवर्ती के साथ ही समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण करना है।

गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में जानकारी

- इन्हें वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजातियों के रूप में घोषित किया गया था, जो स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।

वितरण

- यह ताजे पानी की डॉल्फिन की एक प्रजाति है, जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और भारत, बांग्लादेश और नेपाल में उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है।
- वर्तमान में, भारतीय नदी प्रणालियों में लगभग 3,700 गंगा नदी डॉल्फिन हैं।
- इन डॉल्फिनों को असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गहरी नदी के किनारे देखा जाता है।

संरक्षण स्तर

- इन्हें आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट के अनुसार लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित हैं।
- इन्हें वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सी.आई.टी.ई.एस.) में परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

प्रोजेक्ट लायन के संदर्भ में जानकारी

- इस परियोजना का उद्देश्य भारत के एशियाई शेरों का संरक्षण करना है।
- यह आवासों के विकास, शेर प्रबंधन में संलग्न तकनीकों और शेरों में बीमारी के मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह परियोजना मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी और समावेशी प्रकृति की होगी, जिसमें शेर परित्यक्त के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय और उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना शामिल होगा।

एशियाई शेर के संदर्भ में जानकारी

- ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में गिर राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित हैं, जो गुजरात के नौ जिले को कवर करता है।
- भारत ने पिछले पांच वर्षों में अपनी जनसंख्या में 29% की वृद्धि दर्ज की है- जो वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2020 में 674 हो गई है।

संरक्षण स्तर

- इन्हें आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट के अनुसार लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित हैं।
- इन्हें वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सी.आई.टी.ई.एस.) में परिशिष्ट I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

संबंधित जानकारी

- पिछले वर्ष, गिर वन में 20 से अधिक शेरों की कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सी.डी.वी.) नामक वायरल संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी।

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के संदर्भ में जानकारी

- यह एक संक्रामक और गंभीर बीमारी है, जो वायरस के कारण होती है, जो पिल्लों और कुत्तों के श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है।
- कैनाइन डिस्टेंपर, पैरामाइक्सोविरिडा (वायरस का समान परिवार है जो मनुष्यों में खसरा, मumps और ब्रॉकोलाईटिस का कारण बनता है) परिवार के एकल-कुंडलित आर.एन.ए. वायरस के कारण होता है।

लक्षण

- इसके सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, आंखों में सूजन आना और आंख/ नाक से पानी बहना, सांस फूलना और खांसी आना, उल्टी और दस्त आना, भूख न लगना और सुस्ती और नाक और पैरों का सख्त होना शामिल हैं।
- यह विभिन्न प्रकार के जानवर परिवारों को प्रभावित करता है, जिनमें कुत्ते, लोमड़ी, पांडा, भेड़िए, गंधबिलाव और चीतों की घरेलू और जंगली प्रजातियाँ शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- टी.ओ.आई.

सीफूड निर्यात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने गुजरात के तटीय शहर पोर्बंदर में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खोली है।
- यह सीफूड प्रोसेसर और निर्यातकों के लिए परीक्षणों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।



MPEDA

इस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को स्थापित करने का कारण

- गुजरात में सीफूड निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों के अपेक्षाकृत कम उदाहरण हैं, फिर भी भारी धातुओं, मुख्य रूप से कैडमियम की उपस्थिति के कारण विदेशों में कई सेफालोपॉड की खेप को खारिज कर दिया गया है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्र और राज्य स्तर के प्रतिष्ठानों के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वय एजेंसी है, जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है।
- इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है।
- यह 24 अगस्त, 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

केन्या के तट पर भारी मात्रा में समुद्री घास समाप्त हो रही है: यू.एन.ई.पी.

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी दी है कि केन्या के तट पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं, समुद्री सिवार की खेती और पर्यटन से समुद्री घास के अस्तित्व को खतरा है।



समुद्री घास क्या है?

- समुद्री घासें, फूल वाले समुद्री पौधे हैं, जो समुद्री परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती हैं।
- ये अधिकांशतः उथले रेतीले निचले आवासों में पाई जाती हैं और घने व्यापक घास के मैदान बना सकती हैं।
- पूरे विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 72 समुद्री घास प्रजातियां वितरित हैं।



महत्व

- इन्हें "समुद्र के फेफड़े" के रूप में जाना जाता है क्योंकि कि समुद्री घास का एक वर्ग मीटर क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रतिदिन 10 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है।
- समुद्री घास को पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर माना जाता है।
- ये घास के मैदान तलछट को ट्रैप करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और हमें साफ पानी देते हैं।
- ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली सहित कई जीवों के लिए भोजन, आश्रय और नर्सरी क्षेत्रों का स्रोत हैं।
- इसका अर्थ है कि ये कुटीर मत्स्यपालन का समर्थन करके तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और तटीय आजीविका का एक अभिन्न अंग हैं।
- ये कई लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे डुगोंग, समुद्री कछुए और समुद्री घोड़ों का भी समर्थन करते हैं।

कार्बन सिंक के रूप में कार्य

- समुद्री घास के मैदान महत्वपूर्ण कार्बन सिंक भी हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में पर्यावरण से 40 गुना तेजी से कार्बन को ट्रैप करने में सक्षम हैं और इसे सैकड़ों वर्षों से संग्रहीत कर रहे हैं।

समुद्री घास के लिए खतरा

- कटाव और तलछट का निर्वहन
- ग्लोबल वार्मिंग
- जलवायु परिवर्तन
- क्षरण और तलछट का निर्वहन
- अत्यधिक मछली पकड़ना
- अन्य के बीच प्रदूषण

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

सागर (SAGAR- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत ने भारत के प्रधानमंत्री के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) के दृष्टिकोण के भाग के रूप में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव को रोकने के प्रयासों में मदद करने के लिए 10-सदस्यीय तकनीकी प्रतिक्रिया टीम भेजी है।



सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) के संदर्भ में जानकारी

- सागर शब्द, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा मारीशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गढ़ा गया था।
- यह एक समुद्री पहल है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है।
- इसका लक्ष्य विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को स्थापित करना है।
- यह हिंद महासागर रिम संघ के सिद्धांतों के अनुरूप है।

उद्देश्य

- विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को स्थापित करना चाहता है
- सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान करना
- एक दूसरे के (की ओर) हितों के प्रति संवेदनशीलता
- समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान
- समुद्री सहयोग में वृद्धि

संबंधित जानकारी

आई.ओ.आर.ए. (हिंद महासागर रिम संघ) के संदर्भ में जानकारी

- हिंद महासागर रिम संघ, एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 7 मार्च, 1997 को मॉरीशस की इबेन साइबर सिटी में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य अपने 22 सदस्य राज्यों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है।
- यह संघ सदस्य देशों की सरकारों, व्यवसायों और शिक्षाविदों के परस्पर प्रतिनिधियों को एकसाथ लाएगा और आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा और बढ़ावा देगा।

हिंद महासागर आयोग के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1982 में पश्चिमी हिंद महासागर में पांच छोटे द्वीप राज्यों को मिलाकर की गई थी।
- ये राज्य कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र) और सेशेल्स हैं।
- आई.ओ.सी. का अपना क्षेत्रीय एजेंडा है और इसने पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा वास्तुकला को डिजाइन करने और इसके कार्यान्वयन में प्रभावशाली प्रगति की है।

- वर्षों से, हिंद महासागर आयोग (आई.ओ.सी.) एक सक्रिय और विश्वसनीय क्षेत्रीय अभिनेता के रूप में उभरा है, जो पश्चिमी हिंद महासागर में और के लिए काम कर रहा है और कई परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

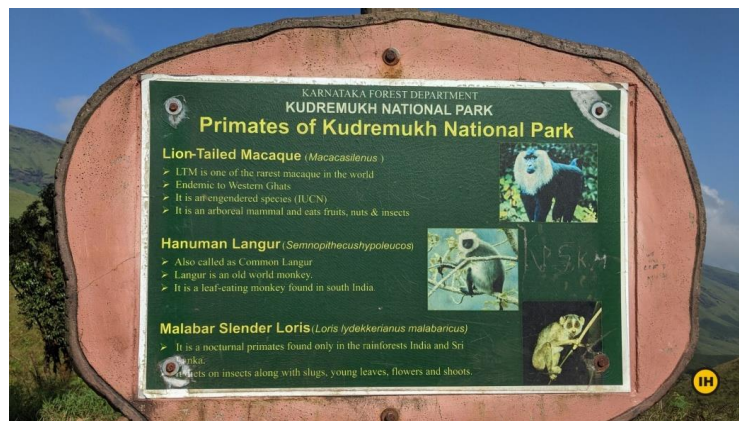
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कर्नाटक प्रशासन ने कहा है कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 कि.मी. के दायरे के क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.जेड.) के रूप में घोषित करने से चिन्हित क्षेत्रों के भीतर निवासियों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जानकारी

- यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमगलूर जिलों में स्थित है।
- यह उत्तर में नरसिम्हा पर्वत (श्रृंगेरी तालुक में) और दक्षिण में जमालबाद किले (बेलथांगडी तालुक में) के बीच फैला हुआ है।
- इसने वर्ष 1916 में एक आरक्षित वन के रूप में अपना अस्तित्व शुरू किया था और वर्ष 1987 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

नदियाँ

- तीन महत्वपूर्ण नदियाँ अर्थात तुंगा, भद्रा और नेत्रवती का उद्गम उद्यान में ही माना जाता है।
- उद्यान को चार श्रेणियों अर्थात कुद्रेमुख, केरेकट्टे, कलासा और शिमोगा में विभाजित किया गया है।
- कादंबी जलप्राप्त, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं।

संबंधित जानकारी

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में जानकारी

- सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका नाम अभयारण्य के भीतर स्थित सोमेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है।
- यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के बहुत निकट स्थित है।
- यह अभयारण्य अधिकांशतः सदाबहार जंगलों, अर्ध-सदाबहार और नम पर्णपाती वनों से मिलकर बना है।
- सीतानदी नदी अभयारण्य से होकर बहती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

अटलांटिक महासागर में पहले के अनुमान की तुलना में 10 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक है: अध्ययन

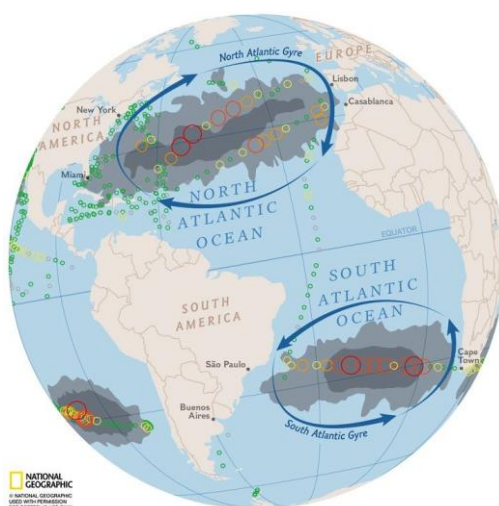
खबरों में क्यों है?

- नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार, अटलांटिक महासागर में 12-21 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक हैं- जो पहले के अनुमान से लगभग 10 गुना अधिक है।



माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में जानकारी

- प्लास्टिक, महासागरों और अन्य जल निकायों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का समुद्री मलबा है।
- मलबा, किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, लेकिन जो मलबा लंबाई में 5 मि.मी. (या लगभग तिल के आकार का) से कम का होता है, उसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है।



इन्हें इनके स्रोत के अनुसार, दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

A. प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक

- वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से छोटे कणों के रूप में छोड़ा जाता है।

मुख्य स्रोत

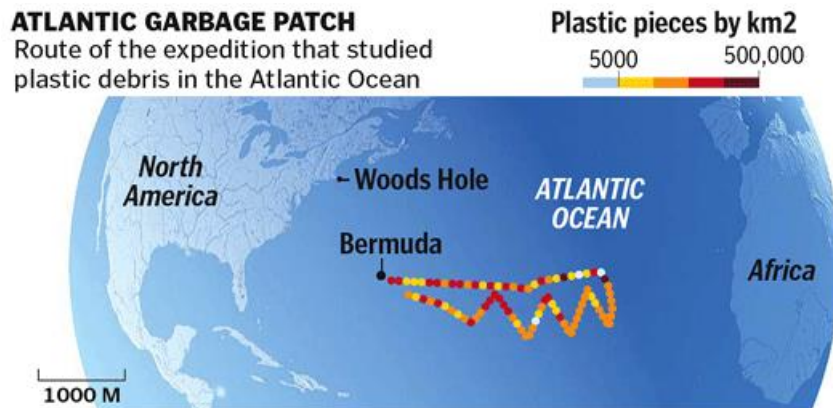
- सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई (प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स का 35%)
- ड्राइविंग के माध्यम से टायर का घर्षण (28%)
- इरादतन रूप से व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में मिलाया गया माइक्रोप्लास्टिक, उदाहरण के लिए: फेसियल स्क्रब में माइक्रोबीड्स (2%)

द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स

- प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों या मछली पकड़ने के जाल जैसी प्लास्टिक की बड़ी वस्तुओं के क्षरण से उत्पन्न होते हैं

माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रभाव क्या हैं?

- माइक्रोप्लास्टिक, समुद्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
- समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक को समुद्री जानवरों द्वारा निगला जा सकता है।
- फिर प्लास्टिक इकट्ठा होता है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों में समाप्त हो सकता है।
- ये बीयर, शहद और नल के पानी सहित भोजन और पेय में पाए जाते हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक में प्रायः योजक शामिल होते हैं, जैसे स्टेबलाइजर्स या फ्लेम-रेटार्डेंट और अन्य संभवतः विषाक्त रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो जानवर या मानव के लिए हानिकारक हो सकते हैं।



संबंधित जानकारी

वैश्विक पहल

- महासागरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ रही हैं, जहां लगभग 50% एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद समुद्री जीवन को मारते हैं और मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं।
- इस संबंध में, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे कि स्ट्रॉ, फोर्क, चाकू और कॉटन बड्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।
- चीन के शंघाई का वाणिज्यिक केंद्र, खानपान सेवाओं में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर धीरे-धीरे प्रतिबंध लगा रहा है। इसके द्वीप प्रांत हैनान ने वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने का प्रण लिया है।
- विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 पर दुनिया के नेताओं ने "प्लास्टिक प्रदूषण को हराने" और इसके उपयोग को पूर्णतया समाप्त करने का प्रण लिया है।

भारत की पहल

- प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, 2019 को घोषणाएं की हैं कि भारत वर्ष 2022 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के उपयोग को समाप्त कर देगा।
- इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी.) ने निम्न कार्यों को सुनिश्चित किया गया है:
 - a. इसका एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने का कार्य है।
 - b. इसका दुग्ध उत्पादों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के लिए लंबित नीति (एक नीतिगत दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत उत्पादकों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और/ या भौतिक रूप से पोस्ट-उपभोक्ता उत्पादों के निपटान या उपचार के लिए है) को अंतिम रूप देने में काम है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

शहरी वन योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ईटानगर को केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) मंत्रालय की 'नगर वन' या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है।



नगर वन योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी पर देश भर के 200 शहरी शहरों में वनों का निर्माण करने के लिए शुरू की गई योजना है।
- नगर वन या शहरी वन योजना को सी.ए.एम.पी.ए. (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, छात्र स्कूल परिसर के भीतर चयनित स्थान पर अपने पेड़ उगाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे।
- वर्ष के अंत में, वे पौधे ले जाएंगे और उन्हें अपने घर के परिसर में लगाएंगे।
- केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक 5,000 स्कूलों को शामिल करने के लक्ष्य के साथ इस वर्ष 1,000 स्कूलों को शामिल करने की योजना बनाई है।

संबंधित जानकारी

क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद किया गया था।
- यह प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण एवं वानिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में कार्य करता है।
- इसे निगरानी करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

पूर्वी कोलकाता आद्रभूमि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कोलकाता शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा पूर्वी कोलकाता आद्रभूमि में कचरे के निपटान पर अपने आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए सजा की चेतावनी दी है।



पूर्वी कोलकाता आद्रभूमि के संदर्भ में जानकारी

- यह एक रामसर स्थल (रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित आद्रभूमि स्थल है) है।
- आद्रभूमि को ऐतिहासिक रूप से गंगा की सहायक नदी, बिद्याधरी के प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा बनाया गया है।

संबंधित जानकारी

रामसर स्थल के संदर्भ में जानकारी

- यह एक आद्रभूमि (उथला पानी) है, जिसे आद्रभूमि के सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है।
- यह यूनेस्को द्वारा लगभग 50 वर्ष पहले (1971) स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि है।
- यह 1975 में लागू हुआ था और इसका नाम ईरानी शहर, रामसर से लिया गया, जहां सम्मेलन को अपनाया गया था।
- वर्तमान में भारत में 37 स्थल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमियों (रामसर स्थल) के रूप में नामित किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए (http://wiienviis.nic.in/Database/ramsar_wetland_sites_8224.aspx) पर जाएं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

हरित पथ

खबरों में क्यों है?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) ने सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक पौधे के लिए अपनी क्षेत्र इकाइयों में से प्रत्येक के लिए स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए 'हरित पथ' नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।
- 'हरित पथ' मोबाइल ऐप को लांच करने से भविष्य में पूरे देश में 'ग्रीन हाईवे' के निर्माण की सुविधा मिलेगी।



संबंधित जानकारी

हरित भारत संकल्प

- राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के 25 वर्षों को जश्न मनाने के लिए, हाल ही में एन.एच.ए.आई. ने 'हरित भारत संकल्प' भी शुरू किया है, जो एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की तर्ज पर है।
- इस पहल के अंतर्गत, एन.एच.ए.आई. ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।
- यह ड्राइव चालू वर्ष के दौरान किए गए कुल वृक्षारोपणों की संख्या को 35.22 लाख तक ले जाती है।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- एन.एच.ए.आई. ने भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत लगभग 27,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को अनिवार्य किया है।

भारतमाला योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह राजमार्ग क्षेत्रों के लिए एक छत्रीय कार्यक्रम है, जो प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों के अंतरों को पूरा करके पूरे देश में माल और यात्रियों की आवाजाही की दक्षता के अनुकूलन पर केंद्रित है।
- प्रभावी हस्तक्षेपों में आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारे और फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें और ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

बी.आई.एस. राज्यों में जल की आपूर्ति के लिए मसौदा मानक तैयार कर रहा है।

खबरों में क्यों है?

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने पाइपड पेयजल की आपूर्ति प्रणाली के लिए एक मसौदा मानक तैयार किया है।
- नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के जल जीवन मिशन को ध्यान में रखते हुए मसौदा विकसित किया गया है।



मसौदे की मुख्य विशेषताएं

- मसौदा, एक पानी आपूर्तिकर्ता या पानी की उपयोगिता के लिए आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है कि उन्हें अपनी पाइपड पेयजल की आपूर्ति सेवा की स्थापना, संचालन, रखरखाव और सुधार किस प्रकार करना चाहिए।

विकसित भारतीय मानक (आई.एस.) 10500

- आई.एस. 10500 पेयजल में विभिन्न पदार्थों की स्वीकार्य सीमा को रेखांकित करता है, जिसमें अर्सेनिक जैसी भारी धातुएं शामिल हैं और पानी का पी.एच. मान, इसका मैलापन, इसमें घुलित कुल ठोस पदार्थ और रंग और गंध जैसे अन्य मापदंड शामिल हैं।

जिला माप क्षेत्र की अवधारणा

- दस्तावेज में कहा गया है कि जहां संभव हो, वहां जिला माप क्षेत्र (डी.एम.ए.) की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए।
- यह जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक अवधारणा है, जिसे अनिवार्य रूप से कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे डी.एम.ए. कहा जाता है और जहां पर रिसाव का पता लगाने के लिए फ्लो मीटर स्थापित किए जाते हैं।

जल ऑडिट का प्रावधान

- जल आपूर्तिकर्ता/ उपयोगिता जल वितरण प्रणाली में पानी के ऑडिट को सुनिश्चित करने के लिए थोक में पानी के मीटर प्रदान कर सकती है, हालांकि घरेलू मीटरों के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए।
- जल आपूर्तिकर्ता/ उपयोगिता यह सुनिश्चित करेगी कि मीटर की संभावित छेड़छाड़ से बचने के लिए उपभोक्ताओं को मीटर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं प्राप्त है।

पानी का नमूनाकरण

- मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि गुणवत्ता मानकों के खिलाफ प्रत्येक चार घंटे में उपचार संयंत्र में पानी का नमूना लिया जाना चाहिए।
- वितरण प्रणाली में, पानी के जलाशयों में प्रत्येक आठ घंटे में नमूना लिया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पर यादृच्छिक नमूनाकरण भी किया जाना चाहिए।



संबंधित जानकारी

भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.), भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है।
- इसे उत्पादों के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए बी.आई.एस. अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

गौर (भारतीय बाइजन)

समाचार में क्यों?

- हाल में बेल्जियम के मेलीन्याँस कुते ने गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क में गौर (भारतीय बाइजन) के अवैध शिकार के मामले को खोलने में मदद की।



गौर के बारे में (भारतीय बाइजन)

- यह भारत में पाया जाने वाला जंगली पशु की सबसे ऊंची प्रजाति है और सबसे बड़ी गोजातीय भी।
- ये पशु भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय निवासी हैं।

संरक्षण दर्जा

- इसे कमजोर के रूप में खतरे वाली प्रजातियों की आईयूसीएन की लाल सूची में डाला गया है।
- यह वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है।

संबंधित सूचना

गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में

- यह उत्तरी पश्चिम बंगाल, भारत में एक राष्ट्रीय पार्क है।
- यह मूलरूप से भारतीय गैंडों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है।
- गोरुमारा पूर्वी हिमालय के तलहटी तराई पट्टी में स्थित है।
- इस क्षेत्र में लहरदार वन और नदियों वाले घास के मैदान हैं और इसे पश्चिम बंगाल में दूआर कहते हैं।
- यह पार्क मूर्ति नदी और रैदाक नदी के बाढ़ वाले मैदानों में स्थित है।
- पार्क की प्रमुख नदी जलधाका नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की एक सहायक नदी है।
- यह पार्क जल्दापाड़ा राष्ट्रीय पार्क और चपरामारी वन्यजीव रिजर्व के काफी करीब है।

टॉपिक-सामान्य अध्ययन तृतीय-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एन.डी.सी.) -एशिया (टी.आई.ए.) भारत घटक हेतु परिवहन पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग ने भारत में परिवहन के अकार्बनीकरण के लिए बहु-हितधारक संवाद मंच स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एन.डी.सी.) -एशिया (टी.आई.ए.) भारत घटक हेतु परिवहन पहल शुरू की है।

DESIGN APPROACH



9

एन.डी.सी.-टी.आई.ए. कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में परिवहन को अकार्बनीकृत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- एन.डी.सी.-टी.आई.ए., एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा (बी.एम.यू.) के लिए जर्मन मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आई.के.आई.) द्वारा समर्थित है।
- यह कार्यक्रम सात संगठनों के संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है अर्थात्:
 1. ड्यूटश्चे गेसलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसमेनारबीट (जी.आई.जेड.) GmbH
 2. अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद (आई.सी.सी.टी.)
 3. विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यू.आर.आई.)
 4. अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आई.टी.एफ.)
 5. अगोरा वेरकेहरेस्वेन्डे (एगोरा)
 6. सतत, निम्न कार्बन परिवहन फाउंडेशन पर साझेदारी (SLoCaT)
 7. 21वीं शताब्दी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क ई.वी. (REN21)
- भारत घटक को SLoCaT को छोड़कर छह संघ संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- भारत सरकार की ओर से देश का प्रमुख प्रबुद्ध मंडल, नीति आयोग कार्यान्वयन भागीदार होगा।

कार्यक्रम की अवधि: एन.डी.सी.-टी.आई.ए. कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है।

- यह भारत और अन्य साझेदार देशों को डोमेन में बड़ी संख्या में हितधारकों के साथ समन्वित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एक क्षेत्रीय योगदान करके उत्तरदायी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- यह उनके एन.डी.सी. प्राप्त करने और 2025 एन.डी.सी. के परिवहन क्षेत्र में उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की दिशा में योगदान देगा।

एन.डी.सी.-टी.आई.ए. भारत घटक निम्न पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- a. ग्रीनहाउस गैस और परिवहन मॉडलिंग क्षमताओं को मजबूत करना
- b. जी.एच.जी. उत्सर्जन शमन उपायों पर तकनीकी सहायता प्रदान करना
- c. परिवहन में जलवायु कार्रवाईयों का वित्तपोषण
- d. इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) की मांग और आपूर्ति नीतियों आदि पर नीति सिफारिशें पेश करना

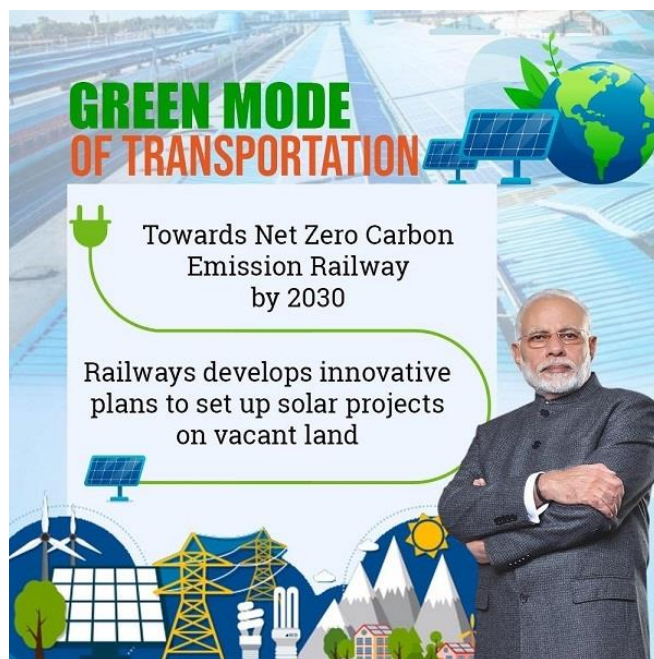
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक 33 बिलियन से अधिक इकाइयों की अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक 33 बिलियन से अधिक इकाइयों की अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है।



संबंधित जानकारी

- रेलवे ने वर्ष 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक मेगा योजना विकसित की है।
- यह वर्ष 2023 तक रेलवे के लिए 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने में रेलवे की मदद करेगा।

कार्बन उत्सर्जन को कम करना

- सौर ऊर्जा के उपयोग से भारतीय रेलवे से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे के रूपांतरण को प्राप्त करने के मिशन में तेजी आएगी।
- रेलवे ने अकार्बनीकरण की दिशा में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जो सौर परियोजनाओं द्वारा पूरा किया जाएगा, जो इसे पहला ऊर्जा आत्मनिर्भर परिवहन संगठन बनाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत-आकाशवाणी

मानसेर आद्रभूमि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राज्य मंत्री ने मानसेर आद्रभूमि के विकास, कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु व्यापक मानसेर कायाकल्प एवं विकास योजना की समीक्षा की है।
- इस योजना का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि करना और जम्मू क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।



संबंधित जानकारी

रामसर आद्रभूमि सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- विश्व आद्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।
- वर्ष 1971 में इस तारीख को रामसर आद्रभूमि सम्मेलन को रामसर, ईरान में अपनाया गया था।
- इस वर्ष (2020) आद्रभूमि की थीम आद्रभूमि और जैव विविधता है।

भारत में रामसर साइटों की संख्या

- हाल ही में पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रामसर सम्मेलन ने भारत की 10 आद्रभूमि को "अंतर्राष्ट्रीय महत्व" के स्थलों के रूप में घोषित किया था, जिससे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या 37 हो गई थी।

इन 10 नई आद्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है:

- महाराष्ट्र में नंदुर मधमेश्वर
- पंजाब में केशोपुर-मियांनी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नंगल
- उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सांडी और सरसाई नवार

रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आद्रभूमि की परिभाषा

- आद्रभूमि के लिए रामसर सम्मेलन परिभाषा में निम्न शामिल हैं:
- दलदल
- बाढ़प्रवण क्षेत्र
- नदियां और झीलें
- सदाबहार वन
- कम ज्वार पर अधिकतम 6 मीटर गहराई पर प्रवाल भित्तियां और अन्य समुद्री क्षेत्र
- मानव निर्मित आद्रभूमि जैसे अपशिष्ट-जल उपचार तालाब और जलाशय

भारत में आद्रभूमि की स्थिति क्या है?

- भारत में 7 लाख से अधिक आद्रभूमियां हैं और उनके संरक्षण के लिए नियम हैं, अभी तक घरेलू कानूनों के अंतर्गत एक भी आद्रभूमि को अधिसूचित नहीं किया गया है।
- आद्रभूमियों को आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- केंद्रीय आद्रभूमि विनियामक प्राधिकरण के लिए प्रदान किए गए नियमों का 2010 संस्करण है।
- 2017 के नियमों ने इसे राज्य-स्तरीय निकायों के साथ प्रतिस्थापित किया है और एक राष्ट्रीय आद्रभूमि समिति का गठन किया है, जो एक सलाहकार की भूमिका में काम करती है।
- नए नियमों ने "आद्रभूमि" की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया है जिसमें बैकवाटर, लैगून, क्रीक और सहायक नदियां शामिल हैं।

- "2010 के नियमों में राज्यों को संक्षिप्त दस्तावेजों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है, उन्हें केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास जमा करें, जिसे उन्हें सूचित करना आवश्यक था।
- भारत में आद्रभूमि 1.6 करोड़ हेक्टेयर या भारत के 4.5% क्षेत्र को कवर करती हैं।

रामसर साइट का चयन

- सम्मेलन के अंतर्गत परिभाषित विभिन्न मानदंडों के आधार पर चयन किया जाता है।
- रामसर सम्मेलन के अनुच्छेद 2.2 में कहा गया है: "आद्रभूमि को पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, लिमनोलॉजी या जल विज्ञान के संदर्भ में उनके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर सूची के लिए चुना जाना चाहिए।"
- वर्तमान में दुनिया भर में 2,300 से अधिक रामसर साइटें हैं और यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II-पर्यावरण

स्रोत-आकाशवाणी

बार्न उल्लू परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में लक्षद्वीप संघीय क्षेत्र प्रशासन ने केरल वन विभाग की मदद से चूहों के खतरों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए बार्न उल्लू परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है।



बार्न उल्लू परियोजना के बारे में,

- लक्षद्वीप प्रशासन ने कवरती द्वीप में बार्न उल्लू का इस्तेमाल करके चूहों के जैविक नियंत्रण पर पायलट परियोजना पर शुरू करने का निर्णय लिया था, यह निर्णय द्वीप में नारियल की खेती और अर्थव्यवस्था पर चूहों से होने वाले आश्चर्यजनक नुकसान के अध्ययन के बाद लिया गया।

बार्न उल्लू के बारे में,

- बार्न उल्लू का वैज्ञानिक नाम टयोटो एल्बा है।

वितरण

- यह उल्लू की सबसे व्यापक रूप से पायी जाने वाली प्रजाति है। यह ध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर दुनियाभर में हर कहीं पायी जाती है, हिमालय के एशिया उत्तर में, अधिकांश इंडोनेशिया और कुछ प्रशांत द्वीपों में पायी जाती है।

संरक्षण स्थिति

- IUCN के अनुसार, बार्न उल्लू न्यूनतम चिंताजनक की स्थिति में हैं।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – पर्यावरण

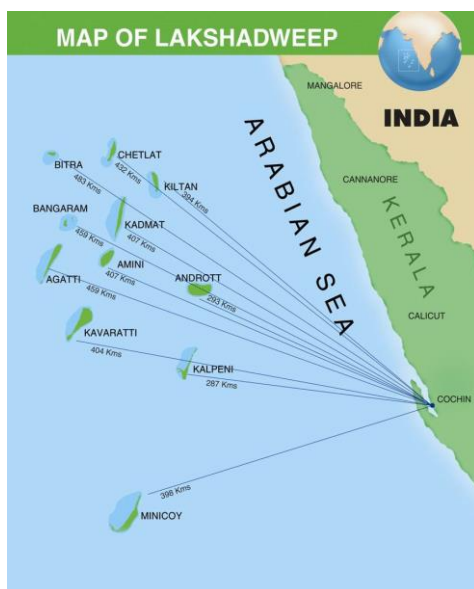
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

भूगोल सम्बन्धी मुद्दे

अगत्ती द्वीप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) की दक्षिणी पीठ ने केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के अंतर्गत लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाई है।



केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन ने की थी।
- आई.आई.एम.पी. में तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के किनारे कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM) द्वारा तैयार समग्र द्वीप विकास योजनाएं शामिल हैं।
- आई.आई.एम.पी., द्वीपों और इसके संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वदेशी ज्ञान के साथ युग्मित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है।

अगत्ती द्वीप के संदर्भ में जानकारी

- यह लक्षद्वीप में स्थित है।
- इस द्वीप के लैगून क्षेत्र में प्रवाल की वृद्धि और लैगून में बहुरंगी प्रवाल मछलियों का निवास है।
- मत्स्य पालन सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, जो शायद एकमात्र द्वीप है इसके अतिरिक्त मिनिक्कॉय को अधिशेष मछली मिलती है।
- मत्स्य पालन के अतिरिक्त, कॉयर (नारियल फाइबर) और कोपरा (नारियल का सूखा हुआ मांस या गिरी) मुख्य उद्योग हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

टेबलटॉप एयरपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दुबई से कोझिकोड के लिए एक विशेष 'वंदे भारत' देश-प्रत्यावर्तन उड़ान पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक बोइंग 737, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने के दौरान रनवे पर फिसल गया है।
- इस दुर्घटना ने एक बार फिर उस ऑपरेशन को सुर्खियों में ला दिया है, जिसे भारत में 'टेबलटॉप एयरपोर्ट' के नाम से जाना जाता है।



टेबलटॉप एयरपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

- यह एक पठार या पहाड़ी की सतह के ऊपर स्थित और निर्मित हवाई अड्डा है, जिसमें रनवे के दोनों किनारे उसकी समाप्ति पर भ्रम पैदा करते हैं।
- देश में "टेबलटॉप" के रूप में गिने जाने वाले प्रमुख हवाई अड्डों में- लेंगपुई (मिजोरम), शिमला और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), पाकयोंग (सिक्किम), मंगलुरु (कर्नाटक), कोझीकोड और कन्नूर (दोनों केरल) हैं।
- किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के तकनीकी दस्तावेज में 'टेबलटॉप एयरपोर्ट' जैसा कोई शब्द नहीं है।
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) इन हवाई अड्डों को इन रनवे पर ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा उपायों को उजागर करने के तरीकों के रूप में संदर्भित करता है।



संबंधित जानकारी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के संदर्भ में जानकारी

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.), विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है।
- यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

नोट:

- भारत सरकार, अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफ.ए.ए.) की तर्ज पर बनाए गए संगठन को एक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सी.ए.ए.) के साथ प्रतिस्थापित करने की योजना बना रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

न्यू गिनी में विश्व का सबसे अमीर द्वीप फलोरा है: अध्ययन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि न्यू गिनी के द्वीप में क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय द्वीप है।



अध्ययन के अन्य निष्कर्ष

- इसमें पौधों का विश्व का सबसे समृद्ध संग्रह है।
- सूची द्वारा विश्लेषण किए जाने वाली पौधों की प्रजातियों की संख्या 13,634 है, जो मेडागास्कर या बोर्नियो की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रजातियां हैं।
- प्रजातियों की अधिकतम संख्या वाला पौधा परिवार ऑर्किड है, जब कि प्रजातियों का एक तिहाई हिस्सा पेड़ हैं।
- सूची में मौजूद लगभग 68 प्रतिशत पौधे स्थानिक हैं और विश्व में किसी अन्य स्थान पर नहीं पाए जाते हैं।

संबंधित जानकारी

न्यू गिनी के संदर्भ में जानकारी



- न्यू गिनी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और दक्षिणी गोलार्ध और ओशिनिया के भीतर पूर्ण या आंशिक रूप से सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर के मेलानेसिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से 150 किलोमीटर चौड़ी सतही टोरेस जलसंधि द्वारा अलग किया गया है।
- यह पश्चिम और पूर्व में बड़ी संख्या में छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है।
- द्वीप का आधा पूर्वी भाग, स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी का प्रमुख भू-भाग है।
- आधे पश्चिमी भाग को पश्चिमी न्यू गिनी या पश्चिम पापुआ के रूप में जाना जाता है, जो इंडोनेशिया का एक भाग बनाता है और इसमें पापुआ और पश्चिम पापुआ के प्रांत शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- भूगोल

स्रोत- डाउन टू अर्थ

किसानों के लिए स्वदेशी सीड बॉल बी.ई.ई.जी.

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, आई.आई.टी. कानपुर ने बी.ई.ई.जी. (बायो-कंपोस्ट एनरिचड इको-फ्रेंडली ग्लोब्यूल) नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है।



बायो-कंपोस्ट एनरिचड इको-फ्रेंडली ग्लोब्यूल (बी.ई.ई.जी.) के संदर्भ में जानकारी

- बी.ई.ई.जी. को एग्निस अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (आई.आई.टी. कानपुर में स्टार्ट-अप) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- ये सीड बॉल हैं, जिनमें देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल हैं।

- पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इन सीड बॉल्स को लक्षित स्थानों पर फेंकना है और ये पानी के संपर्क में आने पर स्वयं अंकुरित हो जाएंगी।
- यह कोरोना के समय में सुरक्षा के साथ वृक्षारोपण में लोगों और किसानों की मदद करेगा और लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा।

महत्व

- इन सीड बॉल्स को जल्दी अंकुरित करने के लिए उचित घटकों और बीजों से समृद्ध किया जाता है और यह मानसून का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसके द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक एकत्रीकरण द्वारा जीवन को खतरे में डाले बिना अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं।

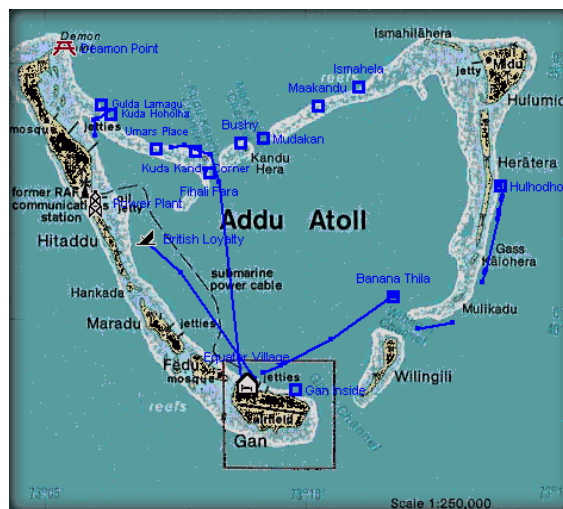
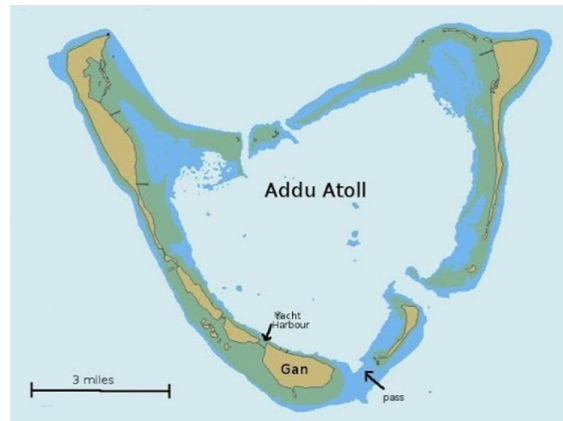
टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

द्वीप के अड्डू एटोल में पांच पारिस्थितिक-पर्यटन क्षेत्र

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत और मालदीव ने द्वीप राष्ट्र के अड्डू एटोल में पांच पारिस्थितिक-पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अनुबंध किया है।
- ये पारिस्थितिक-पर्यटन क्षेत्र, उच्च-प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एच.आई.सी.डी.पी.) योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा हैं।



संबंधित जानकारी

अड्डू एटोल के संदर्भ में जानकारी

- अड्डू एटोल को सीनू एटोल के नाम से भी जाना जाता है, यह मालदीव का सबसे दक्षिणी एटोल है।
- अड्डू एटोल, अड्डू शहर का एक स्थान है, जो मालदीव के तीन शहरों में से एक है।
- अड्डू शहर में अड्डू एटोल के बसे हुए क्षेत्र अर्थात हुलहुधू, मीधू, मराधू, फेयधू और हिथाधू के प्राकृतिक द्वीप शामिल हैं।
- अड्डू एटोल में कई अन्य बसे हुए और निर्जन द्वीप हैं, जिनमें गण द्वीप है, जहां गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी विस्फोट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिससे हवा में 16000 फीट से अधिक ऊँचाई तक राख और धुएं का गुबार उठा है।
- यह ज्वालामुखी 2010 में सक्रिय हो गया था, यह लगभग 400 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद फटा है।



संबंधित जानकारी

- इंडोनेशिया, "रिंग ऑफ फायर" या परिधि-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी स्थिति के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का केंद्र है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषताओं के साथ प्रशांत महासागर के किनारे एक क्षेत्र है।
- रिंग ऑफ फायर, दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत ज्वालामुखियों और इसके लगभग 90 प्रतिशत भूकंपों का केंद्र है।



रिंग ऑफ फायर क्या है?

- रिंग ऑफ फायर, एक प्रशांत क्षेत्र है जिसमें 450 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिसमें से तीन विश्व के चार सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेनस, जापान में माउंट फूजी और फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो हैं।
- रिंग ऑफ फायर को कभी-कभी परिधि-प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है।



- रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 90 प्रतिशत भूकंप आते हैं और 80 प्रतिशत विश्व के सबसे बड़े भूकंप आते हैं।



स्थान

- यह प्रशांत महासागर की तटरेखा के किनारे फैला हुआ है, जहाँ प्रशांत प्लेटें अन्य के साथ टकराती हैं, छोटी टेक्टॉनिक प्लेट पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण करती है, जैसे कि फिलीपींस समुद्र प्लेट और कोकोस और नाज़का प्लेटें, जो प्रशांत महासागर के किनारे को जोड़ती है।
- न्यूजीलैंड से चिली तक 40, 0000 किलोमीटर के क्षेत्र में घड़े की नाल के आकार के गोलकार घेरे हैं, जो मार्ग में एशिया और अमेरिका के तटों से होकर गुजरते हैं।

रिंग ऑफ फायर का गठन कैसे किया गया था?

- रिंग ऑफ फायर, हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे समुद्री टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने के परिणामस्वरूप है।
- ये टेक्टोनिक प्लेटें जिस क्षेत्र में मिलती हैं, उसे सबडक्शन क्षेत्र कहा जाता है।

ज्वालामुखी क्यों फटते हैं?

- एक ज्वालामुखी सक्रिय, निष्क्रिय या मृत हो सकता है।
- विस्फोट तब होता है जब मैग्मा (एक गाढ़ा बहने वाला पदार्थ) बनता है, तब पृथ्वी का आवरण पिघलता है और सतह तक ऊपर उठ जाता है।
- क्योंकि मैग्मा ठोस चट्टान की तुलना में हल्का होता है, यह पृथ्वी की सतह पर छिद्रों और दरारों से भी निकल सकता है।
- इसके फूटने के बाद, इसे लावा कहते हैं।
- सभी ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोटक नहीं होते हैं क्योंकि विस्फोट की तीव्रता मैग्मा की संरचना पर निर्भर करती है।
- जब मैग्मा बहने योग्य और पतला होता है तो गैसों आसानी से निकल सकती हैं, इस स्थिति में, मैग्मा सतह से बाहर की ओर बह जाएगा।
- दूसरी ओर, यदि मैग्मा गाढ़ा और सघन है, तो गैसों नहीं निकल पाती हैं, जो इसके भीतर दबाव बनाती हैं, जिससे विस्फोट होने पर गैसें बाहर निकलती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मणिपुर में इजई नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा पुल बनाया जाएगा।

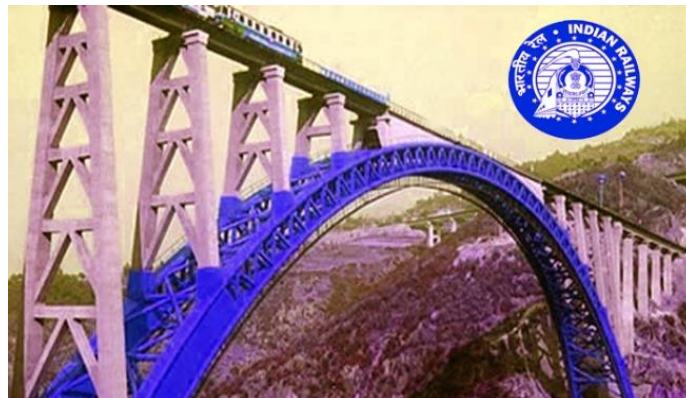
खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रेलवे ने मणिपुर में विश्व के सबसे ऊँचे बांध पुल का निर्माण किया है।
- नोनी के निकट इजई नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा बांध पुल बन रहा है। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है क्योंकि सबसे ऊँचे बांध पुल की ऊँचाई 141 मीटर होगी।
- यह यूरोप में मोंटेनेग्रो में माला-रिजेका खई पुल के 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड से आगे निकल जाएगा।



पुल का स्थान

- मणिपुर पुल, इंफाल से लगभग 65 कि.मी. पश्चिम में नोनी जिले के मारंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके में स्थित है।
- यह पुल जिरीबम-तुपुल-इम्फाल नई ब्रॉड-गॉज लाइन (बी.जी.) लाइन परियोजना का एक हिस्सा है।
- इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी।



विशेषताएं

- पुल के खंभों का निर्माण हाइड्रोलिक बरमा का उपयोग करके किया गया है, कुशल और निरंतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "स्लिप फॉर्म तकनीक" लंबे खंभों की आवश्यकता होती है।
- पुल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्टील गर्डर्स को एक कार्यशाला में पूर्वनिर्मित किया जाता है, जिन्हें खंडों में ले जाया जाता है और कैंटिलीवर लॉन्चिंग योजना द्वारा साइट पर स्थापित किया जाता है।
- पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि परियोजना में कुल 45 सुरंगें हैं।

- सबसे लंबी सुरंग 10.280 किलोमीटर लंबाई की सुरंग नं. 12 है, जो उत्तर पूर्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

माली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबाकर कीटा ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है।



माली के संदर्भ में जानकारी

- माली, पश्चिम अफ्रीका में एक स्थलसीमा देश है।
- माली, अफ्रीका का आठवाँ सबसे बड़ा देश है।
- इसकी राजधानी बमाको है।

माली के संप्रभु राज्य में शामिल हैं:

- माली के संप्रभु राज्य में आठ क्षेत्र शामिल हैं और उत्तर में इसकी सीमाएँ सहारा रेगिस्तान के मध्य में गहरी पहुँच में हैं, जब कि देश का दक्षिणी भाग, जहाँ अधिकांश निवासी रहते हैं, नाइजर और सेनेगल नदियों की विशेषता है।
- देश की अर्थव्यवस्था कृषि और खनन पर केंद्रित है।
- माली के कुछ प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में सोना और नमक शामिल है, जो अफ्रीकी महाद्वीप में सोने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल, स्रोत- ए.आई.आर.

भदभट परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गुजरात सरकार को भदभट बैराज परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है।



भदभट परियोजना क्या है?

- यह परियोजना, वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जो भरुच और भावनगर जिलों के बीच खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर के बांध का निर्माण पर जोर देती है।
- यह जलाशय नर्मदा, महिसागर और साबरमती के जल का दोहन करने के लिए है।

परियोजना का लक्ष्य

- इस परियोजना का लक्ष्य उन वर्षों में बाढ़ को रोकना भी है, जब सामान्य से अधिक वर्षा होती है।
- 22 कि.मी. लंबे तटबंध बनाए जाएंगे और नदी के किसी भी तरफ से भरुच की ओर धारा की विपरीत दिशा को विस्तारित करेंगे।

उद्देश्य

- लवणता प्रवेश को रोकना, जो खारे पानी के घुसपैठ वाले क्षेत्रों की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें पहले केवल ताजा पानी था।
- सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचने से रोकना और इस प्रकार नदी पर एक मीठे पानी की झील का निर्माण करना
- तटबंधों के निर्माण से उन वर्षों में बाढ़ को रोकना भी है, जब सामान्य से अधिक वर्षा होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

बेलारूस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, बेलारूस के सत्तावादी शासक, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 9 अगस्त से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है, जब एक विवादास्पद राष्ट्रपति वोट ने उन्हें तख्तापलट द्वारा जीतते हुए दिखाया था।
- लुकाशेंको 1994 से पूर्वी यूरोपीय देश चला रहा है।

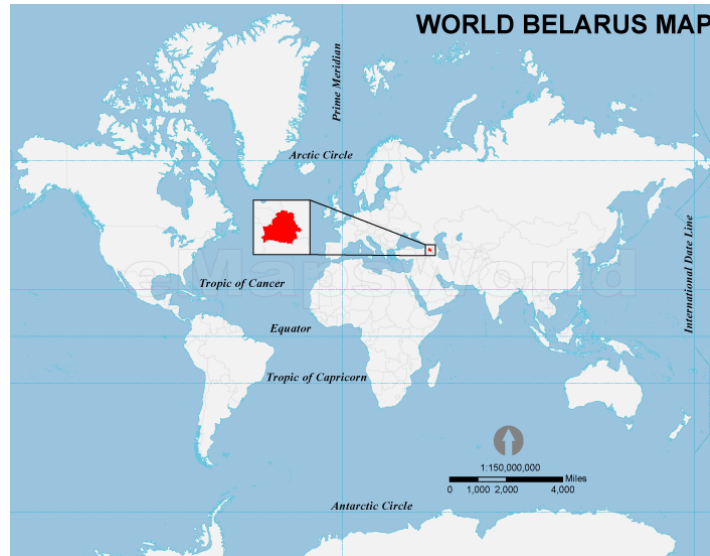


बेलारूस के संदर्भ में जानकारी

- यह पूर्वी यूरोप में एक स्थलसीमा देश है।
- यह उत्तर-पूर्व में रूस द्वारा, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर-पश्चिम में लिथुआनिया और लतविया से घिरा हुआ है।
- इसकी राजधानी मिंस्क है।



- देश के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और लुकाशेंको सरकार की स्व-वर्णित सत्तावादी शैली के कारण कुछ पश्चिमी पत्रकारों द्वारा बेलारूस को "यूरोप की अंतिम तानाशाही" के रूप में करार दिया गया है।



टॉपिक- जी.एस. पेपर I-भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

गुवाहाटी को भारत का 'सबसे लंबा' रोपवे मिला है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गुवाहाटी को देश का सबसे लंबा नदी रोपवे मिला है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को जोड़ेगा।



सबसे लंबे रोपवे के संदर्भ में जानकारी यह 1.82 किलोमीटर लंबा बाई-केबल जिग-बैक रोपवे है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर शहर में उप आयुक्त कार्यालय के कामरूप (मेट्रो) के निकट एक वन परिसर को जोड़ता है और दूसरी ओर उत्तरी गुवाहाटी में डौल गोविंद मंदिर के पीछे एक छोटी पहाड़ी को जोड़ता है।

नोट:

- भारत की पहली और सबसे लंबी समुद्री रोपवे परियोजना, जो मुंबई को एलिफेंटा गुफाओं से जोड़ेगी, उसे वर्ष 2019 के अंत तक शुरू किया जाना था।
- 8-किलोमीटर का रोपवे मुंबई के पूर्वी तट के सेवरी से शुरू होगा और रायगढ़ जिले के एलीफेंटा द्वीप पर समाप्त होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

परसीड्स उल्का बौझार

समाचार में क्यों?

- परसीड्स उल्का बौझार अगस्त 17-26 के मध्य सक्रिय होने जा रही है।
- यह वार्षिक आकाशीय घटना है जिसे सबसे बेहतर उल्का बौझार माना जाता है जिसमें आग के गोले आकाश से गिरते हैं जिससे लोगों को इन्हें पृथ्वी से देखना आसान हो जाता है।



उल्का बौझार क्या हैं?

- उल्का पत्थरों और बर्फ के टुकड़े होता है जोकि पुच्छल तारों से उस समय छोड़े जाते हैं जब वे सूर्य की कक्षा का चक्कर लगाते हैं।
- प्रमाण के लिए, ओरियोनिड्स उल्काएं पुच्छल तारा 1P/हैली से निकलते हैं और अक्टूबर में अपनी वार्षिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
- उल्का बौझार दूसरी ओर उस समय पृथ्वी से देखी जाती है जब पृथ्वी किसी क्षुद्रग्रह अथवा पुच्छल तारे द्वारा पीछे छोड़े गये मलबे के बीच में से गुजरती है।
- जब कोई उल्का पृथ्वी तक पहुँचती है, इसे उल्कापिंड कहते हैं और उल्कापिंडों की ऋंखला जब एक साथ होती है तो इसे उल्का की बौझार कहते हैं।
- नासा के अनुसार, 30 से ज्यादा उल्का बौझारें वार्षिक रूप से होती हैं और उन्हें पृथ्वी से देखा जा सकता है।

परसीड्स उल्का बौझार क्या है?

- परसीड्स उल्का बौझार मध्य अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा होती है।
- इसे सबसे पहली बार 2000 वर्ष पूर्व देखा गया था।
- परसीड्स उस समय होती है जब पृथ्वी स्विफ्ट टटेल पुच्छल तारे द्वारा पीछे छोड़े गये ब्रह्मांडीय मलबे के बीच होकर गुजरती है।
- मलबे का बादल लगभग 27 किमी. चौड़ा होता है और अपने दिखने के दौरान उच्च अवस्था में लगभग 160 से 200 उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में मलबे के टुकड़े के रूप में प्रत्येक घंटे गुजरते हैं।

परसीड्स उल्का बौझार कहां से आती हैं?

- पुच्छल तारा स्विफ्ट टटेल जिसे 1862 में लुईस स्विफ्ट और होरेस टटेल ने खोजा था, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 133 वर्ष का समय लेता है।
- आखिरी बार यह 1992 में सूर्य के सबसे करीब पहुँचा था और एक बार फिर से यह 2125 में सूर्य के सबसे करीब होगा।

- प्रत्येक बार जब भी पुच्छल तारा सूर्य के नजदीक आता है, वह धूल को पीछे छोड़ता है जो कि मूलरूप से मलबा होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष पृथ्वी गुजरती है जब वह सूर्य की परिक्रमा करती है।

कोई कैसे परसीड्स उल्का बौझार को देख सकता है?

- नासा के अनुसार, ये उल्का बौझारें भोर के पूर्व उत्तरी गोलार्ध में सबसे अच्छी तरह से देखी जाती हैं।

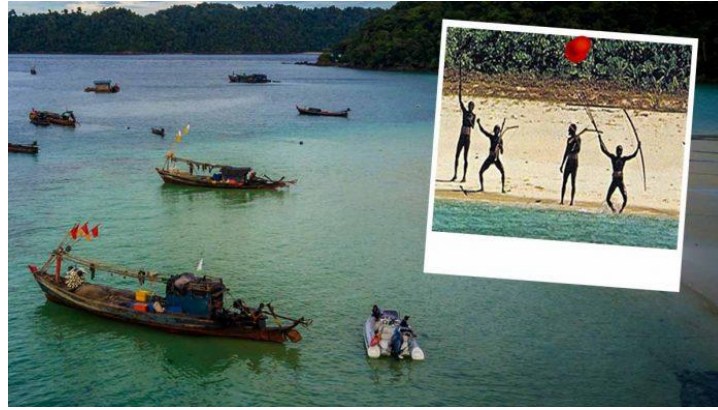
टॉपिक-सामान्य अध्ययन प्रथम-भूगोल

स्रोत- द हिंदू

ग्रेट अंडमान जनजाति का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।

खबरों में क्यों है?

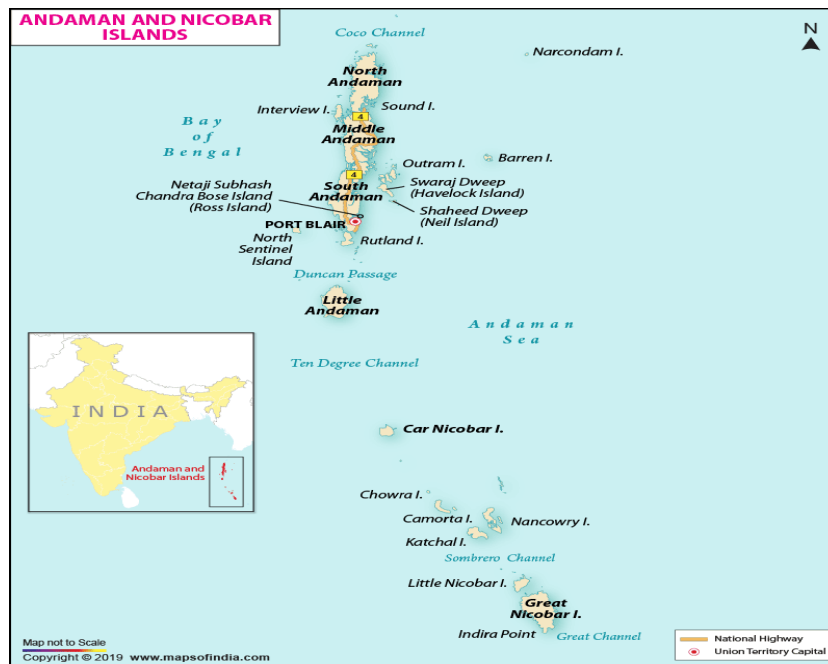
- हाल ही में, भारत की घटती ग्रेट अंडमानी जनजाति के पांच सदस्यों का कोरोनावायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।



संबंधित जानकारी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसांख्यिकी

- अंडमान द्वीप को उत्तर, मध्य, दक्षिण और छोटे अंडमान में चार विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।



अंडमान में पांच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) का निवास है।

- a) सेंटिनिलेस
- b) जरावा
- c) ग्रेट अंडमानी
- d) ऑंगे
- e) शोंपेन

ग्रेट अंडमानी

- वे स्ट्रेट द्वीप पर बसे हुए हैं, यह उत्तर और मध्य अंडमान जिले का हिस्सा है।
- ग्रेट अंडमानी की आबादी में आज 50 से कम जीवित व्यक्ति हैं।

जरावा

- दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह में जरावा जनजाति बसी हुई है, आज इस समुदाय के केवल 300-400 लोग जीवित हैं।

सेंटिनल

- नॉर्थ सेंटिनल, उत्तरी अंडमान क्षेत्र का हिस्सा है, जो सेंटिनल जनजाति का निवास है, आज केवल 50-100 जनजातियां ही जीवित हैं।

ऑंगे

- छोटा अंडमान द्वीप ऑंगे जनजाति का निवास है, ये जनजाति 100 से कम हैं।

शोम्पेन जनजाति

- भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.) ने पहचान की है कि शोंपेन चार विषम समूहों में हैं, जो कि पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी और केंद्रीय समूह हैं और प्रत्येक समूह की एक अलग बोली है।
- इसकी वर्तमान जनसंख्या के 200 से 300 के बीच होने का अनुमान है।

अंडमान और निकोबार की विलक्षण विशेषताएं

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 आदिवासी जनजाति हैं।
- विशेषताओं के आधार पर, उन्हें नेग्रिटो और मंगोलोइड में विभाजित किया जा सकता है।
- ग्रेट अंडमानीज, ऑंगे, जरावा और सेंटिनिलेस नेग्रिटो हैं, जब कि निकोबारी और शोमेन, मंगोलोइड हैं।
- सेंटिनेली, एक पूर्व-नवपाषाण काल के लोग हैं, जो बाहरी दुनिया के संपर्क के बिना अनुमानित 55,000 वर्षों से उत्तर प्रहरी द्वीप पर निवास कर रहे हैं।
- शोमेन्स और निकोबारी, आदिम मलयान के वंशज प्रतीत होते हैं।
- ये जनजाति अभी भी एक अलग संस्था रखते हैं और अपने शरीर को नहीं ढकते हैं।
- दो संबंधित क्षेत्रों में जनजातीय समूह जातीय, भाषाई या सांस्कृतिक अर्थों में बहुत कम हैं।

नोट:

- नवंबर, 2018 में 27 वर्षीय, एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलेन चाऊ को सेंटिनली ने तब मार डाला था जब उसने अवैध रूप से उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी।

पी.वी.टी.जी. के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए 27-08-2020 करेंट यू.पी.एस.सी. करेंट अफेयर्स (बोंडा जनजाति) देखें।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू